लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

Preservation Unit
Fumigated
24-8-92
Parliament Library

[खंड 30 में अंक 11 से 20 तक है
Vol. XXX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 12, मंगलवार, 7 अगस्त, 1973/16 श्रावण, 1895 (शक)

No. 12, *Tuesday, August* 7, 1973/16 *Sravana*, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
221	अप्रैल और मई 1973 के दौरान भारतीय रेलों द्वारा ढोया गया माल	Goods Traffic Handled by the Indian Railways during April and May, 1973 . . .	1–5
223	तेल के अन्वेषण संबंधी एक अलग मंत्रालय बनाना	Creation of a separate Ministry of Oil Exploration . .	5–8
224	सिचाई के समय डीजल आयल उपलब्ध न होने के कारण किसानों की कठिनाई	Difficulty faced by Farmers due to non-availability of Diesel Oil at the time of Irrigation .	8–10
225	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि० के केप्रोलेक्टम संयंत्र की स्थापना में विलंब की जांच	Probe into Delay in setting up of the Caprolactam Plant of Gujarat State Fertilizers Company Limited . . .	10–12
226	कच्चे माल की कमी के कारण प्लास्टिक निर्माताओं को कठिनाईयाँ	Difficulty faced by Plastic Manufactures due to shortage of Raw Materials . . .	12–14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
222	फेडरेशन आफ रेलवे आफिसर्ज़ एसोसिएशन द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के साथ समानता के बारे म प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन	Memorandum to the Prime Minister submitted by Federation of Railway Officers' Association regarding Parity with All India Services .	14
227	प्रोटीन, विद्युत उत्पादन और खनिजों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए समुद्र के संसाधनों का उपयोग	Exploitation of resources of Ocean to meet growing Demands for Protein, Power Generation and Minerals .	14–15
228	चालू वित्त वर्ष में रेलवे में घाटे की संभावना	Railways Heading towards deficit during current Financial Year	15–16

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—19 LSS/73

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
229	विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों के कार्य को विनियमित करने का प्रस्ताव	Proposal to regulate the working of Foreign Pharmaceutical Companies . . .	16
230	पेट्रोलियम उत्पादों और मिट्टी के तेल की चोर-बाजारी	Black Marketing in Petroleum products and Kerosene Oil .	16
231	मैसूर में निर्माणाधीन नई रेलवे परियोजनाएं	New Railway Projects under construction in Mysore . .	16–17
232	गंडक नदी पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge over Gandak . . .	17
233	थीन बांध परियोजना	Thein Dam Project	17
234	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को नये सिन्थेटिक ड्रग और एन्टीबायोटिक्स एककों के लिए रूसी सहायता	Soviet Assistance for new synthetic Drugs and Antibiotics Units for IDPL . . .	18
235	विद्युत उत्पादन पर केन्द्रीय नियंत्रण का राज्यों द्वारा विरोध	Opposition by States to Central Control over Power Generation	18
236	इन्टेग्रल कोच फक्टरी, पैरम्बूर दवारा सवारी डिब्बों का निर्माण	Production of Coaches by Integral Coach Factory, Perambur	18–19
237	डीलक्स, वातानुकूलित रेलगाड़ियो, राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और वातानुकूलित डिब्बों का समाप्त किया जाना और उनको तीसरे दर्जे के डिब्बों में बदलना	Abolition of De-Luxe, Air Conditioned, Rajdhani Express Trains and Coaches and their conversion into Third Class Coaches	19
238	मध्य प्रदेश को चम्बल परियोजना से सिंचाई लाभ	Irrigation benefits to Madhya Pradesh from Chambal Project	19–20
239	"ड्रग कार्टेल क्लाइम्ब्स डाऊन इन् यू० के० कनफ्रन्टेशन" शीर्षक से समाचार	News item captioned "Drug Cartel Climbs down in U.K. Confronation"	20
240	दिल्ली स्थित रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की कार्यवाहियों के बारे में दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा प्राप्त की गई शिकायत	Complaints regarding corrupt practices of R.P.F. personnel at Delhi received by Station Master, Delhi Station . .	20–21
अता०प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2201	चौथी योजना के दौरान मध्य प्रदेश द्वारा सिंचाई योजनाओं के लिये मांगी गई सहायता	Assistance sought for Irrigation Schemes by M.P. during Fourth Plan . . .	21
2202	भारत और पाकिस्तान तथा पंजाब और बिहार के बीच कोयला की तस्करी करने वाला गिरोह	Gang engaged in smuggling of coal between India, Pakistan and Punjab and Bihar . .	21–22

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2203	1973-74 के दौरान नई रेलगाड़ियों का चलाया जाना	Introduction of New Trains during 1973-74	22–23
2204	सामान्य वरिष्ठता सूची में कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Staff working in General Seniority list .	23
2205	उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामलों का निपटान करने के लिए कार्यवाही	Steps taken to dispose of pending cases in the Supreme Court	23
2206	पूर्वोत्तर रेलवे के कार्मिक विभाग में कर्मचारी	Staff in Personnel Department of North Eastern Railway .	24
2207	वर्ष 1973-74 के लिये केरल में विद्युतीकरण की योजनाएं	Electrification schemes in Kerala for 1973-74	24
2208	कोडकवूर रेलवे स्टेशन (केरल) पर ऊपरी पुल का निर्माण	Construction of Over-bridge in Kodackavoor Railway Station (Kerala)	24–25
2209	वरकाला रेलवे स्टेशन (केरल) का विकास	Development of Varkala Railway Station (Kerala) . .	25
2210	डिवीजनल एकाउंट्स आफिसर, पश्चिम रेलवे, अजमेर के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against DAO, Western Railway, Ajmer . .	25–26
2211	दूसरा दर्जा समाप्त करने के लिए रेल-कर्मचारियों का अभ्यावेदन	Representation by Railway Employees for abolition of Second Class	26
2212	रेलवे में सफाई कर्मचारियों को सर्दियों की वर्दी की सप्लाई	Supply of Winter Uniforms to Safaiwalas working on Railways	26–27
2213	विदेश यातायात लेखा कार्यालय (फोरेन ट्रैफिक एकाउंट्स आफिस) दिल्ली (पश्चिम रेलवे) के कर्मचारियों की मांग	Demand of Employees of FTA Office, Delhi (Western Railway)	27
2214	उत्तर रेलवे में रेलवे क्वार्टरों के बिना बारी के आवेदन के लिये पंजीकृत किय गये कर्मचारी	Staff Registered for Allotment of out-of-turn allotment of Railway Quarters on Northern Railway	27
2215	औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 14 के लिए विकल्प देने वाली 25 प्रतिशत के अधिक विदेशी पूंजी वाली फर्में	Firms with more than 25 per cent foreign equity option for para 14 of the Drugs (Price Control) Order, 1970 . . .	27–29
2216	मेसर्स फाईजर लिमिटेड द्वारा 1971-72 के लिये वार्षिक लेखों तथा तुलन पत्र में दिखाया गया लाभ	Profitability of M/s. Pfizer Ltd., as shown in its annual accounts and balance sheet for 1971-72	30

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2217	राष्ट्रीय जल ग्रिड योजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना म शामिल करना	Inclusion of National Wate, Grid Plan in the Fifth Plan	30
2218	भारतीय खाद्य निगम, एफ० ए० सी० टी०, जी० एस० एफ० सी० और मद्रास उर्वरक लिमिटेड द्वारा उत्पादित उर्वरकों का गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा वितरण	Distribution of Fertilizers produced by FCI, FACT, GSFC and Madras Fertilisers by Private Dealers . . .	30–31
2219	तेल वाले क्षेत्रों में गहरी खुदाई करके तेल का पता लगाने के लिये अपेक्षित विशेषज्ञता	Expertise for deep drilling explorations required to be made in oil bearing Strata . .	31
2220	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादित उर्वरकों का वितरण	Distribution of Fertiliser produced by Public Sector Undertakings	31
2221	भारत में काम कर रही विदेशी तेल कम्पनियों का पुर्ण पुनर्गठन करने की योजना	Scheme for complete re-organisation of the foreign oil companies operating in India .	31–32
2222	गरीबों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में विधि आयोग और गरीबों को कानूनी सहायता देने संबंधी आयोग की सिफारिशों में अंतर	Difference between the recommendation made on legal aid to the poor by Law Commission and Committee on legal aid to the poor . . .	32
2223	डालखोला (उत्तर बंगाल) में तापीय बिजली घर .	Thermal Power Station at Dalkhola (North Bengal) . .	32–33
2224	भारतीय उर्वरक निगम में महाप्रबंधकों के रिक्त पड़े पद	Posts of General Managers in the Fertilizer Corporation lying vacant . . .	33
2225	सऊदी अरब से आयातित अशोधित तेल के साफ करने के लिये करार	Arrangements for refining of crude oil imported from Saudi Arabia	33–34
2226	पश्चिम रेलवे में बम्बई से रतलाम तक बड़े बड़े नगरों में सूक्ष्म तरंग प्रणाली	Miscrowave System in Major cities on Western Railway from Bombay to Ratlam .	34
2227	उड़ीसा में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन	Delimitation of Constituencies in Orissa	34
2228	रेलवे सुरक्षा दल की संख्या और केरल से भर्ती किये गये कर्मचारियों का उनसे अनुपात	Strength of Railway Protection Force and proportion of Recruitment from Kerala .	34–35
2229	कास्टिक सोडे के निर्माण के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licence for manufacture of Caustic Soda . . .	35
2230	सूडान के लिये भारतीय उर्वरक विशेषज्ञ	Indian Fertilizer Expert for Sudan	35–36

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2231	विस्थापित और स्थानीय आदिवासी लोगों के कल्याण के लिये डम्बोरू पन बिजली परियोजनाएं	Damboroo Hydro Electric Project Schemes for Welfare of Displaced and Local Tribal People	36
2232	सिंथैटिक औषधि कारखाने	Synthetic Drug Plants	36
2233	"चाइल्ड मैरेज स्टिल कामन इन गुजरात" शीर्षक के अंतर्गत समाचार	News items "Child Marriages Still Common in Gujarat" .	36–37
2234	नये उर्वरक कारखाने चालू करना	Starting New Fertilizer Factories	37
2235	उत्तरी भारत में एक उर्वरक कारखाने का बंद होना	Closing of a Fertiliser Factory in Northern India . . .	37
2236	दिल्ली में विद्युत संकट की आशंका	Delhi to Face Power Crisis	38
2237	चौथी योजना में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की क्रियान्विति में प्रगति	Progress regarding implementation of flood control Schemes in Fourth Plan . . .	38
2238	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मीडिया यूनिटों के साथ समानता के बारे में भारतीय रेलवे लोक सम्पर्क संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Indian Railways Public Relations Association regarding Parity with media units of Ministry of Information and Broadcasting . . .	38–39
2239	दरभंगा से साकरी होते हुए लौकाहा तक बड़ी लाइन का बढ़ाया जाना	Extension of Broad Gauge line from Darbhanga to Loukaha *via* Sakri	39
2240	सोनपुर में ब्राडगेज की वर्कशाप की स्थापना	Setting up of broad gauge workshop at Sonepur . . .	39
2241	1974-75 के दौरान, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर होने वाला व्यय	Expenditure proposed to be incurred on Rural Electrific..tion Programme during 1974-75 .	39–40
2242	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग संबंधी मालवीय समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of the recommendations of Malaviya Committee on O. & N.G.C. . .	40
2243	बड़ौदा में 'सिविक गैस' परियोजना की स्थापना	Setting up of the Civic Gas Project at Baroda . . .	40
2244	सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के वैगनों के निर्माण में वृद्धि	Increased Manufacturing of Wagons in Public and Private Sector	41
2245	रेलवेज के कार्यसम्पादन और वित्तीय स्थिति का पर्यवेक्षण करने हेतु जोनल रेलवज़ के जनरल मैनेजरों की बैठक	...eting of General Managers of Zonal Railways to Review Performance and Financial situation	41–42
2246	घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखाने	Public sector Fertiliser Factories Running at a Loss	42

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2248	चौथी योजना के अंत तक सिंचाई क्षमता	Irrigation potential by the end of Fourth Plan	42
2250	पांचवीं योजना में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन लक्ष्य	Target of production of Chemical fertilizers during Fifth Plan	43
2251	पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में तेजी लाने के बारे में मैसूर राज्य का अनुरोध	Request by Mysore State for Speeding up Supplies of Petroleum Products . . .	43
2252	इन्टेग्रल कोच फैक्टरी द्वारा प्रथम श्रेणी के चेयर कार कोचों तथा 'टू टायर' एयरकंडिशंड का उत्पादन	Production of First Class Chair Car Coaches and Two Tier Air Conditioned Sleeper Coaches by Integral Coach Factory	44
2253	आवश्यक और गैर-आवश्यक औषधियों के 'मार्क-अप' को कम करने के लिये औद्योगिक लागत तथा मूल्य संबंधी ब्यूरो की सिफारिशें	Recommendations of the Bureau of Industrial Costs and Prices for Lowering of Mark-up of Essential and non-Essential Drugs	44
2254	केरल और मैसूर के बीच अंतर्राज्यीय बिजली ट्रांस्मिशन लाइन का निर्माण	Construction of Inter-State Power Transmission Line between Kerala and Mysore	45
2255	भटिंडा में तापीय संयंत्र	Thermal Plant at Bhatinda .	45
2256	उर्वरक उत्पादन में सुधार के लिए कार्यवाही	Steps to Improve Fertilizer production	45–46
2257	भागलपुर लूपलाइन के रास्ते से पटना और माल्दा के बीच एक तेज चलने वाली रेलगाड़ी आरम्भ करने तथा बरास्ता भागलपुर लूपलाइन आसाम मेल चलाने के बारे में मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन	Minister's assurance for starting a Fast Train between Patna and Malda *via* Bhagalpur Loopline and for starting Assam Mail *via* Bhagalpur Loop	46
2258	बंगलौर से बम्बई, हैदराबाद और दिल्ली के बीच बड़ी रेलवे लाइनें	Broad gauge Links to Bangalore from Bombay, Hyderabad and Delhi	46
2259	अद्यतन प्रकाशित समय सारणियों में गाड़ियों के दिखाए गए समयों में त्रुटियां	Discrepencies in Train Timings shown in Latest Published Time Tables . . .	47
2260	महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में रेलवे भोजनयान सेवा पुनः चालू करना	Resumption of Railway Dining Car Service on Important Mail and Express Trains	47–48
2261	सुकता बांध परियोजना	Sukta Dam Project	48
2262	मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और पूर्व निमाड़ जिलों में नर्मदा नदी के तटबंधों को बढ़ाने के लिये सर्वेक्षण	Survey for Extension of embankments of Narmada River in Hoshangabad and East Nimar Districts of M.P.	48

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2263	पूर्व निमाड़ जिला वाणिज्य मंडल (मध्य-प्रदेश) का वैगन शीघ्र सप्लाई करने के लिये अनुरोध	Request by East Nimar District Chamber of Commerce (M.P.) for prompt supply of wagons	48–49
2264	मैसर्स 'रोश' द्वारा अपने उत्पादों की लागत बढ़ा कर अत्यधिक लाभ अर्जित किया जाना	Making of fabulous profits by M/s. Roche by Inflating cost of their Products . . .	49
2265	रेल मार्ग पर से कोयला एकत्र करने वाले रेलवे कुलियों और गरीब जनता से रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा घूस लिये जाने का आरोप	Alleged acceptance of bribe by R.P.F. personnel from Railway coolies and poor people who collect coal from Railway track	49
2266	भारतीय तेल निगम द्वारा वर्ष 1972-73 में गैस-पैट्रोल तथा अन्य उत्पादों के लिये दिल्ली में दी गई एजेंसियां	Agencies given in Delhi by I.O.C. for Gas, Petrol and other products during 1972-73	49–51
2267	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का कार्यकरण और इसके चेयरमैन और निदेशकों की नियुक्तियां	Working of the Engineers India Ltd. and appointment of its Chairman and Directors	52
2268	दिल्ली स्टेशन से चलने वाली मेल/एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में साधारण सीट दिलाने के लिये कुलियों द्वारा यात्रियों से 4 या 5 रुपये लिया जाना	Charging of Rs. 4 to Rs. 5 by Coolies from passengers for providing ordinary seats in Mail/Express trains starting from Delhi Station	52
2269	उच्च न्यायलयों के न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक प्राधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिये सतर्कता प्राधिकरण की नियुक्ति की मांग	Demand for appointment of Vigilance Authority to check Abuse of Judicial Authority by High Court Judges . .	53
2270	मुसलमानों के वैयक्तिक कानून में परिवर्तन	Changes in the Muslim Personal Law	53
2271	उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट	Power Crisis in U.P. .	53–54
2272	कानूनी शिक्षा के स्तर में सुधार	Improvement in the Standard of Legal Education . .	54
2273	उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई में कटौती किया जाना	Power cut in Uttar Praaesh .	55
2274	उत्तर प्रदेश को कोयला ले जाने के लिये मालडिब्बे सप्लाई न किये जाने के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Non-Supply of Wagons for carrying coal to U.P. . . .	55
2275	बिजली कर्मचारियों तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बीच समझौता	Agreement between power Employees and DESU . .	56
2276	भारत में तेल की खोज कर रहे विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts in India engaged in Oil Exploration .	56

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2277	मध्य प्रदेश में मुख्य तथा मझोली सिंचाई योजनाएं	Major and Medium Irrigation Schemes in M.P.	56
2278	माल लाने ले जाने के लिये माल डिब्बों की कमी	Shortage of Railway Wagons for Movement of Goods .	57
2279	फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में एक तापीय बिजली घर की स्थापना	Setting up of a Thermal Power Station at Faizabad in U.P.	57
2280	बड़े स्टेशनों पर माल वैगनों की पहुंच तथा सप्लाई की स्थिति का दैनिक चार्ट में दिखाया जाना	Entry in Daily Chart of Arrival of Goods Wagons and Supply position at Major Stations .	57–58
2281	तीसरी श्रेणी के रेल यात्रियों के लिये आरक्षण की टाईप की हुई सूची का दिखाया जाना	Display of Typed Lists of Reservation for III Class Railway Travellers	58
2282	चल (फ्लोटिंग) विद्युत केन्द्र की स्थापना	Setting up of Floating Power Stations	58
2283	मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में सोन नदी के जल के बंटवारे में विवाद का हल	Settlement of Disputes re: Distribution of Sone Water amongst M.P., Bihar and U.P.	59
2284	पांचवीं योजना की अवधि के दौरान माल और यात्री यातायात में वृद्धि की संभावना	Additional Freight and passengers Traffic expected in the Fifth Plan period . .	59
2285	गोरखपुर उर्वरक कारखाने का विस्तार	Expansion of the Gorakhpur Fertilizer Factory . .	59
2286	वर्ष 1973-74 के दौरान जम्बिया को यात्री डिब्बों का निर्यात	Export of Coaches to Zambia during 1973-74 . . .	60
2289	तीस्ता बांध योजना	Teesta Barrage Scheme	60
2290	गुजरात में गांवों में बिजली लागाना	Electrification of Villages in Gujarat	61
2291	विदेशी औषधि फर्मों के विस्तार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव	Proposal to Restrict Expansion of Foreign Drug Firms . .	62
2292	कोयले की कमी के कारण यात्री तथा माल गाड़ियों का रद्द करना	Suspension of passenger and goods Trains due to Shortage of Coal	62
2293	पांचवीं योजना में विद्युत परियोजनाओं को उपकरणों की सप्लाई के लिये धन की व्यवस्था	Provision of Funds for Supply of Equipment to power projects in Fifth Plan . .	63
2294	मैसूर में बिजली की कटौती .	Power cut in Mysore	63
2295	रेल डिब्बों आदि के उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना	Self sufficiency achieved in Manufacture of Rolling Stock Equipment . . .	63

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2296	गोआ के तेल-शोधन कारखाने की स्थापना	Setting up of an oil refinery at Goa . . .	64
2297	तूफान पीड़ा निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर उड़ीसा में संरक्षणात्मक उपायों के लिये प्रस्ताव तैयार करना	Formulation of proposal for protective measures in Orissa on the basis of recommendations of Cyclone Distress Mitigation Committee	64
2298	हुबली डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) में कर्मचारियों को अतिरिक्त तथा फालतू बता कर पदावनति	Revertion of Staff on plea of Excess and Surplus Staff in Hubli Division (South Central Railway) . . .	65
2299	लोको रनिंग स्टाफ, हुबली-डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) की पदावनति के बारे में लोको रनिंग स्टाफ एसोशिएशन हुबली-डिवीजन से ज्ञापन	Memorandum from Loco Running Staff Association, Hubli Division regarding Reversion of Loco Running Staff, Hubli Division (South Central Railway)	65
2300	भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Inquiry into working of the Fertilizer Corporation of India	65
2301	भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों का सेवा-निवृत्त होना	Retirement of Directors of Fertilizer Corporation of India	66
2302	आंध्र प्रदेश में जल तथा तापीय बिजली घरों में अप्रयुक्त पड़े आयातित उपकरण	Imported Equipments lying idle at Hydro and Thermal Stations in Andhra Pradesh .	66
2303	आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर में पंप कर के जमा किये जल से विद्युत प्रजनन की योजना के लिये विद्युत प्रजनन उपकरणों का आयात	Import of Power Generation Equipments for Nagarjunsagar Pumped Storage Generation Scheme in Andhra Pradesh	66–67
2304	आंध्र प्रदेश में अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता का उपयोग	Utilisation of Non-Utilized Irrigation Potential in Andhra Pradesh	67
2305	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा बिजली और डीजल के इंजनों का उत्पादन	Production of Electric and Diesel Locomotives by Chittaranjan Locomotive Works	68–69
2306	स्टाफ परिषद को समाप्त करने और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की यूनियन को मान्यता देने की मांग	Demand for Scrapping of Staff Council and Recognition of Union in Chittaranjan Loco Works	69–70
2307	सुपर पार्सल एक्सप्रेस को चलाने के लिये दिल्ली और मुगलसराय के बीच 71 अप और 72 डाउन गाड़ियों का बंद किया जाना	Discontinuing of 71-Up and 72-Dn between Delhi and Mughalsarai for Running Super Parcel Express . . .	70
2308	कलकत्ता और अहमदाबाद के बीच सीधी गाड़ी चलाना	Running of Direct Train between Calcutta and Ahmedabad	70

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2309	एक जापानी फर्म द्वारा गोआ उर्वरक परियोजना स्थापित करने में विलंब	Delay in setting up of the Goa Fertiliser Project by a Japanese Firm	71
2310	सोडा एश के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Soda Ash .	71
2311	गुजरात स्थित रेलवे स्टेशनों से उर्वरक की अनधिकृत बुकिंग	Unauthorised Booking of Fertilizers from Railway Stations in Gujarat . . .	71
2312	रुस के साथ सहयोग से मैसूर बिजली निगम द्वारा बिजली परियोजनाओं का निर्माण	Construction of Electricity Projects by Mysore Power Corporation in Collaboration with Soviet Union . . .	72
2313	अंतर्राज्य नदियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना	Takeover of inter-State Rivers . . .	72
2314	रेलवे को मालडिब्बों की पूरी सप्लाई	Full Supply of Wagons to Railways	72–73
2315	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माणाधीन नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines under Construction during Current Financial Year . . .	73–74
2316	दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 488 तथा हिन्दू दत्तक-ग्रहण और संधारण अधिनियम के अधीन जांच, सुनवाई अथवा अपील संबंधी विलंब को कम करने के संबंध में विधि आयोग का सुझाव	Law Commission's Suggestion to Curtail Delays in Investigation, Trial or Appeal under Section 488 Cr. P.C. and under the Hindu Adoption and Maintenance Act . . .	74
2317	संघ सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में अपराधों की सुनवाई के लिये पृथक न्यायालय श्रृंखला स्थापित करने संबंधी विधि आयोग की सिफारिशें	Recommendation of Law Commission for Creation of Seperate Hierarchy of Courts for Trial of Officences relating to subjects Mentioned in the Union List . .	74–75
2318	विदेशी एकाधिकार वाली कम्पनियों द्वारा होटल और मत्स्य उद्योगों की स्थापना	Setting up of Hotel and Fishing industry by Foreign Monopolist Companies	75
2319	विदेशी एकाधिकार वाली कम्पनियों द्वारा अपने क्रियाकलापों का विस्तार	Expansion of Activities of the Foreign Monopolist Companies	75–76
2320	विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का अध्ययन	Examination of Reports submitted by Law Commission . .	76
2321	भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक	Meeting of Indo Bangladesh Joint Rivers Commission .	76–77
2322	उर्वरक के वितरण का कार्य कृषि मंत्रालय को दिया जाना	Transfer of the Work of Distribution of Fertilizers to Ministry of Agriculture . .	77

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2323	उत्तर रेलवे में स्टेनोग्राफरों को स्थायी करना	Confirmation of Stenographers on Northern Railway	78
2324	उत्तर रेलवे में वरिष्ठ स्टेनोग्राफरों के वेतन का पुनर्निधारण	Re-fixation of Pay of Senior Stenographers on Northern Railway	78
2325	रेलवे में आशुलिपिकों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Stenographers in Railways . . .	78–79
2326	खाद्यान्न लाने ले जाने के लिये वैगन पर्याप्त न होने सबंधी भारतीय खाद्य निगम की शिकायत	Complaint by Food Corporation of India regarding inadequate supply of Wagons to move Foodgrains . . .	79
2328	कोयले की चोरी से रेलवे को हानि	Loss to Railways due to Theft of Coal	79–80
2329	पोंग बांध क्षेत्र से निकासित व्यक्तियों को भूमि का आबंटन	Allotment of Land to Oustees of Pong Dam Areas . . .	80–81
2330	नई कांगड़ा घाटी रेलवे के निर्माण में प्रगति	Progress in construction of new Kangra Valley Railway .	81
2331	मिट्टी के तेल की राज्यवार मांग और पूर्ति	State-wise Demand and Supply of Kerosene Oil . . .	81–82
2332	भारतीय तेल निगम द्वारा लिपिक कार्य के लिये संगणक के प्रयोग का प्रस्ताव	Proposal to use computer in Clerical work by Indian Oil Corporation . . .	83
2333	जामेर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के निदेशक बोर्ड के सदस्य तथा मुख्य अंशधारी	Members of Board of Directors and Principal Shareholders of Jamair Co. Pvt. Ltd., Calcutta	83
2334	कुलजिअन कारपोरेशन आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डिवेलपमेंट कन्सलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाने वाला कारोबार	Nature of Business done by the Kuljian Corporation of India Private Limited and Development Consultants Private Limited	84
2335	उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद	Vacancies of Judges in Supreme Court	84
2336	महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बिजली परियोजनाओं को स्वीकृति	Clearance of Power Projects proposed by Maharashtra Government . . .	84–86
2337	दिल्ली में बिजली बद होना	Electricity Failure in Delhi	87
2338	उच्चतर न्यायपालिका के ढांचे और काय में परिवर्तन	Changes in the Structure and Functioning of Higher Judiciary	87
2339	कलकत्ता की भूमिगत रेलवे के लिए उपकरण का आयात	Import of Equipment for Calcutta Tube Railway	88

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2340	"हीराकुड परियोजना को पानी का स्तर कम होने से क्षति पहुँचने की आशंका" शीर्षक से समाचार	News item entitled "Fall in water level may Damage Hirakud Project" . .	88
2342	चीनी उद्योग में कम-पूंजी वाले कारखाने	Under-Capitalised Concerns in Sugar Industry . . .	88–89
2343	माल डिब्बों की कमी के कारण कोयले की कमी	Scarcity of Coal due to shortage of Wagons . . .	89–90
2344	जुलाई, 1973 में हिन्द मोटर रेलवे स्टेशन (पूर्वी रेलवे) में गोलीकांड	Firing at Hind Motor Railway Station (Eastern Railway) in July, 1973	90
2345	भारतीय रेलवे के प्रथम श्रेणी के डिब्बों को नया रूप देना	Re-designing of 1st Class Bogies for Indian Railways . .	90
2346	जनता रेलगाड़ियों का डीजलीकरण	Dieselisation of Janta Train Services	91
2347	भारतीय रेलवे में शिक्षित बेरोजगारों को बुकस्टालों का आबंटन	Allotment of Book Stalls to Educated Unemployed on Indian Railways	91
2348	उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	Rural Electrification Programme in Orissa	91–92
2349	दामोदर घाटी निगम से बिहार को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Bihar from DVC . . .	92
2351	अपने कारखानों का विस्तार करने की इच्छुक विदेशी औषधि कम्पनियां	Foreign Drug Companies seeking Expansion of their units	93
2352	पूर्वोत्तर रेलवे पर रेल मार्ग के दोनों ओर फिश प्लेटों के गायब हो जाने के मामले	Cases of Missing Fish Plates etc. on both sides of Railway Track on North Eastern Railway	93
2353	चौथी पंचवर्षीय योजना में गांवों में बिजली लगाने का लक्ष्य	Target for Rural Electrification under Fourth Plan . .	93–94
2354	विधि आयोग की सिफारिशों की शीघ्र क्रियान्विति के लिए विशेष सेल	Special Cell to expedite the implementation of Recommendations of Law Commission	94
2355	धनबाद डिवीजन के अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन का मंडल अधीक्षक, धनबाद के समक्ष प्रदर्शन	Demonstration by All India Station Masters' Association, Dhanbad Division before Divisional Superintendent, Dhanbad	94–96
2356	छोटे स्टेशनों पर कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य बिलों का वेतन क्लर्कों द्वारा भुगतान करने की मांग	Demand for Disbursement of Salary and other Bills to Staff at Road side Stations by Pay Clerks	96
2357	पूर्व रेलवे में वाणिज्यिक लिपिकों के रिक्त स्थानों का भरा जाना	Filling up of vacancies of Commercial Clerks on Eastern Railway . . .	97

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2358	पार्सल कार्यालय, धनबाद के कार्यकरण के बारे में अभ्यावेदन	Representation regarding Working of Parcel Office, Dhanbad	97
2359	धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) में कमर्शियल क्लर्कों को रेलवे क्वार्टर अलाट करने के बारे में नीति	Policy regarding allotment of Railway quarters to Commercial Clerks in Dhanbad Division (Eastern Railway)	97–98
2360	पांचवीं योजना में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये प्रस्ताव	Fifth Plan proposals for Flood Control measures	98
2361	पांचवीं योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रस्ताव	Rural Electrification proposals for Fifth Plan	98
2362	कच्चे तेल की सप्लाई के मामले में विदेशी कम्पनियों पर निर्भर करना	Dependence on Foreign Oil Companies for Supply of Crude Oil	98–99
2363	गत दो वर्षों में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटड, त्रावनकोर में प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति और नियुक्त किये गए नए व्यक्ति	Deputationists and New Hands appointed in the Fertilizers and Chemicals Ltd., Travancore during the last two years	99
2364	शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की सहकारी समितियों को दिए गए बुक-स्टाल	Book-stalls given to Cooperatives of Educated Unemployed	99–100
2365	निजी रुप से चलाई जा रही रेल लाइनें	Privately operated Railways lines	100
2366	बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी	Passengers Arrested for Travelling Without Tickets	100
2367	गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में स्वीकृत सिंचाई/विद्युत परियोजनाएं	Irrigation/Power Projects Sanctioned in M.P. during the Last Three Years	100–101
2368	गोंड़िया-जबलपुर छोटी लाइन को बड़ी लाईन में बदलना	Conversion of Gondia-Jabalpur Narrow Gauge Line into Broad Gauge Line	101
2369	केदारघाटी में भारी वर्षों से हुए भुस्खलन के कारण दो ग्रामों का दब जाना	Two Villages Buried on account of Land slide caused by Heavy Rains in Kedar Valley	101
2370	राजस्थान नहर का निर्माण	Construction of Rajasthan Canal	102–103
2371	विवाह योग्य आयुसीमा बढ़ाने के संबंध में निर्णय	Decision to raise the Marriageable Age	103
2372	समान सिविल संहिता	Uniform Civil Code	103
2373	पश्चिमी घाटों की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल का उपयोग	Utilisation of Waters of West Flowing Rivers of Western Ghats	103–105

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2374	राज्यों में बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं की कार्यान्विति	Implementation of Major and Medium Irrigation Schemes in States	105
2375	विदेशी तेल कम्पनियों से कच्चे तेल का आयात करने के बारे में करार	Agreement with Foreign Countries to Import Crude Oil .	106
2376	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में पार्सल क्लर्कों के पदों के लिए लिखित परीक्षा हेतु उन उम्मीदवारों को बुलाया जाना जिनके विरुद्ध कदाचार के मामले अनिर्णीत पड़े हैं	Calling of Candidates against whom cases of Misconduct are pending for written Test for Post of Parcel Clerks in Delhi Division (Northern Railway)	106
2377	आगरा के ईदगाह बिलोचपुरा तथा जमुना ब्रिज स्टेशनों पर शैड तथा आगरा-ईदगाह स्टेशन पर उपरि पुल का बनाया जाना	Shed on Platforms of Idgah, Bilochpura and Jamuna Bridge Stations of Agra and construction of Overbridge at Agra Idgah Station . .	107
2378	आगरा-लखनऊ और आगरा-इलाहाबाद गाड़ियों में अधिक बोगियां लगाना	More Bogies for Agra Lucknow and Agra Allahabad Trains	107
2379	आगरा-अजमेर मीटरगेज लाईन को बड़ी लाईन में बदलना	Conversion of Metre Gauge Agra Ajmer line into Broad Gauge	107–108
2380	परखम (पूर्वोत्त रेलवे) में एक फ्लैग स्टेशन बनाना	Flag Station at Parkham (North Eastern Railway) . .	108
2381	वर्ष 1972 तथा 1973 के दौरान दक्षिण रेलवे में रेल दुर्घटनाएं	Railway Accidents on Southern Railway during 1972 and 1973	108
2382	रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं का विनियमन	Regulation of Services of Casual Labourers on Railways .	109
2383	कुछ रेल कर्मचारियों की सांठ-गांठ से रेलवे में माल की चोरी	Pilfering of Goods from Railways in Collusion with a Section of Railway Staff . . .	109
2384	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा मेसर्स त्रिवेणी फर्टीलाइजर एंड कैमीकल्स कारपोरेशन को वितरक नियुक्त किया जाना	Appointment of M/s. Triveni Fertiliser and Chemicals Corporation as Distributors by FCI	110
2385	गंगा बेसिन आयोग	Ganga Basin Commission	110
2386	ड्रिलिंग रिगों तथा भूभौतिक उपकरणों के लिए रुस से बातचीत	Negotiations with Soviet Union for Drilling Rigs and Geophysical Equipment . . .	111
2387	दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे खान-पान विभाग में कदाचार	Malpractices in Railway Catering Department at Delhi Railway Station . . .	111
2388	'गाज़ियाबाद में रेलवे के कोयले से गुजारा' शीर्षक से छपा समाचार	News item entitled "Ghaziabad Men Railway Ke Koyale Se Gujara". . .	112

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2389	भारतीय रेलवे में आधुनिक रेल पटरियों का प्रयोग	Modern Track Structures on Indian Railway	112
2390	दिल्ली और अहमदाबाद के बीच मीटरगेज लाईन पर डीलक्स या तेज गाड़ियाँ चलाना	Running of De-Luxe or Fast Trains between Delhi and Ahmedabad on Metre Gauge Line	113
2391	वैगन बनाने वाले छह यूनिटों द्वारा रेलवे को वैगनों की सप्लाई	Supply of Wagons to Railways by the Six Wagon manufacturing Units . . .	113
2392	मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड को अमरीकी प्रशंसा पत्र	U.S. Award for the Madras Refineries Limited . .	114
2393	तमिलनाडु में बिजली के संकट की पुनरावृत्ति रोकने के लिये उपाय	Steps to ensure against Recurrence of Power Crisis in Tamil Nadu	114–115
2394	छोटी कम्पनीयों की तुलना में 1501 मध्यम दर्जे और बड़ी सरकारी लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अधिक लाभ कमाना	Higher Profit Margin of 1501 medium and large Public Limited Companies than Small Companies . .	115–116
2395	कुछ वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए मैसर्स सैन्डोज (इंडिया) लि० को दिया गया सी० ओ० बी० लाइसेंस	C.O.B. Licence granted to M/s. Sandoz (I) Ltd. for producing certain Items . .	116–117
2396	औषध उद्योग द्वारा अपेक्षित रसायनों के अभाव को दूर करने के लिये कार्यवाही	Steps to end shortage of Chemicals required by Drug Industry	117
2397	नई दिल्ली-आसाम मेल को बरास्ता फरक्का चलाना	New Delhi Assam Mail Route *via* Farakka	118
2398	मूंदड़ा तापड़िया उद्योग समूह के मिनी आयल कंपनी का भारतीय तेल निगम के विरुद्ध कथित झूटे दावे	Allegedly False Claims put by the Mini Oil Company of Mundhra Tapuriah Group on IOC	118
2399	फालना रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के रुकने के समय का बढ़ाया जाना	Increase in Halting time of Trains at Falna Station .	118–119
2400	इम्पैक्ट पब्लिकेशन लिमिटेड, दिल्ली का परिसमापन	Liquidation of Impact Publications Ltd., Delhi . . .	119

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
विदेशों को जाने वाले जहाजों पर पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ द्वारा चावल और मूंगफली लादने से इंकार किये जाने का समाचार	Reported refusal by Port and Dock Workers' Federation to load rice and groundnuts on ships bound for foreign countries	
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate .	119,120–121
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur .	120,121 122,123 124
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	125–126
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha .	126
स्टेट बैंक विधियां (संशोधन) विधेयक—सभा पटल पर रखा गया	State Bank Laws (Amendment) Bill—Laid on the Table .	126
उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और कुछ अन्य जिलों में बाढ़ के बारे में	*Re.* Flood in Faizabad and some other Districts of Uttar Pradesh	126–128
भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक	Indian Railways (Amendment) Bill—	
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary . .	129
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	129–130
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi	130–131
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan . .	132
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma .	132–133
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	133
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	133
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik . . .	134
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve . .	134
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi .	134–135, 136
उत्तर प्रदेश में उद्घोषणा के बारे में संविधिक संकल्प—	Resolution *Re.* Proclamation in relation to Uttar Pradesh—	
श्री उमा शंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit .	140–141, 145
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu . .	141,142–145

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 7 अगस्त, 1973/16 श्रावण, 1895 (शक)

Tuesday, 7 August, 1973/Sravana 16, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKAR *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Goods Traffic handled by the Indian Railways during April and May, 1973

*221. **Shri Shrikrishna Agrawal:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether goods traffic handled by the Indian Railways during April and May, 1973 has been much less than the target fixed;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the measures adopted by Government to achieve the target?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अप्रैल और मई 1973 के दौरान प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक यातायात का लदान इन दो महीनों के लिए प्रत्याशित लदान की तुलना मे 20.5 लाख मीटरिक टन कम हुआ।

(ख) लदान में यह कमी अनेक कारणों के सम्मिलित परिणामस्वरुप हुई जैसे रेल कर्मचारियों की हड़ताल तथा आंदोलन, बिजली की व्यापक रुप से कमी और बिजली का बार–बार बंद हो जाना–विशेष रुप से पूर्वी क्षेत्र में, सख्त सूखा और गर्मी जिसका प्रभाव रनिंग कर्मचारियों की तथा भाप इंजनों के लिए पानी की उपलब्धता पर पड़ा, कुछ रेलों पर कोयले की कठिन स्थिति जिसका प्रभाव भाप द्वारा चालित गाडियों के संचलन पर पड़ा और उत्तर रेलवे के एक सीमित क्षेत्र से भारी मात्रा में अनाज की ढुलाई।

2—19 LSS (ND)/73

(ग) रेलों के परिचालन कार्य पर प्रतिदिन कड़ी निगाह रखी जा रही है और यदि लदान में गिरवट की कोई प्रवृत्ति दिखायी देती है तो उसे रोकने के लिए शोधक उपाय भी किये जा रहे हैं। लदान फैरों में सुधार करने के उद्देश्य से, माल लादने और उतारने के काम में शीघ्रता लाने के लिए व्यापारियों और रेलों परिसम्पत्तियों के प्रमुख उपभोगकर्ताओं से सहयोग देने का निरंतर अनुरोध किया जा रहा है। रेल सवाओं को परम आवश्यक सेवाएं घोषित कर दिया गया है और भारत रक्षा नियम लागू कर दिये गये हैं ताकि हड़तालों का अनिवार्यतः निवारण हो सके।

Shri Shrikrishna Agrawal : In the statement hon. Minister has admitted the shortfall and that steps are being taken in this regard. I want to know the steps being taken to supply the indents of wagons to the Waltar Division of South Eastern Railway in Madhya Pradesh.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Some wagons could not be supplied earlier. This time of goods traffic has declined and the reason of which have already indicated. Certain strikes took place. Power shortage was also one of the factors movement of foodgrains from northern region to the other areas caused return of empty wagons as a result of which carrying of goods reduced to a great extent. For this year we have prepared a programme under which 10 million tons of additional goods including coal, raw material, iron, cement, fertilizers, foodgrains and oil would be transported. Thus, there is no shortage of wagons. There are certain wagons for which indents have been received but goods have not been loaded in them. It does not indicate that there is a shortage of wagons. Actually there was certain difficulty in regard to loading of coal and I hope it would be removed very soon. Power cut was not a factor of this difficulty.

Shri Shrikrishna Agrawal : Indents were received in April last year. Power shortage or certain other impediments caused adverse effect on business and lifting of forest produce. Forest produce is a major business in our region and when forest produce is not transported it causes heavy loss to the Government as well as to the farmers and the workers. Are you taking steps to supply wagons for them ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Some wagons could not be supplied earlier. This time full supply would be made as the indents are received.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार अप्रैल और मई, 1973 के दौरान प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक यातायात का लदान इन दो महिनों के लिये प्रत्याशित लदान की तुलना मे 20.5 लाख मीट्रीक टन कम हुआ है। इस हिसाब से प्रत्येक महीने में औसतन 10 लाख टन की कमी हुई जो बहुत अधिक है। मैं जानना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय ने अनुमान तैयार करते समय किन कारणों पर विचार नहीं किया जिनसे, अनुमान तैयार करने के तुरंत बात ही प्रत्येक महीने में 10 लाख टन की कमी हुई। वे क्या कारण थे जिनको ध्यान में नहीं रखा गया? क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि सड़क परिवहन से माल की ढुलाई होने के कारण कितनी कमी हुई है?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : पहले दो महीनों में गाड़ियां चलाए जाने की स्थितियां अत्यंत प्रतिकुल थीं तथा इन आंकड़ों से परिस्थिति का पता चलता है, जहाँ तक कारणों का संबंध है पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में व्यापक रूप से बिजली की कमी रही तथ। बार–बार बिजली बन्द रही। अप्रैल महीने के दौरान केवल दक्षिण पूर्व रेलवे में लगभग 374 बार बिजली की कटौती हुई जिस में 435 गाडियों पर बुरा प्रभाव पडा। ये आंकड अप्रैल मई के हैं। मई में लगभग 298 मामले हुए जिससे 442 गाड़ियों पर प्रभाव पड़ा। बिजली बन्द होने की घटना का गाड़ियों के चलने पर एक विशेष क्षेत्र में नहीं बरन देश भर में गम्भीर प्रभाव पड़ता है। बिजली की कमी का हमारे लोको शैड, हमारें मार्शलिंग यार्डों और सिगनल तथा केवल संबंधी यंत्रों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र में सूख की गम्भीर स्थितियों के कारण उत्तरी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र को भारी मात्रा में खाद्यान्न ले जाना पड़ा हमें इतने अधिक खाद्यान्नो की ढुलाई की कोई अनुमान नहीं था जिसके परिणाम स्वरुप हमें बहुत से माल डिब्बे खाली लाने पड़े। सामान्य स्थिति में उन माल को ढोया जा सकता था जो वहाँ छोड़ दिया गया। अन्य असामान्य स्थिति यह थी कि हमें केरल को खाद्यान्न की ढुलाई करनी पड़ी जिसकी कोई सम्भावता नहीं की जिससे आप में इतनी अधिक कमी हुई। इन्हीं कुछ कारणों से यातायात आय में कमी हुई है।

गत वर्ष के अप्रैल महिने से तथा 23 से 26 मई तक की गई हड़तालों से सरकार को विवश होकर भारत रक्षा नियमों की उदघोषणा करनी पड़ी। इस अल्प अवधि में सम्पूर्ण परिवहन प्रणाली अस्त-व्यस्त हो गई। जैसा की मैं कह चुका हूं रेलवे प्रणाली शरीर में नाड़ियों के भांति काम करती है। किसी एक स्थान पर भी खराबी उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण प्रणाली खराब हो जाती है। ऐसा ही हुआ है। बड़ी संख्या में की गई इन हड़तालों ने यातायात को अस्त-व्यस्त कर दिया है। यातायात आय में कमी होने का उन पर भी उत्तरदायित्व है। सड़क परिवहन के बारे में मेरा कहना है कि उस ओर अधिक माल यातायात नहीं गया है।

Shri Jagannath Mishra : In the beginning of this year, due to the shortage of coal, the running of goods trains was discontinued as a result of which transportation of goods was affected. May I know the steps already been taken by the Government to ensure supply of coal so that goods traffic is not affected?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It is a fact that shortage of coal caused certain difficulties. But, as the hon. Member knows, after the nationalisation of coal mines some teething trouble was there. However, the position is improving. I hope there would be full loading of coal. Although there is no shortage of coal stock for steel plants, thermal plants and cement factories yet Railways have created certain difficulties for themselves but those difficulties are likely to be removed in a few days.

Shri Jagannath Mishra : I don't agree to what the hon. minister has said that difficulties would be removed. It has been reported in the to-day's newspaper itself that trains have been suspended in want of coal. How can he say that there is no shortage? How have the arrangements for coal been made?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Coal stock for loco was not as much as required. It was less. Therefore we had to reduce the number of trains to preserve the coal stock and not because there was not coal.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने वक्तव्य में तथा उत्तर देते हुये भी कहा है कि हड़तालों आदि के कारण यातायात आय में कमी हुई है। क्या यह सच है कि बड़े व्यापारी भी इस कमी के लिये जिम्मेवार हैं क्योंकि वे अपने माल को समय पर नहीं उतारते? बड़े व्यापारियों के असहयोग के कारण कई दिनों तक मालडिब्बे भरे खड़े रहते हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : खाद्यान्नों की सम्पूर्ण ढुलाई भारतीय खाद्य निगम की ओर से की जाती हैं। सम्भव है कोई एखाघ मामला ऐसा हो जिसमें कोई चालाक व्यापारी माल डिब्बें का उपयोग गोदामों के रूप में करता हो। हमने विलम्ब शुल्क और स्थानशुल्क में वृद्धि कर दी है। इस से बेईमान व्यापारियों द्वारा घेरे रहने वाले मालडिब्बों की संख्या में काफी कमी हुई है।

Shri M. Ramgopal Reddy : May I know the steps being taken to recover the loss suffered during the period of two months. May I also know the amount of loss to the Railways caused by transporting less goods in the last two months?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : According to our estimates goods traffic of 10 million tones is likely to be handled in addition to the figures for 1973-74. It would meet the shortfall caused in the recent past. I also hope that we would get some more goods for loading. So far as the amount of loss is concerned figures are not available to me. I will submit the figures when they are received.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : Is it not a fact that goods traffic is reduced because of the fact that large quantity of goods is destroyed in transit, goods are stolen and that Railways could not succeed in protecting the goods as a result of which traders and other persons prefer to send their goods through road traffic?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : There are no facts in it. A little traffic which is diverted to Road transport does not make significant effect.

Shri Hukam Chand Kachwai : It has been admitted by the hon. Minister that strikes have caused reduction in goods traffic. Were you not aware of these strikes? I want to know the number of strikes taken place. It has also been admitted that there is no shortage of wagons. Many persons have got wagons booked for transportation of their goods but they have not received wagons. I want to know as to how many wagons were booked by the persons since July 1972 to upto date and how many wagons were actually supplied to them. People complain that wagons are supplied to them only when they please the officers. I want to know the number of wagons booked and actually supplied to the persons.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Under rules workers are entitled to go on Strike. There are certain rules under which this right can be availed. First of all ballot is taken and the workers are asked whether they want to go on strike or not. If more than 75 percent of workers vote for strike then at least 14 days notice is served to the Government. No such notice has been given to the Government.

Shri Hukam Chand Kachwai : Information of strike was available to you earlier.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The strike was illegal. We were not given any intimation according to rules.

Shri Hukam Chand Kachwai : How many wagons were booked by the persons from July 1972 to July 1973 and how many wagons were supplied to them with the number of persons?

Mr. Speaker : It is a general question. You are asking the number of wagons booked and supplied. It does not arise out of it. He should give a separate notice.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has admitted that there is no shortage of wagons. But people do not get wagons though they have booked.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I want a separate notice for it.

Shri Hukam Chand Kachwai : I seek your ruling. The hon. Minister has stated that there is no shortage of wagons. But people complain that they are not given wagons. Kindly ask him to reply to it latter on.

Mr. Speaker : Does not arise. You may give notice.

Shri Hukam Chand Kachwai : On the one hand it is stated that there is no shortage and on the other hand wagons are not supplied to the persons.

Mr. Speaker : A habit of defying the speaker has unnecessarily been developed. Why don't you take your seat?

Shri Hukam Chand Kachwai : I am prepared to obey you. But when he has admitted that there is no shortage of wagon, I want to know the reasons for not supplying the same.

Mr. Speaker : You are putting question like this way that now a days there is a shortage of foodgrains and the reason for it is the failure of crops and it is because of inadequate rains. At this point certain member interrupts with the question as to how many inches of rainfall is recorded daily from July to September. You are asking like this way. He would furnish the information you want after collecting it.

श्री जगन्नाथ राव : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि रेलवे गैर-सरकारी सड़क परिवहन के साथ गम्भीर प्रतियोगिता का मुकाबला कर रही है। क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से यह अनुरोध करेगी कि सडक परिवहन निगमों की स्थापना की जाए जिसमें रेलवे भी साथीदार हों ?

दूसरा प्रश्न यह है कि चोरी के कारण रेलों को कितनी हानि हुई है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : चोरी तथा अन्य मामलों में मुआवजे के रूप में रेलों को 12 करोड़ रुपयों की हानि हुई। सड़क परिवहन प्रणाली तथा रेल परिवहन में समन्वय स्थापित करने का हर प्रयास किया जा रहा है तथा रेलवे ने कंटेनर प्रणाली तथा फ्रेट फारवार्डिंग प्रणाली आरंभ की है जिनके अन्तर्गत अधिक दूर भेजी जाने वाली वस्तुओं तथा अधिक दर वाली वस्तुओं को सुरक्षित पहुंचाये जाने तथा माल प्राप्त करने को उसी स्थिति में माल सोंपने की गारंटी दी जाती है जिस स्थिति में वह भेजा गया था। सड़क परिवहन प्रणाली का मुकाबला करने के लिये यह कुछ कार्यवाही की गई है तथा हमारी यह नीति है कि जिस क्षेत्र में सड़क परिवहन सस्ता तथा न्यायोचित समझा जाए उसमें रेलों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

तेल के अन्वेषण सम्बन्धी एक अलग मंत्रालय बनाना

*223 **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री तेल के अन्वेषण सबन्धी एक अलग, मन्त्रालय बनाने के बारे में 8 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9509 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालवीय समिति की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन के बारे में मालवीय समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों पर सरकार के उच्चतम स्तर पर अभी जांच की जा रही है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Bhogendra Jha : Malaviyaji himself had been the oil Minister. May I know the reasons for which the acceptance of the recommendations of the Committee under his chairmanship is being delayed for such a long time? Is it not a fact that one of the causes of this delay is the pressure of foreign oil companies, American and British, on the oil Ministry as a result of which the said Ministry is unable to take any decision? If it is not so, what are the specific reasons for delaying the matter?

Shri D. K. Borooah: The total recommendations of Malaviya Committee were 153. Government have accepted 97 recommendations. 46 recommendations including one dealing with reconstruction, were under consideration. Before I came here I got the information from the office of the Prime Minister that all the recommendations, except one which is of a little importance, were accepted. Out of these 46 recommendations which are under consideration certain cases have financial implications. Therefore we have taken up the matter with the Finance Ministry. Certain recommendations dealing with technical points are not to be accepted by us. These recommendations will be forwarded to O.N.Q.C. and any decision will be taken by them. All the recommendations except ten-twelve have been accepted so far and we will try to submit them in both of the Houses on the 14th day of the month. The reason which was mentioned was very important and significant and serious consideration was to be given. It was not connected with my ministry only but it was related to other ministries also. All the concerned ministries have to consider over it.

Mr. Hon. Member: 14th is a holiday.

Shri D. K. Borooah: Then it would be done on the 15th. We have taken decision. The only thing is that it is to be produced before this House. We will do according to the instructions of the hon. speaker.

Shri Bhogendra Jha: It has been stated by the hon. minister that except a little care all the suggestions have been accepted by the office of the Prime Minister.

Shri D. K. Borooah: I don't have this much command over Hindi. By a little I mean that the matter is significant but it has only point.

Shri Bhogendra Jha: My question was regarding the pressure from the foreign oil companies. It is not related to this question but the oil ministry and the entire Country are disturbed over this issue. Recently prices had to be increased. In these circumstances may I know whether Government are considering over any proposal to nationalise Esso, Caltex and Burma-Shell or at least to take the management of these companies to their hands?

Shri D. K. Borooah: So far as my information is concerned it was not recommended by Malaviya Committee.

Shri Bhogendra Jha: It is a relevant for this oil ministry .

Mr. Speaker: The question of the hon. Member is related to Malaviya Committee.

श्री राजा कुलकर्णी : क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के चेयरमन की नियुक्ति, आयोग के पुनर्गठन पर सरकार द्वारा निर्णय न करने के कारण रुकी हुई है?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री देवकान्त बरुआ : मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा . . .

श्री जी० विश्वनाथन : जब आपने इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी है तब मंत्री महोदय इस का उत्तर कैसे दे सकते है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री मेरे विनिर्णय से कही अधिक अधिकार संपन्न है ।

श्री राजा कुलकर्णी: क्या उक्त आयोग के चेयरमैन के कृत्य उसके पुनर्गठन से संबंधित है ?

अध्यक्ष महोदय : आप भी तो उससे संबंधित है ।

श्री पी० वेंकटासुबया : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन संबंधी मालवीय समिति की सिफारिशों को देखत हुए क्या आयोग का स्वायत्त स्वरूप स्वीकार कर लिया गया है ? दूसरे यह शिकायत की जाती है कि उक्त आयोग में तकनीकी अधिकारियों की अपक्षा नोकरशाहों का अधिक प्रभुत्व है, तो आयोग के पुनर्गठन में किए जाने वाले परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या है ?

श्री देवकान्त बरुआ : यह आयोग स्वायत्त निकाय के रुप में कार्य करता है । फिर भी इसे समय समय पर मंत्रालय से निदेश लेने पडते हैं । मालवीय समिति का उद्देश्य इसे अधिक अधिकार देना और इसे अधिक प्रभावी बनाना है । इसकी रिपोर्ट सदस्यों को उपलब्ध ही है फिर भी यदि वे चाहे तो मैं ब्यौरा दे सकता हूं परन्तु सूची बहुत लम्बी है ।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया : क्या इसका स्वायत्त स्वरुप बनाए रखा जाएगा ?

श्री देवकान्त बरुआ : यह स्वरुप न केवल बना रहेगा अपितु इसे और सुदृढ किया जाएगा ।

श्री जी० विश्वनाथन : क्योंकि मंत्रालय तेल की खोज करने में पूर्णतया असफल रहा है, इसलिए बम्बई के खुले समुद्र में तेल की खोज करने के क्या प्रयास किए जा रहे है जबकि सरकार ने इस क्षेत्र में अन्य देशों की सहायता भी ठुकरा दी है ?

श्री देवकान्त बरुआ : क्यों कि मैं उनके मत से सहमत नहीं हूं अत: मैं उनके अनुपूरक प्रश्न का उत्तर भी नहीं दूंगा ।

श्री जी० विश्वनाथन : उन्होंनें मेरे दूसरे प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया है कि बम्बई में खुले समुद्र में, जहां तेल मिलने की अच्छी संभावनाएं है, सरकार तेल की खोजके क्या प्रयास कर रही है ?

श्री देवकान्त बरुआ : उनका यह प्रश्न भी तो पहले प्रश्न पर आधारित है । क्योंकि मुझे उनकी पहली बात ही स्वीकार्य नहीं है, अत: मैं दूसरे का उत्तर कैसे दे सकता हूं ।

श्री जी० विश्वनाथन : मेरा तो यही मत है कि सरकार असफल रही है, दूसरी बात तेल की खोज के प्रयास से संबंधित है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बरुआ आप तो स्वयं अध्यक्ष रहे है, सदस्य अपने प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर चाहता है जो उसे मिलना चाहिये और जो दूसरे से पूर्णतया भिन्न है । अत: दूसरे भाग के बारे में बताएं ।

श्री देवकान्त बरुआ : मैं अपनी गलती मानता हूं । जहां तक बम्बई का प्रश्न है हमने 'सागर सम्राट' नामक प्लेटफार्म जापान से निर्मित कराया है और समुद्र में स्थिति सामान्य होते ही यह चालू हो जाएगा ।

श्री जी० विश्वनाथन : यह प्रस्ताव तो पांच वर्ष पहले आया था ।

श्री देवकान्त बरुआ : परन्तु यह तो जून में ही आया है ।

Shri N. N. Pandey: Have the Government considered the two recommendations of Malaviya Committee regarding creation of an independent Commission to look after exploration and other matters, if so, what steps have been taken in this regard?

Shri D. K. Borooah: The recommendation regarding giving full autonomy has been accepted but it had to be amended.

Shri Madhu Limaye: As stated by the hon. Minister the exploration ship for Japan would go into operation as soon as weather conditions are favourable. So whether in the North Sea, which is always rough, such exploration is always in progress? In fact, according to a geologist, some defect has developed in the ship due to wrong study of the sea-bed. Will he admit this fault and try to rectify it?

Shri D. K. Borooah: This platform which we have acquired from Japan is known as Jack-up type and it cannot be operated if the waves are higher than 8 feet and the wind speed also exceeds certain limit. During Monsoon, the waves in the Arabian Sea rise much higher and the wind-speed is also very high, therefore, work is not possible for 2-3 months. Recently, two such Jack-ups operated in Burma also. A Minister from Burma was here recently and we held talks in this regard. These two Jack-ups perished due to strong winds.

Regarding North Sea, it is true that waves and wind-speed is high there but another improved system, semi-reversible, is used. Many years before Jack-ups were used, but these had perished there also. So, except for two months, these will operate here.

श्री परिपुर्णानन्द पैन्यूली : मालवीय समिति की एक सिफारिश गहरे समुद्र में तेल की खोज करने का कार्य एक पृथक संगठन को सौपने के बारे में है और क्योंकि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग यह कार्य पहले ही कर रहा है और उसके पास विशेषज्ञ तथा आवश्यक उपकरण भी है तो क्या यही कार्य दो स्थानों पर नहीं होने लगेगा ? क्या श्री हकसर की अध्यक्षता में एक समिति इस आयोग का पुनर्गठन करने के लिए बनाई गई है ।

Shri D. K. Borooah: It is true that a Committee has been set up under the Chairmanship of Shri P. N. Haksar and Dr. B. N. Nagchaudhri and Dr. Ramanna, Members of Atomic Energy Commission are its members.

About the second point regarding duplication of work, the difficulty arises in shaping it as a separate department or giving it special antonomy, otherwise, they would not be able to function.

डा० रानेन सेन : मालवीय समिति की उन दो सिफारिशों का क्या हुआ जो इस आयोग को परमाणु ऊर्जा आयोग की तरह का बनाने और उसे तेल की खोज का ही नहीं खुदाई और तेल निकालने का काम भी सौपने के बार में है ?

श्री देवकान्त बरुआ : जहां तक प्रधान मंत्री को उसका अध्यक्ष बनाने का प्रश्न है यह विचाराधीन है । फिर भी इस समय आयोग का मुख्य उद्देश्य खोज करना और खुदाई करना ही है ।

डा० रानेन सेन : मालवीय समिति ने आयोग को अधिक अधिकार देने की भी सिफारिश की है, तो क्या उसे स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री देवकान्त बरुआ : जी हां । खोज और खुदाई दोनों पर ही बल दिया गया है क्योंकि खोज के बिना यदि खुदाई जारी रहेगी तो कुएं खाली हो जाएंगे ।

Difficulty faced by farmers due to non-availability of Diesel Oil at the time of irrigation

*224. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether diesel is needed more for diesel engines used for irrigation purposes than for buses and trucks in the country;

(b) whether farmers are facing a great deal of difficulty due to the non-availability of diesel at the time of irrigation; and

(c) the scheme being considered by Government to obviate the said difficulty for the future and the time by which the said scheme would be implemented?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D. K. Borooah) : (a) There are two varieties of diesel oils. Light Diesel Oil (LDO) is for low speed motors and is predominantly used for irrigation pumps. It is not used (and cannot be used) for buses and trucks. High Speed Diesel Oil (HSDO) is for high speed motors and is used predominantly for buses, trucks etc. Its use for irrigation purposes is negligible, probably less than 10% of its total consumption.

(b) There had been big spurt in demand of light diesel oil in the north-west region particularly in Gujarat, Rajasthan, Punjab and Haryana and I may add western U. P. due to the severe drought conditions in the last few months. This initially could not be met in full primarily due to the problems of logistics. However, the position improved from May onwards and since then adequate stocks of both High Speed Diesel Oil and Light Diesel Oil are available.

(c) Indigenous production of diesel oils is being maximised. Wherever possible imports are being made. A review is being made of storage facilities available in the areas of concentrated demand for the agriculturists and these will be augmented as necessary so that buffer stock is built up prior to the commencement of the busy season.

Shri Nathuram Ahirwar : The hon. Minister has stated that diesel oil is of many varieties. May I inform him that last year most of the crops withered away simply because diesel oil was not available for oil engines used for irrigation in Madhya Pradesh, particularly in Bundelkhand area, though it was available for motor vehicles. So, do the Government propose to ensure sufficient stocks of diesel oil before December for the coming Rabi Crops so as to obviate inconvenience to farmers?

Shri D. K. Borooah : It is true that there was scarcity of diesel oil in Madhya Pradesh. In fact it was an all-India phenomenon and was due to power-shortage. But I had also stated that in major grain-producing areas like Punjab, Haryana and Western U. P. more oil was made available, for example in May, 25 percent to Punjab, 30 percent to Haryana and 60 percent to Western U. P. Much less was demanded from Madhya Pradesh and the demand was fully met. However, more care would be taken in future to supply more.

Shri Nathu Ram Ahirwar : Will steps be taken to supply the demands after ascertaining it from the State as to the areas where diesel-sets have been provided?

Shri D. K. Borooah : Certainly.

Shri Buta Singh : According to the hon. Minister, the farmers use two types of diesel oil i.e. L.D.O. and H.S.D.O., but is it also not true that due to power shortage, mostly H.S.D.O. is used by them as they had to operate their sets with the help of tractors?

Is he also aware that during shortage, the oil agency-holders compelled the farmers to purchase unnecessary spare-parts alongwith diesel and thus exploited them? So, do the Government propose to arrange the distribution of diesel through Cooperatives or State Governments to save farmers from exploitation?

Shri D. K. Borooah : Such a complaint was received from Punjab Government and after consultation it has been rectified. Later Punjab Chief Minister and Agriculture Minister intimated that things have been set right. However, your observation would be kept in mind when a demand comes from that State.

Shri Krishna Chander Halder : He is aware that there is foodgrain shortage in the country and as such irrigation is a must. So, do the Government propose to supply diesel oil to farmers at subsidized rates?

Shri D. K. Borooah : No Sir, there is no such proposal.

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know the supply and availability position as well as the shortfall of diesel oil and proposed steps to remove the shortage?

Shri D. K. Borooah : The H.S.D. production is 5,098,000 tonnes and that of L.D.O. is 1,164,000 tonnes. The imports are to the tune of 3,42,000 tonnes of H.S.D. and 3,085 tonnes of L.D.O. The short-fall is to the tune of 17,000 tonnes of H.S.D. and 28,000 tonnes of L.D.O. which is not significant.

Shri Onkar Lal Berwa : I wanted to know when this shortage would be removed.

Shri D. K. Borooah : There is a very marginal shortage.

Shri Shankar Dayal Singh : I want to know whether Government proposed to make separate allotment for pumping sets and motor-vehicles as most of the diesel oil is consumed by the latter and it is essential for food production in drought-hit areas? How much additional diesel is proposed to be allotted to Bihar under the revised policy?

Mr. Speaker : The question about Bihar is not relevant.

Shri D. K. Borooah : Mostly L.D.O. is used in pumps. The total consumption of diesel is 3 percent and that of L.D.O. is 40 percent. Therefore, the demand would not be affected as long as power-supply is normal. There is no shortage of either for areas having no power for pumps. But the difficulty arises when power cut affects the working of pumps. In that case, meeting the demand of diesel for these areas as well as drought-hit areas becomes difficult. But we tried this time and if power-cut would not have been there in Punjab, Haryana and Western U. P., there would have been no diesel shortage.

Shri Awdhesh Chandra Singh : I would like to know whether the Minister has received complaints to the effect that diesel is being adulterated on a large scale and that farmers are compelled to purchase certain spare parts and oils of other kinds and if so, what is the solution?

Shri D. K. Borooah : The complaints have been received to the effect that kerosene is mixed with diesel. But I have not received any such complaint that people of the villages who purchase the diesel are compelled to purchase other things.

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि० के केप्रोलेक्टम संयंत्र की स्थापना में विलम्ब की जांच

*225. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि० के केप्रोलेक्टम संयन्त्र के कार्यों को उच्चस्तरीय जांच कराने का निर्णय किया है;

(ख) क्या आशय पत्र जारी करते समय केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी को बताया था कि वे अमरीकी सहायता/ऋण में से कम्पनी के लिए विदेशी मुद्रा संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे, परन्तु कम्पनी ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था; और

(ग) क्या परियोजना के मूल लागत अनुमान में वृद्धि होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी नहीं ।

(ख) जनवरी, 1967 में सरकार ने गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को सूचित किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए यू० एस० एजेंसी ने उनके कैप्रोलैक्टम् परियोजना में रुचि के संकेत दिए हैं । सरकार ने भी कम्पनी को कहा है कि वे औपचारिक ऋण के लिए आवेदन पत्र दें। तथापि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जिनमें कम्पनी कार्य कर रही है, के साथ साथ उन्हें यू० एस० प्रौसेस लाइसेंसर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए, उन्होंने यू० एस० एड फन्ड का तुरन्त उपयोग करना उचित नहीं समझा।

श्री पी० एम० मेहता : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि वर्ष 1966 में आशय पत्र जारी करने के लगभग दो वर्ष बाद, पहला ठेका एक विदेशी कम्पनी को वर्ष 1968 में दिया गया था, जो अपने कार्य में असफल रही और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या यह सच है कि विदेशी सप्लायर अधिक कीमत प्राप्त करने के लिए स्थिति का नाज़ायज़ फायदा उठाने का प्रयास कर रहे है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री देवकान्त बरुआ : यह एक ऐसी कम्पनी है, जिसमें 49 प्रतिशत शेयरों पर गुजरात सरकार का स्वामित्व है और शेष शेयरों पर वित्तीय संस्थाओं और प्राइवेट व्यक्तियों का अधिकार है। वर्ष 1967 में कम्पनी ने विश्व के प्रमुख संयंत्र सप्लायरों को विशिष्ट विवरणों का ब्योरा जारी किया । जुलाई 1968 में इन प्रस्तावों की जांच करने के बाद कम्पनी ने एक स्विस कम्पनी इनवेन्टों और हिटेची के साथ सहयोग करने के बारे में निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत किये। इन्वेन्टों को प्रक्रिया की सप्लाई करनी थी और हिटेची प्रमुख टेकेदार थे। प्रस्तावों को फरवरी 1969 में मंजूरी दी गई और पूरी परियोजना की लागत 19.72 करोड रुपये थी। हालांकि, उस समय इस परियोजना में धन लगाने के लिए येन में ऋण उपलब्ध नहीं था। आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए उच्चतम स्तर पर प्रयास किये गये। किन्तु यह उपलब्ध नहीं था। इसलिए गुजरात स्टेट फर्टिलायझर्स कम्पनी को उक्त स्थिति की जानकारी दी गई और उससे प्राप्त सभी प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए कहा गया, जिसके सरकार वैकल्पिक प्रस्तावों के लिए विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध कर सके । कम्पनी से समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार ने यह पाया कि इस परियोजना में पूंजी लगाने के लिए फ्रान्सीसी ऋण और आई० सी० आई० सी० आई० ऋण उपयुक्त रहेगा । कम्पनी को इस बात की मार्च 1970 में जानकारी दी गई । कम्पनी ने प्रक्रिया लाइसेन्स के लिए इन्वेन्टों और डिजाइन इन्जीनियरिंग के लिए एक फ्रान्सीसी कम्पनी टेक्नीप के साथ अपने करार को अन्तिम रुप दे दिया । इन संशोधित प्रस्तावों को सरकार ने अक्टूबर 1970 में मंजूरी दे दी ।

श्री पी० एम० मेहता : अब लगभग 3 साल हो चुके है । उत्तर के भाग (ग) में यह स्वीकार किया गया है कि परियोजना के मूल लागत व्यय में वृद्धि होगी । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि 8 करोड रु० की विदेशी मुद्रा की अनुमानित बचत पर इससे क्या प्रभाव पडेगा ?

श्री देवकान्त बरुआ : इन्वेन्टो और टेक्नीप से साथ सहयोग सम्बन्धी करारों को जब मंजूरी दी गई तब अनुमानित लागत 26.69 करोड रु० थी। अब यह अनुमान लगाया गया है कि परियोजना का लागत व्यय 33.74 करोड रु० होगा । कम्पनी ने यह कहा है कि इस कीमत में अधिकांशतः वृद्धि का कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपकरण की लागत में वृद्धि हो जाना है । केप्रोलेक्टम का उत्पादन 20,000 टन होगा। वर्ष 1973–74 के लिये कैप्रोलेक्टम की कुल मांग 21,300 टन की है । जब वर्ष 1974-75 में इस कम्पनी में पूरा उत्पादन होने लगेगा, तब मेरे विचार में बहुत कम मात्रा में आयात की आवश्यकता होगी ।

श्री पी० एम० मेहता : मूलत: 8 करोड रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान था । अब विदेशी मुद्रा की बचत का संशोधित अनुमान क्या है ?

श्री देवकान्त बरुआ : जब अनुमानित लागत 26.69 करोड रुपए थी, तब विदेशी मुद्रा का अंश 9.2 करोड रु० था । अब अनुमानित लागत बढकर 33.7 करोड रु० हो गई है। विदेशी मुद्रा का अंश उपलब्ध नहीं है, परन्तु यह निश्चित रुप से 9.2 करोड रु0 से अधिक ही होता ।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय मन्त्री महोदय ने 1970 तक का विवरण दिया। वर्ष 1970 और 1973 के बीच क्या हुआ ? यह कम्पनी वस्तुत: कब तक उत्पादन शुरु कर देगी, जो कि मन्त्री महोदय के अनुसार हमारी मांग की सीमान्त कमी को ही पूरा करेगी ?

श्री देवकान्त बरुआ : इसमें इस वर्ष के अन्त तक अथवा अगले वर्ष के शुरू में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की संभावना है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने कहा है कि वर्ष 1974 से उत्पादन प्रारंभ होगा । वर्ष 1970 और 1973 के बीच विलम्ब के क्या निश्चित कारण है ? दूसरे उन्होंनें विदेशी सहयोग की आवश्यकता की भी चर्चा की। विदेशी सहयोग अथवा विदेशी विशेषज्ञों पर हमारी निर्भरता कब तक समाप्त हो जायगी और कब तक सारा काम भारतीय राष्ट्रिक स्वयं करने लगेंगे ?

श्री देवकान्त बरुआ : यह कम्पनी वस्तुत : तकनीकी रुप से गैरसरकारी क्षेत्र में है।

एक माननीय सदस्य : संयुक्त क्षेत्र में।

श्री देवकान्त बरुआ : यह मूलत: गुजरात सरकार के नियंत्रण में है। विदेशी सहयोग ढूंढने में विलम्ब हुआ। जैसा कि मैंने बताया, जबकि उक्त विलम्ब खेदजनक है, परन्तु वह अपरिहार्य भी था । क्योंकि जब विदेशी सहयोगकर्ता को ढूंढ लिया गया, तो येन ऋण उपलब्ध नहीं था। यह एक ऐसा मामला है, जिसके लिए हम विदेशी ऋण पर आश्रित है । हमें एक देश से सहयोगकर्ता मिला, तो दूसरे देश से ऋण। उस सबमें तालमेल करना था। इसी से परियोजना में विलम्ब हुआ।

श्री पी० जी० मावलंकर : विदेशी सहयोग कर्ताओं अथवा विशेषज्ञों का बिना कोई सहारा लिए इस काम को करने में हमारे राष्ट्रिकों को कितना समय लगेगा ?

श्री देवकान्त बरुआ : जहां तक इस कारखाने का सम्बन्ध है, यह स्विस कम्पनी इन्वेन्टों और फ्रांसीसी कम्पनी टेक्नीप के सहयोग से स्थापित की जा रही है । इस आकार की यह पहली कोप्रोलेक्टम परियोजना है जो विदेशी विशेषज्ञों के सहयोग से इस देश में निर्मित की गई है । हमारे विशेषज्ञों को विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए जब अगला कारखाना स्थापित किया जायगा, तब संभवत: हम विदेशी सहयोग अथवा विदेशी विशेषज्ञों की मदद के बिना ही उसे स्थापित कर सकेंगे ।

कच्चे माल की कमी के कारण प्लास्टिक निर्माताओं को कठिनाइयां

*226. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थर्मोप्लास्टिक्स कच्चे माल की कमी के कारण प्लास्टिक निर्माताओं को कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या उक्त उद्योग ने अपनी समस्याओं के बारे में सरकार को एक ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेंट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ): (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(ख) अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संस्था जो प्लास्टिक कच्चे माल के उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है, ने सरकार द्वारा यथोचित कच्चे माल की सप्लाई के प्रबन्ध करने के लिए एक पत्र दिया है ।

(ग) उठाये गए कदम ये हैं :–

(i) राज्य व्यापार निगम को तीन प्रमुख थर्मोप्लास्टिक–हाई डेन्सिटी पालीएथीलीन, लोडेन्सिटी पालीएथीलीन और पालीविनिल क्लोराइड (पी वी सी) प्रत्येक के 5000 मीटरी टन आयात करने का अधिकार दिया गया है ।

(ii) पालीएथीलीन और पी वी सी पर आयात शुल्क लागत बीमा भाडा मूल्य के पहले की 208% स्तर से हाल ही में घटा कर 140% के स्तर पर लाई गई है। इससे उपभोक्ताओं के लिए आयातित माल का उपयोग करना संभव होगा।

(iii) उपरोक्त (i) में कहा गया आयातित कच्चा माल का विनियोजन लघु क्षेत्र में नये एककों के लिए लगी हुई मशीनरी के 30% से बढा कर 40% किया गया है जिसकी अधिकतम सीमा जो पहले 75000 रुपये थी अब एक लाख रुपये होगी। इससे प्रत्येक नये एकक को माल की अधिक मात्रा का आयात करना संभव होगा ।

(iv) सरकार निर्माताओं की सलाह से लघु सन्तुलन उपकरण लगा कर स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करने की जांच कर रही है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : प्लास्टिक उद्योग में कच्चे माल की कमी के कारण उपभोक्ताओं, आम जनता के उपयोग में आने वाली लगभग सभी वस्तुओं का अभाव होने की सम्भावना है । क्या माननीय मन्त्री महोदय ने प्लास्टिक उद्योग के लिए कच्चे माल की वास्तविक आवश्यकताओं का अध्ययन किया है और यदि हां, तो प्लास्टिक उद्योग में कुल अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार वर्तमान कमी कितनी है ?

श्री देव कान्त बरुआ : चालू वर्ष में कुल कमी 25,000 टन होगी । वे सभी कारखाने जिन्हें लाइसेन्स मिला है, अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं । हमने उनसे ऐसा करने के लिए कहा है । इस बीच, हम कुछ उन कम्पनियों को लाइसेन्स देने का प्रयास कर रहे हैं जो उत्पादन लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर चुके है । उनमें से एक कम्पनी को 20,000 टन से बढाकर 30,000 टन उच्च घनत्व वाली पोलिथिलीन की निर्माण क्षमता का विस्तार करने सम्बन्धी लाइसेन्स देने का प्रश्न विचाराधीन है । 20,000 टन

निम्न घनत्व की पोलीथिलीन के निर्माण के लिए लाइसेन्स देने का एक मामला अग्रिम स्तर पर विचाराधीन है । जब इनमें उत्पादन शुरू हो जायेगा, तब मेरे विचार में हम शीघ्र ही कमी को दूर कर सकेंगे, जो प्लास्टिक वस्तुओं की बहुत शीघ्रता से बढ रही मांग के कारण उत्पन्न हो गई है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : उद्योग में कच्चे माल की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय का विचार विदेशों से आने वाले कच्चे माल पर जो 140 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है उसमें कमी करने का है ? क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कच्चे माल पर भारी आयात शुल्क के कारण आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में बढोत्तरी हो जाती है जो विशेषत: धातु की ऊंची कीमतों के कारण उन्हें नहीं खरीद पाते ?

श्री देवकान्त बरुआ : बजट में पोलिथिलीन पर 280 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया था । अब वित्त विभाग ने इसे भाड़ा बीमा लागत के 140 प्रतिशत तक घटा दिया है। जो राहत दी गई है, उससे पिछले कुछ महीनों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हुई वृद्धि कुछ हद तक निष्प्रभावी हो जायगी । मेरे विचार में, आयात शुल्क में यह कमी करने से संभवत: वे गुजारा कर सकेंगे कुछ कठिनाई भी हो सकती है, क्योंकि पोलिथिलीन की कीमत सभी जगह बढ रही है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

फैडरेशन आफ रेलवे आफिसर्ज एसोसिएयेशन द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के साथ समानता के बारे में प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन

*222. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में प्रधान मंत्री दिये को गये एक ज्ञापन में फेडरेशन आफ रेलवे आफिसर्ज एसौसिएशन ने कहा कि रेलवे अधिकारी कोई भी वेतनमान मंजूर करवाने के लिये सहमत हैं बर्शर्ते कि वही वर्तमान सभी प्रथम श्रेणी और अखिल भारतीय सेवाओं में लागू होते हो और दिये गये वेतनमानों में पदोन्नति के समान अवसर हो; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) आयोग की सिफारिशों पर कारवाई करते समय फेडरेशन के दृष्टिकोणों पर भी यथावत विचार किया जायेगा ।

प्रोटोन, विद्युत् उत्पादन और खनिजों को बढ़ती हुई मांग को पुरा करने के लिए समुद्र के संसाधनों का उपयोग

*227. **श्री राज देव सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसंधान केन्द्र में जलपरिचालित उपकरण के समुद्रतटीय जीनियरी अनुसंधान और विकास के परियोजना प्रबंधक ने यह पता लगाया है कि इस देश में प्रोटोन, विद्युत् उत्पादन और खनिजों की बढ़ती हुई मांग को केवल समुद्र हो पूरा कर सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और समुद्र के व्यापक संसाधनों का प्रयोग करने के लिये प्रारंभ किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) डा० हरेविच, परियोजना प्रबंधक, समुद्र तटीय इंजोमियरी अनुसंधान केन्द्र और जल वैज्ञानिक इन्स्ट्रुमेंन्टेशन विकास, ने यू० एन० आई० के साथ बातचीत में दावा किया था कि भारत में प्रोटीन, विद्युत उत्पादन और खनिजों की बढ़ती हुई मांग को केवल समुद्र हीं पूरा कर सकता है।

(ख) प्रयोगशाला माडल और गणितीय अध्ययनों को शुरु किया जा रहा है और आधारभुत आंकड़ों को एकत्र करने एवं व्यवहार्य संभाव्यताओं का अनुसंधान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहयोग के अंतर्गत उपस्कर प्राप्त किए जा रहेहै।

चालू वित्त वर्ष में रेलवे में घाटे की सम्भावना

*228. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष में रेलवे में अत्यधिक घाटा होने की संम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितना घाटा होने की सम्भावना है ;

(ग) घाटा होने के क्या कारण है ; और

(घ) घाटे कों कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

रेल मंत्री (श्री एल०एन०मिश्र) : (क) से (ग) 1973–74 के रेलवे बजट में जैसा कि अन्तिम रुप से पारित किया गया है, 23.86 करोड़ रुपये का अधिशेष प्रत्याशित है। जैसा कि उस अवसर पर स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया था, इस बजट में वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को हिसाब में नहीं लिया गया था। चूंकि विकास सम्बन्धी कार्यों के खर्च ऋण की किस्तों का भुगतान और बकाया ऋणों आदि पर व्याज प्रभारों से सम्बन्धित कुल मिला कर 33.66 करोड़ रुपये की देयताओं को निबटाना अपेक्षित था, इस लिये वर्ष के अन्त में 9.30 करोंड रुपये का अपूरित अन्तर रह जाने की संभावना थी जिसे आय में संघ सुधार करके और परिचालन में बेहतर कुशलता लाकर पुरा करने का विचार था। यह स्थिति यातायात के प्रत्याशित स्तर में कमी और कतिपय बजटोतर घटनाओं के कारण स्थिर नहीं रह पायगी।

1973-74 के लिए राजस्व बजट इस प्रत्याशा पर आधारित है कि इस वर्ष की अवधी में रेलें एक करोड़ मीटरिक टन राजस्व उपार्जक प्रारम्भिक यातायात की अतिरिक्त ढुलाई करेंगी। वस्तुतः, रेलों ने इस वर्ष के पहले तीन महीनों में इस अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 24 लाख मीटरिक टन कम माल यातायात की ढुलाई की है। परिणामस्वरुप, इस वर्ष की प्रथम तिमाही में आय प्रत्याशा से लगभग 22.34 करोड़ रुपये कम रही है। दूसरी और संचालन व्यय में लगभग 1.20 करोड़ रुपये की कमी आयी है। अतः जून, 1973 तक रेलवे वित्त में लगभग 21.14 करोड़ रुपये का विपरीत रुख दिखायी देता है।

बजट प्रस्तुत करने के बाद, रेलों को 14.2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। 1–5–73 से रेल कर्मचारियों के लिए स्वीकृत अतिरिक्त मंहगाई भत्तों के लेखे में 13 करोड़ रुपये और इस्पात पर कर सम्बन्धी लेवी के लेखे में 1.2 करोड़ रुपये।

इस वर्ष के अन्तिम वित्तीय परिणामों का अभी निश्चत रुप से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि काम करने की परिस्थितियों में सुधार होने और देश में बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधि के फलस्वरुप उस कमी को पूरा करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता जो इस वर्ष के पहले 3 महीनों में हुई है। बजट में प्रत्याशित स्थिति की तुलना में, अतिरिक्त मंहगाई भत्ते और वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण कर्मचारियों के बिल में जो वृद्धि होगी घाटा उतना ही अधिक होगा।

(घ) आमदनी बढ़ने और संचालन व्यय में किफायत बरतने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं ।

विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों के कार्य को विनियमित करने का प्रस्ताव

*229. **श्री शामराव अकजलपुरकर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों के कार्य को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ): (क) और (ख) देश में विदेशी भेषज कम्पानियों के विस्तार का नियंत्रण निम्मिलिखित उपायों द्वारा किया जाता है :–

(i) निर्माण परियोजनाओं के अनुमोदन में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है ।

(ii) प्रपुंज औषधियों की और अधिक संख्याओं में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्माण ।

(iii) आमतौर पर विदेशी फर्मों को सूत्रयोग निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिये जाते जब तक कि प्रपुंज औषधियों के उत्पादन की व्यवस्था उसके साथ न हो ।

(iv) उन से अधिक मूल अवस्था से प्रपुंज औषधियों के उत्पादन आरम्भ करने के लिये और अपने प्रपुंज औषधि उत्पादन का उचित भाग असम्बध सूत्रीकरण कर्त्ता को उपलब्ध करना क्षमता में विस्तार या नई क्रिया के आरम्भ करने के लिये शर्त के तौर पर कहा गया है ।

(v) क्षमता में विस्तार के लिये या नई क्रिया आरम्भ करने के लिये उचित निर्यात बाध्यता की शर्त लगाई जाती है ।

(vi) निर्माण क्रियाओं में विस्तार को स्वीकृति के समय विदेशी ईक्विटी की उत्तरोतर कटौती और उसके साथ साथ भारतीय पूंजी की अनुरुप वृद्धि की जाती है ।

पेट्रोलियम उत्पादों और मिट्टी के तेल की चोर-बाजारी

*230. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों से सामान्य रुप से देश भर में और विशेष रुप से उड़ीसा में पेट्रोलियम उत्पादों और मिट्टी तेल की चोर–बाजारी के बारे में अनेक शिकायतें की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रेषित की जायेगी ।

मैसुर मे निर्माणाधीन नई रेलवे परियोजनाएं

*231. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मैसूर राज्य में विशेषकर सूखाग्रस्त क्षत्रों में कितनी नई रेलवे परियोजना निर्माणाधीन है ; और

(ख) मैसूर राज्य के विकास के लिये सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी नई परि–योजनाओं को स्वीकृति दी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस समय मैसूर राज्य में निम्न-लिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं :

(1) हसन–मंगलूर मीटर लाइन ;

(2) तोराविल्लू–मुड्डुकुलापेन्टा बड़ी लाइन ;

(3) अंशतः मैसूर राज्य में पड़ने वाला गुन्तकल्लु–बैंगलूरु खण्ड का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन।

(ख) पांचवी योजना के प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रुप नहीं दिया गया है ।

गंडक नदी पर पुल का निर्माण

*232. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंडक नदी पर चितौनी घाट नामक स्थान पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जैसा कि संसद सदस्यों और विधायकों की मुजफ्फरपुर में हुई बैठक में मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पुल कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) बगहा-चितौनी क्षेत्र में रेल संचार सुविधाओं के पुनः स्थापन के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और उसकी रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। सभी पहलुओं से इस रिपोर्ट की जांच पूरी हो जाने के बाद ही इस रेल सम्पर्क के सम्बन्ध में जिसमें गंडक पर पुल का निर्माण–कार्य भी शामिल है, कोई अन्तिम विनिश्चय किया जायेगा।

थोन बांध परियोजना

*233. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थोन बांध परियोजना का कार्य कब तक प्रारंभ होने की संभावना है ;

(ख) इस बांध पर कितनी लागत आएगी ; और

(ग) इस बांध के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) थोन बांध परियोजना को कार्यान्वयन के लिए अभी स्वीकृत किया जाना है।

(ख) 1968 के प्राक्कलनों के आधार पर परियोजना की लागत 92 करोड़ रुपये है।

(ग) बांध के कार्यान्वयम में लगभग 8 वर्ष लगेंगे।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को नये सिन्थेटिक ड्रग और एन्टीबायोटिक्स एककों के लिए रुसी सहायता

***234. श्री के० लकप्पा :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० में पन्द्रह नई सिन्थेटिक औषधिओं और आठ नई एन्टीबायोटिक्स दवाओं के उत्पादन के लिये भारत-रुस सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये 12 जून, 1973 को कोई प्रतिनिधि मंडल मास्को गया था ; और

(ख) यदि हां, तो यात्रा का क्या परिणाम निकला?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) एण्टीबायोटिक्स तथा सिन्थैटिक औषधियों के उत्पादन के लिये रुस की सहायता प्राप्त करने की संभावनाएं बनाने के लिये इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के अधिकारियों के एक दल न 12 से लेकर 21 जून, 1973 तक रुस का दौरा किया था क्योंकि इस विषय पर अभी विचार–विमर्श/बातचित हो रही है, इस अवस्था में ब्यौरे बताना जन हित में नहीं होगा।

विद्युत् उत्पादन पर केन्द्रीय नियंत्रण का राज्यों द्वारा विरोध

***235. श्री एम० एस० पुरती :**

श्री बी० बी० नायक :

क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में विद्यत उत्पादन पर केन्द्रीय नियत्रण के विरुद्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं?

सिचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) विद्युत के उत्पादन और विद्युत के अंतर्राज्यीय ट्रान्सफर के संबंध में बढ़ती हुइ मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विद्युत सप्लाई उद्योग के पुनर्गठनहेतु निगम के दर्जे का केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण गठित करने की परिकल्पना, जिसको आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाएंगे और विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राज्य बिजली बोर्डों के प्रयत्नों को बढ़ाने के उद्देश्य से सांविधिक स्वायत्तशासी क्षेत्रीय बिजली बोर्डों के गठन करने के लिये प्रस्ताव विचाराधीन हैं। जबकि राज्य बिजली बोर्ड पारेषण और वितरण का कार्य करगे क्षेत्रीय बोर्ड विद्युत ग्रिडों के अंतर्राज्यीय पारेषण और समेकित प्रचालन का कार्यभारी होंगे। इन सभी प्रस्तावों पर हाल ही में हुई राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों को बैठक और राज्यों के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था। कुछ राज्य खासकर राज्य के अंतर्गत संसाधनों से जल विद्युत के उत्पादन के संबंध में प्रस्तावों पर और जांच करना चाहते थे। अभी आगे और विस्तृत जांच की जानी है।

इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर द्वारा सवारी डिब्बों का निर्माण

***236. श्री प्रभुदास पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष इन्टेग्रल कोच फैक्टरी द्वारा कुल कितने सवारी डिब्बे रेलवे को दिये जायेंगे ;

(ख) इस फैक्टरी में किस किस्म के सवारी डिब्बे बनाये जा रहे हैं; और

(ग) रेलवे की मांग को कहां तक पूरा किया जा सकेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पेराम्बुर के सवारी डिब्बा कारखाने में चालू वर्ष 1973-74 के दौरान 750 सवारी डिब्बों के बनाये जाने की आशा है । इसमें से 6 सवारी डिब्बे जाम्बियन रेलों के लिये हैं ।

(ख) बड़ी लाइन/मोटर लाइन के पारम्परिक सवारी डिब्बो तथा बिजली गाड़ी स्टाक की जरूरतों को देखते हुए सवारी डिब्बा कारखाने के लिये उत्पादन अनुसूची तैयार की जाती है ।

(ग) बैंगलूर स्थित मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लि० (रेल कोच डिवीजन) से सवारी डिब्बों के उत्पादन को मिलाकर मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता, सवारी डिब्बा कारखाना तथा नामित कारखानों द्वारा नये सवारी डिब्बों के निर्माण के लिये निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की आशा है ।

डीलक्स, वातानुकूलित रेलगाड़ियां, राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां और वातानुकूलित डिब्बों का समाप्त किया जाना और उनको तीसरे दर्जे के डिब्बों में बदलना

*237. **श्री मधु लिमये** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डी-लक्स, वातानुकूलित रेलगाड़ियों, राजधानी एक्सप्रेस और वातानुकूलित डिब्बों को बिल्कुल समाप्त करने और उनको तीसरे दर्जे के 3-टायर और 2-टायर के डिब्बों में बदलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो रेलवे में इस भेदभाव को दूर न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक वाणिज्यिक संगठन के नाते रेलों को सामान्यत: उन दर्जों के स्थान की व्यवस्था करनी पड़ती है जिनके लिये कि मांग हो ।

Irrigation benefits to Madhya Pradesh from Chambal Project

*238. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh has not been able to get adequate benefit in the matter of irrigation from the Chambal Project and the pace of irrigation in the State is also very slow; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The Government of Madhya Pradesh have reported that, against the designed potential of 7 lakh acres, the maximum irrigation done so far in Madhya Pradesh from Chambal Project is about 3.19 lakh acres a year.

(b) The slow pace of development of irrigation has been attributed to:

(i) **Reluctance of farmers to do kharif irrigation**

It was contemplated that kharif would cover 12% of the culturable command area in Madhya Pradesh. The actual kharif irrigation has been, however, very low. With the attempts being made by the State Government, rice cultivation is now stated to be catching up.

(ii) **Reduction in carrying capacity of the right bank canal owing to weed growth and slips of overburdens.**

Owing to weed growth etc., the capacity of the right bank canal had gone down to 2780 cusecs. A special Technical Committee examined the problem and their recommendations are being implemented. The capacity of the canal has now come upto 5500 cusecs against design capacity of 6656 cusecs.

(iii) **Impeded drainage and salinity in some areas**

Some areas have shown distress due to impeded drainage and overuse of water by the farmers. Some projects for drainage have already been implemented and more are under implementation.

(iv) **Slow construction of field channels and water courses and land shaping by farmers.**

As farmers were delaying this work, the Government of Madhya Pradesh took up in 1968, the construction of water courses and have already covered 1.39 lakh hectares.

(v) **Lack of suitable pre-irrigation extension/demonstration programmes and infrastructure facilities.**

The Chambal command has now been included in the Central sector area development programme of the Ministry of Agriculture under which expenditure on the construction of rural roads and complexes is met by the Central Government. Schemes costing Rs. 144 lakhs have been approved for Madhya Pradesh.

A Soil and Water management pilot project has also been taken up as a Central sector project of the Ministry of Agriculture to carry out studies and demonstrate on farmers' fields the efficacy of improved practices.

"ड्रग कार्टल क्लाइम्बस डाऊन इन यू० के० कनफ्रन्टेशन" शीर्षक से समाचार

*239. **श्री विद्याधर बाजपेयी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जुलाई, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "ड्रग कार्टल क्लाइम्बस डाउन इन यू० के० कनफ्रन्टेशन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस देश में कार्य कर रहे बहु-राष्ट्रीय औषध निर्माता एककों के विरुद्ध इसी प्रकार की कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हां ।

(ख) क्योंकि औषधीय सम्पाक औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं, एसी कार्यवाही, जो यू० के० में की गई है; किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

दिल्ली स्थित रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों की भ्रष्टाचार की कार्यवाहियों के बारे में दिल्ली रेल स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा प्राप्त की गई शिकायत

*240. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1973 में दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर की शिकायत की पुस्तक के माध्यम से कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) जून और जूलाई, 1973 के दौरान दिल्ली रलवे स्टशन के स्टेशन मास्टर की रेलवे सुरक्षा दलके कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की कार्यवाहियों क बारे में कितनी और किस प्रकार की शिकायतें मिली; और

(ग) क्या उन शिकायतों पर कुछ कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) । (क) तेरह ।

(ख) जून और जुलाई, 1973 के दौरान दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों विरुद्ध पैसा लेकर यात्रियों को यार्ड में खड़ी 12 डाउन गाड़ी के डिब्बों में सीटों पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की केवल एक शिकायत दर्ज की गयी थी ।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में कोई सबूत नहीं मिल सका । दूसरी 12 शिकायतों पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारी गौर कर रहे हैं ।

Assistance sought for irrigation schemes by M. P. during Fourth Plan

2201. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh asked the Central Government for a definite amount of money for the irrigation schemes of the State urban and rural under the Fourth Plan; and

(b) if so, the amount thereof and whether that amount has been sanctioned and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) & (b) In their draft proposals for the Fourth Plan, the Government of Madhya Pradesh had proposed an outlay of Rs. 120 crores for major and medium irrigation. After taking into account the resources and the needs of other sectors, and after discussions on the Plan, the Planning Commission approved an outlay of Rs. 85.81 crores.

Gang engaged in smuggling of coal between India, Pakistan and Punjab and Bihar

2202. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Vigilance Department of Eastern Railway has unearthed a gang of Indian smugglers, which is engaged in smuggling of coal between India-Pakistan, Bihar-Punjab and Jharia; and

(b) if so, the fact of the matter and the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) On a surprise check conducted in April '73 by the Vigilance Organisation of the Eastern Railway at Sone Nagar station, 23 wagons were found having been loaded with coal as 'smalls' in excess of the booked quantity, the extent of excess loading varying from 0.8 tonne to 12.7 tonnes per wagon. In this case the check also revealed that coal was booked as 'smalls' in excess of the quota permitted by the Railway Administration. The matter was referred to the Patna Branch of the Special Police Establishment where a case was registered against two Railway employees and two outsiders. The case is under investigation. The Railway employees involved in this case have been placed under suspension.

Further, acting on an information that coal was being smuggled out of the State of Bihar from Warisaleganj, the Anchal Adhikari, Warisaleganj conducted a raid at the station on 12.6.73 and found that 8 wagons had been made available to a person for loading of coal and the same were found either fully or partly loaded. The person to whom the wagons had been made available could not produce any permit or licence for coal business. He was arrested along with four others for having contravened the provisions of Bihar Control Order, 1956. A case in this

behalf was got registered by the SP, Nawadah with the Gaya GRP under section 7 of Essential Commodities Act/420/120B IPC. The Station Master, Warisaleganj has been placed under suspension.

In the wake of detection of irregular loading of coal in April '73 at Sone Nagar, a total ban on acceptance and booking of coal either in 'wagon load' or in 'smalls' had been imposed. As a result of enquiries made by the Vigilance Organisation of the Eastern Railway, the following stations were found to have allowed booking of coal as 'smalls' in violation of the restriction during the period from 14-4-73 to 12-6-73 as under :—

Wazerganj	29 wagons.
Tilaiya	24 ,,
Nawadah	23 ,,
Sheikhpura	27 ,,

Coal was found to have been booked to destinations Patiala, Ludhiana, Malerkotla, Karnal, Panipat, Hisar, Sangrur, Amritsar, Rohtak, Norwana Jn., Safidon, Rajpura, Bhatinda, Kaithal. As some outside elements are suspected to be involved, a report about these cases of irregular booking of coal has been sent to the SPE, Patna for investigation. The concerned Station Masters have been placed under suspension.

1973-74 के दौरान नई रेलगाडियों का चलाया जाना

2203. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973-74 के दौरान कितनी नई रेलगाड़ियां चलाये जाने की संभावना है; और

(ख) ये रेलगाड़ियां रेलवे-वार, विशेष कर मध्य प्रदेश राज्य में किन मार्गों पर चलायी जायेंगी?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 1973-74 में निम्नलिखित अनुपनगरीय गाड़ियां नयी चलायी गयी हैं या उनका चालन क्षेत्र बढ़ाया गया है :—

(क) बंबई-बीना द्विवार साप्ताहिक जनता एक्सप्रेस का क्षेत्र विस्तार करके बीना और लखनौ के बीच एक जोड़ी द्विवार साप्ताहिक जनता एक्सप्रेस गाड़ियां (मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे पर);

(ख) दिल्ली बक्सर एक्सप्रेस/तेज सवारी गाड़ी का चालन क्षेत्र बढ़ाकर पटना और बक्सर के बीच एक जोड़ी तेज सवारी गाड़ियां (पूर्व रेलवे पर);

(ग) पूर्णिया और दरभंगा के रास्ते कटिहार और जयनगर/निर्मली के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे पर);

(घ) रंगपाड़ा नार्थ और तेजपुर के बीच एक जोड़ी शटल गाड़ियां (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर)।

इसके अतिरिक्त वर्ष की शेष अवधि में नीचे लिखी गाड़ियां चलायी जाने की संभावना है :—

(क) दिल्ली क्षेत्र और समस्तीपुर के बीच एक जोड़ी द्विवार साप्ताहिक जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ियां (उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर रेलवे);

(ख) आगरा छावनी-टूण्डला खण्ड और कानपुर-लखनऊ खण्ड में से प्रत्येक पर एक एक जोड़ी गाड़ियों के बदले आगरा छावनी और लखनऊ के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां (उत्तर रेलवे पर)।

निम्न लिखित प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है :—

(1) सिलीगुड़ी-कानपुर-अनवरगंज वैशाली एक्सप्रैस को बढ़ा कर, कानपुर,-अनवरगंज और कासगंज के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां (पूर्वोत्तर रेलवे पर);

(2) बंबई वी० टी० और हजरत निजामुद्दीन के बीच एक जोड़ी द्विवार साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ियां (मध्य और उत्तर रेलवे पर);

(3) भुसावल और हजरत निजमुददीन के बीच एक जोड़ी द्विवार साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ियां (मध्य और उत्तर रेलवे पर);

(4) पुणे और कोल्हापुर के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां (दक्षिण मध्य रेलवे पर)।

(5) लोंडा और मिरज के बीच एक जोड़ी सवारी गाड़ियां (दक्षिण-मध्य रेलवे पर)।

ऊपर मद (2) और (3) में उल्लिखित गाड़ियां, जब कभी चलेगी तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की भी भी सेवा करेंगी।

सामान्य वरिष्ठता सूची में कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाना

2204. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य वरिष्ठता सूची में कार्य कर रहे कर्मचारी (सी०पी०जी० आई० और सी०जी० 2) अभी तक अस्थायी हैं यदयपि उनकी सेवा की अवधि 15 वर्ष हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कुछ रलों पर लेखा विभाग में थोड़े से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें अदालती मुकदमा के कारण तथा स्थायी रिक्तियां के न होने आदि के कारण स्थायी नहीं किया जा सका। जहा कहीं औचित्य हो, अस्थायां पदों को, स्थायी पद में बदलन और इन पदों पर पात्र कर्मचारियों के पुष्टिकरण के लिये एक विशेष अभियान चलाया गया है।

Steps taken to dispose of Pending Cases in the Supreme Court

2205. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7285 on the 17th April, 1973 regarding cases pending with the Supreme Court and state the steps proposed to be taken for speedy disposal of cases pending in the Supreme Court?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale): The file of pending matter is always under review of the Chief Justice of India. Special Benches to hear Criminal Appeals involving Capital Sentence cases, tax appeals, election appeals and labour appeals etc. are formed from time to time as and when the occasion requires and the arrears cleared as far as possible. Matters involving identical questions, or arising out of the same subject matter, are grouped together and special efforts are made to see that such groups are disposed of early.

Further, Supreme Court Rules were revised in the year 1966, and the job of printing the appeal record, which was being done previously by the High Courts, was taken over by the Supreme Court with a view to speedy disposal of cases.

Staff in Personnel Department of North Eastern Railway

2206. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the work-load of the Personnel Department of the North Eastern Railway has increased after 1956; and

(b) whether there is resentment among the employees on account of shortage of staff in the Personnel Department for disbursing pay, travelling allowance, and night allowance and if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) In certain respects work-load has increased but in some areas there has been reduction also due to simplification of procedures. The work-load is reviewed from time to time and additional staff provided where essential.

वर्ष 1973-74 के लिये केरल में विद्युतीकरण की योजनाएं

2207. **श्री वयालार रवि :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सहायता से केरल में कितना कार्य किया गया;

(ख) उक्त योजनाओं पर कुल कितना व्यय किया गया और इस संबंध में अब तक कुल कितना कार्य पूरा हुआ है; और

(ग) उक्त राज्य की कितनी योजनाएं वित्तीय सहायता के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के विचाराधीन है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने केरल राज्य बिजली बोर्ड को 3 स्कीमें 1973-74 के दौरान अब तक स्वीकृत की हैं जिनमें 68 गांवों के विद्युतीकरण और 1762 पम्पसैटों के ऊर्जन के लिये 115.24 लाख रुपए की ऋण सहायता परिकल्पित है । ये स्किमें 4 साल की अवधि में पूर्ण होनी चरण-बद्ध हैं ।

(ग) केरल राज्य बिजली बोर्ड की कोई भी स्कीम इस समय ग्राम विद्युतीकरण निगम में विचारार्थ निलम्बित नहीं पड़ी है ।

कोडलकवूर रेलवे स्टेशन (केरल) पर उपरी पुल का निर्माण

2208. **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कोडलकवूर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पूल का निर्माण करन और स्टेशन पर अन्य विकास कार्य करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

रल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कडक्कावूर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल का निर्माण और अन्य विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य

(1) ऊपरी पुल का निर्माण

कडक्काबूर रेलवे स्टेशन पर अवस्थित वर्तमान समपार के बद ऊपरी सड़क पल के निर्माण का प्रस्ताव रेलवे के 1922-73 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल है। रेलवे के हिस्से का खर्च 3.85 लाख रुपए है। राज्य सरकार के परामर्श से निर्माण कार्य की प्रायोजनाओंको अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित रेलवे के हिस्से की एक लाख रुपए की रकम की व्यवस्था 1973-74 के बजट में कर दी गयी है। ज्योंही राज्य सरकार पहुंच मांगों से सम्बन्धित अपने हिस्से के निर्माण का काम आरंभ करेगी, पुल संरचना के निर्माण का काम भी आरंभ कर दिया जायेगा ।

(2) अन्य सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्य

कडक्काबूर स्टेशन पर निम्नलिखित निर्माण कार्य करने का विचार है :—

(1) 18-बोगी लम्बी गाड़ी ठहराने के लिये प्लेटफार्म का विस्तार ।

(2) एक नये द्वीप प्लेटफार्म की व्यवस्था ।

(3) मालगोदाम और माल प्लैटफार्म की व्यवस्था ।

(4) प्लेटफार्म की छत को बड़े आमान की मानक ऊंचाई तक उठाना। जलप्रदाय व्यवस्था में सुधार से संबंधित निर्माण-कार्य यथासंभव शीघ्र किये जायेंगे और दूसरे निर्माण कार्य एर्णाकुलम-तिरुवनन्तपुरम खण्ड के मीटर लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन के दौरान किये जायेंगे ।

बरकला रेलवे स्टेशन (केरल) का विकास

2209. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बरकला रेलवे स्टेशन के विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में अभी पूरा होने वाला कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है और वर्ष 1973-74 की बाकी अवधि में कितनी धनराशि खर्च की जायेगी; और

(ग) कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) टिकट बांटने तथा प्रतीक्षालय सम्बन्धी अच्छी सविधाओं की व्यवस्था करने के लिये बरकला स्टेशन की इमारत के ढांचे में परिवर्तन का काम नवम्बर 1973 तक शुरू किया जायेगा। 1973-74 में 30,000 रुपए की राशि खर्च होने की सम्भावना है। बरकला में पानी देन की व्यवस्था में सुधार का काम हो रहा है। अब तक 6,783 रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है और आशा है कि 1973-74 में 8,000 रुपए की राशि और खर्च की जायगी। इन कामों को यथाशीघ्र पूरा करने के लिये भरसक प्रयास किया जा रहा है ।

डिवीजनल एकाउंटस आफिसर, पश्चिम रेलवे, अजमेर के विरुद्ध शिकायतें

2210. **श्री रेणुपद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डिवीजनल एकाउंटस आफ़िसर, पश्चिम रेलवे, अजमेर के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या मान्यता प्राप्त संघ ने भी इस बारे में उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो शिकायतों का स्वरूप क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) विभिन्न शिकायतों में संक्षेपत: निम्न प्रकार के आरोप लगाये गये है :—

(i) निजी यात्राओं के लिये 'मेटल पास' का दुरूपयोग ।

(ii) टेंडर मंजूर करने में और ठेका देने में कदाचार ।

(iii) प्रादशिक सेना के जवानों के लिये जमा किये गये धन का दुरुपयोग ।

(iv) अजमेर मंडल के कामगारों के भुगतान को रोकना ।

(v) शैक्षिक वर्ष के मध्य में लेखा विभाग के यातायात विभाग निरीक्षकों का स्थानान्तरण ।

(vi) जून, 1973 में कतिपय कर्मचारियों के भुगतान में अनियमितताएं ।

(vii) माल चढ़ाने-उतारने का ठेका देने में पक्षपात ।

अंतिम दो आरोपों की अभी जांच हो रही है । उक्त अधिकारी के विरुद्ध कदाचार के अन्य आरोपों की जांच की गयी और वे सिद्ध नहीं हो पाये, यद्यपि कुछ कार्यविधि संबंधि अनियमितताए पाई गई । जिन आरोपों में सतर्कता का पहलू निहित था उनमें केन्द्रीय सतकता आयोग का परामर्श भी लिया गया था ।

दूसरा दर्जा समाप्त करने के लिये रेल-कर्मचारियों का अभ्यावेदन

2211. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूसरा दर्जा समाप्त करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) मांग यह है कि जो रेल कर्मचारी दूसरे दर्जे के पास के हकदार हैं, उन्हें पहले दर्जे में यात्रा करने की अनुमति दी जाए । रेल गाड़ियो के विभिन्न दर्जों में यात्रा करने की पात्रता के लिये वेतन सीमाओं के संशोधन के प्रश्न पर तभी विचार किया जायेगा जब पहले तीसरे वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमानों के संबंध में निर्णय ले लिया जाये ।

रेलवे में सफाई कर्मचारियों को सर्दियों की वर्दी की सप्लाई

2212. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्दी संबंधी समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे के सफाई कर्मचारियों को जाड़ों की वर्दी सप्लाई करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) जो क्षेत्र 'गर्मी और हल्की सर्दी' तथा गर्मी और सर्दीवाले क्षेत्रों के रुप में वर्गीकृत हैं उनमें सफाई वाले सूती कमीज और निकूर/पाजामों के हकदार होते हैं । जो क्षेत्र केवल सर्दी वाले वर्ग में है वहां सूती पाजामों के स्थान पर ऊनी पाजामे दिये जाते हैं । 'केवल गर्मी' वाले क्षत्रोंसे भिन्न वर्ग वाले क्षेत्रों में ऊनी जर्सी भी दी जाती है । इसके अतिरिक्त, "बहुत ठंडे" और "केवल सर्दी" वाले वर्ग के क्षेत्रों में काम कर रहे सफाई वालों को कम्बली, ओवरकोट दिये जाते हैं ।

विदेश यातायात लेखा कार्यालय (फारेन ट्रफिक एकाऊट्न्स आफिस, दिल्ली) (पश्चिम रेलवे) के कर्मचारियों की मांग

2213. **श्री रेणुपद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेश यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली में कार्य करने वाले कर्मचारियों से मांगों की कोई सूची प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मांग के बारे में क्या निर्णय किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें मांगों और उन पर की गयी कार्रवाई का उल्लेख किया गया है । [**ग्रंथालय म रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5338/73**]

उत्तर रेलवे में रेलवे क्वार्टरों के बिना बारी के आवेदन के लिये पंजीकृत किये गये कर्मचारी

2214. **डा० सरदीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे में कितने कर्मचारियों ने बिनापारी के आधार पर रेलवे क्वार्टरों के आबंटन के लिये पंजीकरण कराया है और उन्होंने इस आधार पर क्वार्टरों की मांग करने के क्या क्या कारण बताये हैं ?

रेल मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री मुहमम्द शफी कुरेशी) : जिन कर्मचारियों ने "बिना पारी" के आधार पर रेलवे क्वार्टरों के आबंटन के लिए अपना पंजीकरण करवाया है, उनकी संख्या 99 है। क्वार्टरों का इस प्रकार आबंटन करने की मांग करने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(i) स्वयं कर्मचारी, उसकी पत्नी अथवा उसके आश्रित बच्चों की गम्भीर बीमारी ;

(ii) जिन रेल कर्मचारियों की मृत्यु उनके सेवाकाल में हो जाती है, उनकी विधवाएं और आश्रित जिन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया गया हो, तथा

(iii) अशक्त कर्मचारी, जो सेवावधि में दुर्घटना आदि के फलस्वरूप अशक्त हो जाते है अथवा जिन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया गया हो ।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 14 के लिए विकल्प देने वाली 25 प्रतिशत के अधिक विदेशी पूंजीवाली फर्में

2215. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 प्रतिशत के अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली उन फर्मों के नाम क्या है जिन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के लिए कल्प दिया है ;

(ख) क्या सरकार को इन फर्मों से नवीनतम वार्षिक लेखे तथा तुलन पत्र प्राप्त हो गये हैं [और यदि हां, तो प्रत्येक फर्म की लाभ संबंधी स्थिति क्या है अर्थात, क्या वे पैरा 14 में निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत है अथवा उनसे अधिक ;

(ग) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कम लाभ दिखाने के लिए लेखों में हेरफेर नहीं किया गया है ; और

(घ) सरकार का विचार उन मामलों में कार्यवाही करने का है जिनमें लाभ निर्धारित सीमा से अधिक है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 25 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली 51 फर्मों जिन्होंने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 की धारा 14 के अधीन कार्य करने का चयन किया है, की एक सूची संलग्न है।

(ख) यद्यपि कुछ फर्मों से अंतिम लेखीय वर्ष के लिये छपे हुए लेखा प्राप्त हुए हैं, औषधि कार्य में लाभदायकता की स्थिति दिखाने के लिये औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन निर्धारित तालिकाएं, अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) औषधि कार्य के संबंध में लाभदायकता की स्थिति दिखाने वाली आवश्यक तालिकाएं की चारटर्ड अकाऊन्टन्ट द्वारा प्रमाणित किये जाने की आवश्यकता है।

(घ) औषधि (मूल्य नियंत्रण,) आदेश, 1970 की धारा 14(1) (4) के अधीन ऐसे अधिक लाभ अलग से फंड में रखे जाते हैं, और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के साथ ही प्रयोग किया जा सकता है।

विवरण

भेषज-फर्म के नाम जिसमें विदेशी साम्य पूंजी 25 प्रतिशत

1. एवोट लेबरोटरीज लि०
2. एल्कली एण्ड कैमीकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०
3. एंग्लो फ्रेंच औषधि कम्पनी
4. बायर इण्डिया लि०
5. वोहिरिंगम नौल लि०
6. बुट्स कम्पनी (इण्डिया) लि०
7. बौरो वेलकम लि०
8. सीबा आफ इण्डिया लि०
9. साइनामिड लि०
10. इ० मर्क लि०
11. जमन रेमिडीज लि०
12. ग्लैक्सो लेबोरेटरीज लि०
13. जानसन एण्ड जानसन लि०
14. मे एण्ड बेकर लि०

15. मर्क सर्प एण्ड डोहम लि०
16. पार्क डेविस लि०
17. फाइजर लि०
18. रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०
19. रोचे प्रोडक्टस लि०
20. सन्डोज इण्डिया लि०
21. सर्ले इण्डिया लि०
22. स्मिथ एण्ड नेफयू लि०
23. वैथ लेबोरेटरीज
24. सी० पी० कार्नेरिक कम्पनी (एशिया)
25. कूपर लेबोरटरीज (शाखा)
26. इथनोर लि०
27. सी० एफ० फुलफोर्ड लि०
28. रुसेल फार्मास्यूटिकलस लि०
29. इण्डियन स्कोरिंग लि०
30. जान वैथ (ब्रास)
31. लेबोरेटरीज ग्रीमाल्ट लि०
32. निकोलस आफ इण्डिया लि०
33. स्मिथ क्लाईन एण्ड फ्रैन्च (इण्डिया)
34. डूफर इन्टरफ़ाम लि०
35. जिओफ्रे मैनर्स एण्ड कम्पनी
36. होचेस्ट फार्मास्यूटिकल
37. मार्टिन एण्ड हैरिस लि०
38. आगेनन लि०
39. सुर्हद गेगी लि०
40. टाटा फिसन लि०
41. चउनी सन्क्यों लि०
42. वान्डर लि०
43. वासट हिन्दुस्तान लि०
44. कारटर वैलको एण्ड कम्पनी, गोआ
45. यू० एस० विटामिन्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०
46. वार्ड ब्लैकिनसोप एण्ड कम्पनी
47. बाइलोजीकल इवस लि०
48. मैसर्स इन्डस्ट्रीज एण्ड टेस्टिंग लेबोरेटरीज
49. रैलिस इण्डिया लि०
50. यूनी एण्ड यू० ली० वी० लि०
51. यूकोप्लाहट एण्ड कम्पनी

मैसर्स फाईजर लिमिटेड द्वारा 1971-72 के लिए वार्षिक लेखों तथा तुलन पत्र में दिखाया गया लाभ

2216. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 30 नवम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मैसर्स र लिमिटेड से वार्षिक लेखे तथा तुलन पत्र प्राप्त हो गए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो कम्पनी को कितना लाभ हुआ है और क्या यह औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं के भीतर है ; और

(ग) इसमें कुल कितनी पुन्जी लगी हुई है और 1971–72 के लेखा वर्ष के दौरान कम्पनी ने कितनी पूंजी लगाई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते लेखे के अनुसार समस्त शुद्ध लाभ 200.09 लाख रुपया था। इस कम्पनी के कार्यकलापों में औषध एवं भेषज , पोषक तत्व तथा स्वास्थ्य रक्षक पदार्थ, कृषि तथा पशु स्वास्थ्य उत्पादन आदि सम्मिलित है। लाभ के आंकड़ों में उनके समस्त कार्यक्रम सम्मिलित हैं । केवल औषधि कार्यकलापों पर लाभप्रदत्ता से संबंधित तालिका को अभी प्राप्त किया जाना है।

(ग) 30–11–1972 तक विनियोजित चुकता पूंजी 558.28 लाख रुपया है। कार्यरत पूंजी 1212.45 लाख रुपये है जो उनकी समस्त कार्यक्रम के लिए शुद्ध नियत सम्पत्ति तथा कार्यरत पूंजी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय जल ग्रिड योजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करना

2217. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल ग्रिड योजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल का प्रस्ताव है ;

(ख) इस कार्य के लिये कितना धन आबंटित किया जायगा ; और

(ग) इस योजना में देश की मुख्य किन परियोजनाओं को शामिल किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल बाल गोविन्द वर्मा) : (क) राष्ट्रीय जल ग्रिड के संघटकों में से कुछ का अन्वेषण शुरु करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) पांचवी योजना के प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

भारतीय खादय निगम, एफ०ए०सी०टी०जी०एस०एफ०सी० और मद्रास उर्वरक लिमिटेड द्वारा उत्पादित उर्वरकों का गैरसरकारी व्यापारियों द्वारा वितरण

2218. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **पैट्रोलियम् और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम, एफ० ए० सी० टी० जी० एस० एफ० सी० द्वारा उत्पादित कुल उर्वरक में से कितनी प्रतिशत मात्रा गत तीन वर्षों में गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा बेची गई ; और

(ख) इसके वितरण के लिए कुल कितने गैर-सरकारी व्यापारी नियुक्त किए गए हैं तथा उपरोक्त निर्माताओं द्वारा वर्ष 1972–73 में शिक्षित बेरोजगारी में कितने नए व्यापारी नियुक्त किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

तेल वाले क्षेत्रों मे गहरी खुदाई करके तेल का पता लगाने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता

2219. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल वाले क्षेत्र प्रचुर मात्रा में नहीं है ;

(ख) क्या रुस और रुमानीया के विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है कि उनके पास तेल वाले क्षेत्रों में गहरी खुदाई करके तेल का पता लगाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं है ; और

(ग) क्या सरकार विशेषज्ञता संबंधी ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए अन्य देशों के साथ बातचीत कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी नहीं, यद्यपि ओ० एन० जी० सी० द्वारा कुछ अन्य देशों की व्यधन कम्पनियों / सलाहकारों से ओ० एन० जी० सी० के व्यधन कार्यों के कुछ विशेष पहलुओं पर परामर्श सेवाओं के लिये कुछपूछ ताछ की गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादित उर्वरकों का विवरण

2220. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ० ए० सी० टी०, हिन्दूस्तान स्टील, हिन्दूस्तान कापर, नवेली लिगनाइट फर्टिलाइजर, कार्पोरेशन, मद्रास, फर्टिलाइजर, गुजरात फर्टिलाइजर जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादित उर्वरक में से कितना प्रतिशत बैलेन्स था, ई० आइ० डी० पार्टी, रैलेजारडाइन्स आदि जैसे गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े व्यापार गृहों द्वारा वर्ष 1972–73 के उत्तरार्ध में बेचा गया था; और

(ख) उर्वरक का वितरण करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सरकारी क्षेत्र की एजेन्सियों और छोटे वितरकों को वरीयता देने की बजाय गैर-सरकारी क्षेत्र की बड़ी फर्मों और स्टार्लिंग कम्पनियों को काम सौपने के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा–पटल पर रख दी जायगी।

भारत में काम कर रही विदेशी तेल कम्पनियों का पूर्ण पुनर्गठन करने की योजना

2221. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में काम कर रही विदेशी तेल कम्पनियों का पूर्णत: पुनर्गठन करन और उन्हें नया रूप देने के बारे में सरकार ने व्यापक योजना बना ली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Difference between the recommendation made on legal aid to the poor by Law Commission and Committee on legal aid to the poor

2222. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Law Commission had earlier recommended free legal assistance to the poor; and

(b) if so, the difference between the recommendations made by the Committee on free legal aid to the poor and those made by the Law Commission?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) Yes, Sir. The Law Commission in its 54th Report on the Code of Civil Procedure, 1908 had recommended for legal assistance to the poor.

(b) The Law Commission in its report in addition to the existing provisions under Or. XXXIII, C.P.C., has recommended for (i) a provision for assignment of Counsel at the expenses of the State, (ii) for exemption from process fee etc., and (iii) for raising the limit provided under Or. XXXIII, Rule I, C.P.C. The expert committee, in addition to the recommendations already made by the Commission, has recommended for the following:—

(i) Making provision for a comprehensive legislative scheme of legal aid.

(ii) Formation of a Statutory Corporation to stimulate, guide and perpetuate organised free legal services which is insulated from official or party pressure.

(iii) Organisation of a network of legal aid groups of bar associations, law schools, community organisations, a variety of rural, private and public agencies, organs of local Governments and *ad hoc* panels of private lawyers.

(iv) Amendment of the Code of Civil Procedure to provide for concilliation procedures and other provisions.

(v) Simplification of the Criminal Procedure and liberlising bail provisions.

(vi) Constitution of a 'Litigation Fund' for workers in industries.

(vii) Creation of special advisory committee for legal aid to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and appointment of welfare officers for tribal areas and harijan habitation.

(viii) Enlarging the jurisdiction of Nyaya Panchayats.

(ix) Providing public defence counsels in children courts.

(x) Making statutory provisions for all lawyers to do a specified minimum of legal aid work.

(xi) Other allied matters.

डालखोला (उत्तर बंगाल) में तापीय बिजली घर

2223. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर बंगाल में डालखोला में निर्मित किए जाने वाले तापीय बिजली घर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : डलखोला ताप विद्युत परियोजना में अपने ही देश से प्राप्त किए जाने वाले दो उत्पादन यूनिटों के प्रतिष्ठापन की परिकल्पना की गई है जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 110/120 मैगावाट होगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 47 करोड़ रुपये है। परियोजना से प्राप्त बिजली पश्चिम बंगाल और बिहार के ग्रिडों को उनकी मांगों के अनुसार दी जाएगी।

भारतीय उर्वरक निगम में महाप्रबंधकों के रिक्त पड़े पद

2224. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम में महाप्रबंधकों के कुछ पद निगम द्वारा इस संबंध में चयन किए जाने के बाद भी रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों की संख्या कितनी है और प्रत्येक पद कब से रिक्त पड़ा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	उस यूनिट / प्रभाग का नाम जहां पद रिक्त पड़ा है	तारीख जब से पद रिक्त पड़ा है
1	पी एण्ड डी प्रभाग	28–6–1969
2	नामरूप	19–10–1970
3	रामागुंडम	6–4–1971
4	तालचर	6–4–1971
5	सिन्द्री	22–6–1971
6	ट्राम्बे विस्तार	20–7–1971
7	गोरखपुर	4–8–1971
8	ट्रॉम्बे	31–5–1972
9	हल्दिया	22–7–1972
10	दुर्गापुर	10–2–1973
11	कोरबा	2–5–1973

Arrangements for refining of Crude Oil imported from Saudi Arabia

2225. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 293 of the 24th July, 1973 regarding Agreement with Iraq and Saudi Arabia for import of crude oil and state :

(a) whether the crude oil to be purchased from Saudi Arabia will be got refined by the Burmah Shell, Caltex and Esso foreign Oil Companies in India ;

4—12 LSS (ND)/73

(b) whether these Companies do not have the capacity to refine such a large quantity of crude oil;

(c) whether Government will make all facilities available to them for the refining work; and

(d) if so, the expenditure involved therein?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) & (b) Yes, Sir. The quantity of 3.3 million tonnes of crude oil being imported from Saudi Arabia is over the period June, 1973-December, 1975. Arrangements have been made with the private oil companies who have the necessary refining capacity, for processing this crude oil.

(c) & (d) As these companies already have the required inbuilt capacity, no additional facilities, are required to be made available and therefore no expenditure is envisaged on this account.

पश्चिम रेलवे में बम्बई से रतलाम तक बड़े बड़े नगरों में सूक्ष्म तरंग प्रणाली

2226. **श्री प्रभुदयाल पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेहतर संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु पश्चिम रेलवे में बम्बई से रतलाम तक बड़े-बड़े नगरों में सूक्ष्म तरंग प्रणाली लागू की जायेगी, और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। रेल परिचालन के सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों को संबद्ध किया जा रहा है।

(ख) बड़ौदा और रतलाम के बीच सूक्ष्म तरंग सम्पर्क 30-10-1972 को चालू किया गया था। आशा है कि बम्बई-बड़ौदा खण्ड पर यह सम्पर्क अप्रैल, 1974 तक चालू हो जायेगा।

उड़ीसा में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

2227. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में आगामी निर्वाचनों के लिये वहां निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) ौर (ख) उड़ीसा राज्य में संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग के प्रारूप-प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। परिसीमन आयोग को आशा है कि वह अगस्त, 1973 की समाप्ति से पूर्व ही राज्य के सहयुक्त सदस्यों के साथ प्रारूप-प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर सकेगा। संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (इकत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 के अधीन उसके राज्य विधान मंडलों की अपेक्षित संख्या द्वारा अनुसमर्थन के पश्चात् विधि हो जाने पर ही, यह आशा की जाती है कि परिसीमन कार्य नवम्बर, 1973 के अन्त तक पूरा कर दिया जाएगा।

रेलवे सुरक्षा दल की संख्या और केरल से भर्ती किये गये कर्मचारियों का उनसे अनुपात

2228. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा दल की वर्तमान संख्या क्या है; और

(ख) केरल से भर्ती किये गये कर्मचारियों और दल की कुल संख्या का अनुपात क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 1-7-1973 को रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की कुल संख्या रेलवे सुरक्षा विशेष दल के कर्मचारियों को मिलाकर 60,385 है, जिनमें से 1,329 कर्मचारी केरल के हैं जो कुल संख्या का 2.2 प्रतिशत बैठता है।

कास्टिक सोडे के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करना

2229. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कास्टिक सोडे के उत्पादन को बढ़ाने की सरकार की प्रबल इच्छा का लाभ उठाने के उद्देश्य से अनेक गैर-सरकारी फर्मों और व्यक्तियों ने लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितने लाइसेंस और आशय-पत्र जारी किए गए हैं; और

(ग) परियोजनाओं के नाम क्या हैं और वे कहां कहां स्थापित की जायेंगी और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कास्टिक सोडा के विनिर्माण के लिए नये उपक्रमों की स्थापना के सम्बन्ध में अप्रैल, 1973 में 9 पार्टियों को आशय पत्र जारी किये गये थे पार्टियों के नाम, उत्पादन क्षमता एवं जिन राज्यों में यूनिटों की स्थापना की जानी है, के नाम नीचे दिये गये हैं :—

		मीटरी टन		
(1)	आर० के० रामन, मद्रास . .	33,000	प्रतिवर्ष	मद्रास
(2)	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल ट्रावनकोर लि०, उद्योग-मंडल	33,000	,,	केरल
(3)	वी० के० कोमारिया, कलकत्ता . . .	33,000	,,	मैसूर
(4)	बसोदिया कनोरिया, कलकत्ता . . .	33,000	,,	राजस्थान
(5)	के० के० कर, कलकत्ता . . .	33,000	,,	प० बंगाल
(6)	बड़ौदा रायन कारपोरेशन लि०, बम्बई . .	33,000	,,	गुजरात
(7)	सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि०, रानावय, गुजरात	33,000	,,	गुजरात
(8)	उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर (उ० प्र०)	33,000	,,	उ० प्र०
(9)	डेक्कन सेल्स कारपोरेशन, बम्बई .	33,000	,,	महाराष्ट्र

सूडान के लिए भारतीय उर्वरक विशेषज्ञ

2230. **श्री लुतफल हक** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन ने सरकार से अनुरोध किया है कि सूडान के लिए एक भारतीय उर्वरक विशेषज्ञ भेजा जाए, और

(ख) क्या सरकार ने विशेषज्ञ का चयन कर लिया है और उसे संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास के संगठन में नियुक्ति के लिए सूडान भेज दिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूडान में एक पद (कार्य) के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन ने सरकार को उर्वरक क्षेत्र में एक विशेष भारतीय विशेषज्ञ के नाम भेजने के संकेत दिये थे। तथापि वह अधिकारी इस कार्य के लिए इस समय उपलब्ध नहीं है ।

विस्थापित और स्थानीय आदिवासी लोगों के कल्याण के लिये डम्बोरू पन बिजली घर योजनाएं

2231. श्री वीरेन दत्त : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में डम्बोरू पन-बिजली परियोजना के अधिकारियों ने विस्थापित और स्थानीय आदिवासी लोगों के कल्याण संबंधी योजनाएं पूरी कर ली है; और

(ख) यदि नहीं, तो वे इन योजनाओं को कब आरंभ करेंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) त्रिपुरा में दम्बोरो जल विद्युत परियोजना द्वारा प्रभावित स्थानीय जनजाति लोगों तथा विस्थापित लोगों के कल्याण के लिए एक स्कीम विभिन्न चरणों में क्रियान्वित की जा रही है ।

सिंथेटिक औषधि कारखाने

2232. श्री पी० ए० स्वामीनाथन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फारमेस्युटिकल्स लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम है, आगामी पांच वर्षों में दो और सिंथेटिक ड्रग प्लांट स्थापित कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ये संयंत्र कहां स्थापित किए जाएंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मस्युटिकल्स लि० द्वारा निर्माण किये जाने वाली नई संश्लिष्ट औषधियों तथा इनके निर्माण के लिए नए एककों की स्थापना की जानी चाहिए अथवा नहीं, इस पर सरकार ने अभी निर्णय लेना है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"चाइल्ड मैरेज स्टिल कामन इन गुजरात" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

2233. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 जुलाई, 1973 के इण्डियन एक्सप्रैस में 'चाइल्ड मैरेज स्टिल कामन इन गुजरात' के शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बाल विवाह रोक के बारे में बहुत समय पहले कानून पास करने के उपरान्त भी इस सामाजिक बुराई को समाप्त न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में जहां बाल विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है, सरकार का विचार इस संबंध में सर्वेक्षण करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) इस विषय में गुजरात राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार किया गया है और उससे जानकारी प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

तथापि, यह कहा जा सकता है कि इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए, बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 गुजरात राज्य विधान मण्डल द्वारा गुजरात राज्य को इसके लागू होने में, 1964 के गुजरात अधिनियम सं० 11 द्वारा, संशोधित कर दिया गया है । संशोधक अधिनियम उपबन्ध करता है कि बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के अधीन अपराध सज्ञेय समझे जाएंगे । अन्य बातों के साथ, अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किए जाने वाले विवाहों को रोकने के लिए, इसमें बालक विवाह अवरोध अधिकारियों की नियुक्ति का भी उपबन्ध किया गया है ।

(ग) पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में बाल-विवाहों में वृद्धि के बारे में सरकार के पास कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है । अतः सर्वेक्षण कराने का कोई प्रश्न हो नहीं उठता ।

नये उर्वरक कारखाने चालू करना

2234. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य :**
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 12 नये उर्वरक कारखाने चालू करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये कारखाने कहां कहां लगाये जायेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में 5 नये उर्वरक संयंत्रों को स्थापित किये जाने का सिद्धांत रूप में अनुमोदन कर दिया है । ये संयंत्र मथुरा (उत्तर प्रदेश), भटिंडा (पंजाब), पानीपत (हरियाणा), पारादीप (उड़ीसा) तथा ट्राम्बे (महाराष्ट्र) में स्थापित किये जायेंगे । इस के अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ संयंत्रों, जिन के लिये प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं, के स्थापित किये जाने की संभावना है ।

उत्तरी भारत में एक उर्वरक कारखाने का बन्द होना

2235. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के कारण उत्तरी भारत में कोई उर्वरक कारखाना बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इसे फिर से कब खोलने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के इंजीनियरों द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण जनवरी 1973 में कुछ दिनों के लिए कानपुर एवं गोरखपुर उर्वरक संयंत्र बन्द किये गये । किन्तु हड़ताल के समाप्त होने के पश्चात् इन संयंत्रों को पुनः प्रारम्भ किया गया । विद्युत कमी के कारण मई, 1973 में गोरखपुर संयंत्र को पुनः बन्द करना पड़ा किन्तु विद्युत सप्लाई के प्रारम्भ होने के साथ संयंत्र को पुनः प्रारम्भ किया गया ।

Delhi to Face Power Crisis

2236. Shri Shrikrishan Agrawal: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Delhi is likely to be faced with a power crisis in the next few months;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government to face the impending power-crisis?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

चौथी योजना में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को क्रियान्विती में प्रगति

2237. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में कौन-कौन सी बड़ी नियंत्रण योजनायें शामिल की गई हैं;

(ख) इन योजनाओं को कहां तक क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) योजनाओं के कारण बाढ़ की विभीषिका को किस सीमा तक कम कर दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) प्रति स्कीम एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली अनुमोदित बृहत् बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की सूची, उनकी कुल लागत पूर्ण होने पर लाभ और मार्च, 1973 के अन्त तक व्यय का विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 5339/73]**

ये बृहत् स्कीमें प्रगति पर हैं और इनसे चौथी योजना को अन्य स्कीमों के साथ चौथी योजना के दौरान 12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने की आशा है, जिससे चौथी योजना के अन्त में कुल सुरक्षित क्षेत्र 71 लाख हैक्टेयर हो जाएगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मीडिया यूनिटों के साथ समानता के बारे में भारतीय रेलवे लोक सम्पर्क संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन

2238. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे लोक सम्पर्क संघ ने हाल ही में सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें मांग की गई है कि केन्द्रीय सरकार के विभागों और विशेष रूप से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मीडिया यूनिटों में विद्यमान वेतनक्रमों और पदोन्नति के अवसरों के समान उन्हें भी यही वेतनक्रम और पदोन्नति के अवसर दिये जाएं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) संदर्भाधीन ज्ञापन एक अभ्यावेदन के रूप में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ रेलों पर जन सम्पर्क कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के लिए बेहतर वेतन-मान और पदोन्नति के अवसर देने की वकालात की गयी है। इस संदर्भ में कुछ निचली कोटियों की तुलना अन्य विभागों की (जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी शामिल है) तदनुरूपी कोटियों से की गयी है।

(ख) वेतन आयोग की सिफारिशों पर, जिनमें रेलों के जन-सम्पर्क कर्मचारियों से सम्बन्धित सिफारिशें भी शामिल है, सरकार विचार कर रही है और इस मामले में सरकार का विनिश्चय यथासमय उपलब्ध हो जायेगा ।

दरभंगा से साकरी होते हुए लौकाहा तक बड़ी लाइन का बढ़ाया जाना

2239. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा से साकरी होते हुए लौकाहा तक बड़ी रेलवे लाइन के बढ़ाये जाने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या प्रतिरक्षा के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण दरभंगा हवाई अड्डे को रेलवे मार्ग से जोड़ने के प्रश्न और भारत-नेपाल सीमा पर स्थित चार रलवे स्टेशनों--जयनगर, निर्मली और प्रस्तावित नये स्टेशनों लौकाहा को दरभंगा से जोड़ने के प्रश्न पर दरभंगा होते हुए रक्सौल तक रेल-लाइन बढ़ाने के बारे में अन्तिम निर्णय लेते समय विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दरभंगा से सकरी के रास्ते लौकाहा तक बड़ी लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन झंझारपुर से लौकाहा बाजार तक क मीटर लाइन बनाने का प्रस्ताव है जिसके लिये इंजीनियरी सम्बन्धी व्यावहारिकता अध्ययन और यातायात के अनुमान की रिपोर्ट विचाराधीन है। लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय करने के पहले, अन्तिम स्थान निर्धारण इंजीनियरी और यातयात सर्वेक्षण करना भी आवश्यक होगा ।

(ख) और (ग) समस्तीपुर-रक्सौल मीटर लाइन खण्ड को मुजफ्फरपुर अथावा दरभंगा के रास्ते बड़ी लाइन में बदलने के लिये इंजीनियरी और यातयात सर्वेक्षण रिपोर्ट विचाराधीन हैं। विचार पूरा हो जाने के बाद, आमान-परिवर्तन और उसके मार्ग क संबंध में विनिश्चय किया जायेगा। विनिश्चय करते समय सभी सम्बद्ध कारकों का ध्यान रखा जायेगा ।

सोनापुर में ब्राडगेज की वर्कशाप की स्थापना

2240. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राडगेज की एक वर्कशाप बनाने का एक प्रस्ताव है और क्या उसी के लिये और एक नया डिवीजनल आफिस सोनपुर में खोलने के बारे में उनको अभ्यावेदन दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) ये मुद्दे 6-4-73 के एक अभ्यावेदन में उठाये गये गये थे। बड़ी लाइन के माल डिब्बों की मरम्मत के लिये रेलों में कारखानों की क्षमता में कमी को पूरा करने के उद्देश्य से, चौथी योजना अवधि में दक्षिण मध्य रेलवे पर विजयवाड़ा में बड़ी लाइनों के माल डिब्बों का एक मरम्मत कारखाना स्थापित किया जा रहा है। लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे पर सोनपुर में बड़ी लाइन का रेलवे कारखाना स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

सोनपुर में मंण्डल कार्यालय स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही हैं।

Expenditure proposed to be incurred on Rural Electrification Programme during 1974-75

2241. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state the expenditure proposed to be incurred on rural electrification programme during the next year, State-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Balgovind Verma): The Plan and programme for 1974-75, which will be the first year of the Fifth Plan, have not been finalised so far.

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग संबंधी मालवीय समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

2242. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मालवीय समिति पर कार्यवाही करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो मालवीय समिति की कौन–कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(ग) उन्हें पूर्ण रूप से कब तक लागू किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मालवीय कमेटी की मुख्य सिफारिशें जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन से सम्बन्धित है, सरकार के उच्च स्तर पर जांचाधीन है। उन पर निर्णय लेने के पश्चात् रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्यवाही की जायेगी।

बड़ौदा में 'सिविक गैस' परियोजना की स्थापना

2243. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने बडौदा में 'सिविक गैस' परियोजना की स्थापना करने में सहायता दी है;

(ख) क्या इस परियोजना को इस मंत्रालय से और सहायता की आवश्यकता है;

(ग) क्या यह परियोजना देश में सबसे सस्ती 'कुकिंग गैस' की व्यवस्था करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो यह परियोजना इस गैस का कितना वार्षिक उत्पादन करेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ओ० एन० जी० सी० बडौदा नगर निगम को प्राकृतिक गैस सप्लाई करता है। बाद में यहां गैस निगम घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई करता है।

(ख) ओ० एन० जी० सी० निगम की समस्त आवश्यकता को पूरा करने के लिये गैस सप्लाई कर रहा है। अतः मंत्रालय से किसी सहायता की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। परन्तु निगम गैस सप्लाई की शर्तों में कुछ परिवर्तन करने के लिये ओ० एन० जी० सी० सीधी बातचीत कर रहा है।

(ग) ओ० एन० जी० सी० और निगम के बीच समझौते में कोई ऐसी धारा नहीं है।

(घ) ओ० एन० जी० सी० ने निगम को घरेलू उपभोक्ताओं को वितरण हेतु प्रतिदिन 50,000 क्यूबिक मीटर गस सप्लाई करने का समझौता किया है। इस समय निगम द्वारा प्रतिदिन केवल 100 क्यूबिक मीटर के लगभग गैस ली जा रही है।

सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में वेगनों के निर्माण में वृद्धि

2244. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में इस वर्ष निमित होने वाले वैगनों की संख्या बढ़कर दुगनी हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विस्तार संबंधी प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)। (क) 1971-72 में 8532.5 और 1972-73 में 10,834 मालडिब्बों का उत्पादन हुआ था। इसकी तुलना में 1973-74 में 13,000 मालडिब्बों के (चौपहियों के हिसाब से) उत्पादन की आशा है। आगामी वर्षों में आवश्यकता के अनुरूप मालडिब्बों का उत्पादन उत्तरोत्तर बढाने के लिए भी उपाय किये जा रहे हैं

(ख) मालडिब्बों का उत्पादन बढाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) निजी क्षेत्र के उन बहुत से कारखानों में जो या तो बन्द पडे हैं या रुग्ण हैं, माल डिब्बों का उत्पादन फिर शुरू करने के लिये औद्योगिक विकास/भारी उद्योग मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

(2) माल डिब्बों के लिये पर्याप्त अग्रिम आर्डर दिये गये हैं।

(3) देश में इस्पात और पहिया सेटों की कमी होने के कारण इन वस्तुओं का आयात बढ़े हुए उत्पादन के अनुरूप किया जा रहा है।

(4) बढे हुए उत्पादन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेंटर बफर कपलर, रोलर बैयरिंग एक्सल जैसे महत्वपूर्ण पुर्जों की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है।

(5) चुने हुए रेल कारखानों में माल डिब्बों उत्पादन लक्ष्य बढा दिये गये।

रेलवेज के कार्यसम्पादन और वित्तीय स्थिति का पर्यवेक्षण करने हेतु जोनल रेलवे जनरल मैनेजरों की बैठक

2245. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवेज के कार्यसम्पादन का पुनर्विलोकन करने और उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये 5 और 6 जुलाई को नई दिल्ली में जोनल रेलवे के जनरल मैनेजरों की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई चर्चा और किए गये निर्णय का निष्कर्ष क्या है।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, रेलवे मंत्री और रेल्वे बोर्ड के सदस्यों के साथ महाप्रबन्धकों की बैठक 5, 6, और 7 जुलाई, 1973 को हुए थी।

(ख) नीति सम्बन्धी मामलों तथा रेलों के दिन प्रति दिन के कार्य से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। रेलों की कार्य कुशलता बढाने तथा उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये इस बैठक से वरिष्ठ प्रशासकों अपने विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिला। जिससे रेलों की कुशलता में वृद्धि होगी और उनकी वित्तीय स्थिति सुधरेगी।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के कारखाने

2246. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव : पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखाने घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से कारखाने घाटे में चल रहे है; और

(ग) घाटे के कारणों का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; इन कारखानों के कार्य में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है और इसका क्या परिणाम निकला है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जहां भारतीय उर्वरक निगम ने 1971-72 वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया वहां फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०, नैवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के उर्वरक एकक तथा राउरकेला स्टील प्लांट की उस वर्ष हानि हुई मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० जिसे भी 1971-72 में हानि हुई, केवल 1971 के उत्तरार्द्ध में प्रारम्भ हुआ था।

(ग) उत्पादन में विभिन्न तकनीकी एवं अन्य बाधाओं का पता लगाने एवं उनको दूर करने तथा इन एककों में उत्पादन बढाने के लिए इन एककों के कार्यनिष्पादन की लगातार समीक्षा की गई है। प्लांट एवं मशीनरी के अच्छे रूप में आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये अन्य उपायों के अतिरिक्त इन समीक्षाओं तथा अध्ययनों के आधार पर उपयुक्त मरम्मत आधुनीकीकरण, बाधाओं को दूर करने के लिये एकको कार्य तथा अन्य कार्यक्रम किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं।

चौथी योजना के अन्त तक सिंचाई क्षमता

2248. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के अन्त तक देश में कुल सिंचाई क्षमता बढ़कर 3 करोड़ हैक्टयर हो जायेगी;

(ख) क्या इस समय निर्माणाधीन विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की मूल अनुमानित राशि के 953 करोड़ रु० से बढ़कर अधिक हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो चौथी योजना के अन्त तक देश की कुल कृषि योग्य भूमि में सिंचित भूमि कितने प्रतिशत हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) देश में चतुर्थ योजना के अन्त तक बृहद् तथा मध्यम स्कीमों से लगभग 21.4 मिलियन हैक्टेयर और लघु सिंचाई स्कीमों से लगभग 24 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई शक्यता होने की संभावना है।

(ख) चतुर्थ योजना में सिंचाई स्कीमों के लिये 953.8 करोड़ रुपए के परिव्यय की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारें यह कोशीश करती आ रही हैं कि अधिकतम संभव अतिरिक्त धनराशि जुटाई जाए और इस क्षेत्र में वास्तविक परिव्यय के लगभग 1200 करोड़ रुपए होने की संभावना है।

(ग) चतुर्थ योजना के अन्त तक देश के लगभग 27 प्रतिशत फसली क्षेत्र को सिंचाई शक्यता उपलब्ध होने की संभावना है।

पांचवी योजना में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन लक्ष्य

2250. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजनावधि में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन लक्ष्य क्या है ;

(ख) इस समय उर्वरक उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता क्या है; और

(ग) पांचवीं योजना में प्रक्षिप्त लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठा जा रहे है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) पांचवी योजना के प्रस्ताव प्रलेख के अनुसार 1978–79 तक 3.912 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन और 1.174 मिलियन मीटरी टन फास्फेट।

(ख) 2 नई परियोजनाओं अर्थात, गोआ तथा कोचीन (चरण 1) जिनमें हाल ही में उत्पादन होना शुरू हुआ है, को सम्मिलित करते हुए लगभग 1.464 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 0.5 मिलियन मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$.।

(ग) वर्तमान यूनिटों में अनुकूलतम उत्पादन करने के लिये बाधाएं दूर करने, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी कई कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई नई परि-योजनाएं विस्तार कार्यान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में है । पांचवी योजना अवधि के दौरान सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 5 नई परियोजनाएं के स्थापित किये जाने का सिद्धान्त रूप म अनुमोदन कर दिया है । ये उन संयंत्र के अतिरिक्त होंगे जिनके गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने की संभावना है ।

पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में तेजी लाने के बारे में मैसूर राज्य का अनुरोध

2251. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** :

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य ने पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में तेजी लाए जाने के बारे में अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां;

(ख) राज्य की अवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिये तेल कम्पनियां विशेष यत्न कर रही है ।

इन्टैग्रेल कोच फैक्टरी द्वारा प्रथम श्रेणी के चेयर कार कोचों तथा 'टू टायर' एयर कंडीशन्ड स्लीपरों का उत्पादन

2252. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैराम्बूर स्थित इंटीग्रल कोच फैक्टरी ने 750 रेलवे कोचों का अपना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ;

(ख) क्या इंटेग्रल कोच फैक्टरी ने प्रथम श्रेणी के चेयर कार कोचों के उत्पादन की योजना बढ़ाई है और यदि हां, तो उनका उत्पादन कब तक चालू हो जायेगा;

(ग) क्या यह नए टू-टायर एयर कंडीशंड स्लीपर कोचों का भी उत्पादन आरम्भ करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक लक्ष्यों की प्राप्ति होगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1973-74 के लिए 750 रेल सवारी डिब्बों का उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे इस वर्ष पूरे किये जाने की आशा है।

(ख) जी हां । एक वर्ष में बडी लाइन के पहले दर्जे के 10 चेयर कारों के उत्पादन की आशा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रस्तावित सवारी डिब्बों के अभिकल्प को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अभिकल्प को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद उनके उत्पादन कार्यक्रम का विनिश्चय किया जायगा ।

आवश्यक और गैर-आवश्यक औषधियों के 'मार्कअप' को कम करने के लिए औद्योगिक लागत तथा मूल्य संबंधी ब्यूरो की सिफारिशें

2253. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य संबंधी ब्यूरों ने आवश्यक तथा गैर आवश्यक औषधियों के 'मार्क अप' को 75 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत से कम कर के 63 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक कम करने की सिफारिश की है।

(ख) क्या देश की अर्थ व्यवस्था में मुद्रा स्फिति की प्रवृत्ति को देखते हुए प्रस्तावित 'मार्क अप' अपर्याप्त है और औषध उद्योग के विकास पर इसका बुरा प्रभाव पडेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सभी पहलुओं पर विचार करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) औद्योगिक लागत एवं मूल्य के ब्यूरो के अध्यक्ष के अधीन कार्यकारी दल कि रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा जांच के अन्तिम स्तर पर है । कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय करने के लिए सभी सम्बन्धित दृष्टिकोणों पर विचार किया जा रहा है ।

केरल और मैसूर के बीच अन्तर्राज्यीय बिजली ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण

2254. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केरल में इदीकी और मैसूर के बीच अंतर्राज्यीय बिजली ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण की योजना को दोनों राज्यों की चौथी योजना में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृती दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों राज्यों के भाग के बारे में मुख्य वातें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) इस स्कीम में इदिक्की से मैसूर तक 365 किलोमीटर 220 के० वी० सिंगल सर्किट लाइन (केरल में 275 किलोमीटर तथा मैसूर में 90 किलोमीटर लाइन की लम्बाई आती है) के निर्माण और किसी भी छोर पर टर्मिनल उपस्कर का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है। स्कीम की कुल लागत 654.20 लाख रुपये आने का अनुमान है, जिसमें केरल के अंश पर 515 लाख रुपये तथा मैसूर के अंश पर 139.20 लाख रुपये लागत आएंगे। अंतर्राज्यीय लाइन के जरिए दोनों विद्युत प्रणालियों में 150 मैगावेट तक विद्युत विनिमय होगा।

भटिंडा में तापीय संयंत्र

2255. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भटिण्डा में तापीय संयंत्र का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) इस संयंत्र के पूरा होने में कुल कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) इसके पूरे होने पर कितनी बिजली उत्पन्न होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) वर्तमान संकेतों के अनुसार, गुरु नानक ताप विद्युत केन्द्र, भटिण्डा के प्रथम यूनिट के दिसम्बर 1973 में तथा दूसरे यूनिट के दिसम्बर 1974 में चालू होने की संभावना है ।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 55.50 करोड रुपये है।

(ग) परियोजना के पूर्ण होने पर, लगभग 720 मिलियन यूनिट ऊर्जा हर वर्ष उत्पन्न होने की संभावना है ।

उर्वरक उत्पादन में सुधार के लिए कार्यवाही

2256. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में उर्वरक के उत्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : वर्तमान यूनिटों में इष्टतम उत्पादन के लिये नवीकरण, बाधाएं दूर करने तथा आधुनिकीकरण संबंधी कई कार्यक्रम बनाये जा रहे है । कई नई परियोजनाएं भी कार्यान्विती की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने पांचवीं योजना अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में पांच

नई उर्वरक परियोजनाएं स्थापित किये जाने का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया है। ये उन परियोजनाओं के अतिरिक्त होंगी जिनके गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने की संभावना है।

भागलपुर लूपलाइन के रास्ते से पटना और मालदा के बीच एक तेज चलने वाली रेलगाड़ी आरम्भ करने तथा बरास्ता भागलपुर लूपलाइन आसाम मेल चलाने के बारे में मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन

2257. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे पर बरास्ता भागलपुर लूपलाइन पटना से मालदा तक की तेज चलने वाली रेलगाडी चलाए जाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उन्होंने इस रेलगाडी तथा भागलपुर लूपलाइन के रास्ते से शीघ्र ही आसाम मेल चलाए जाने के बारे में आश्वासन दिलाया था, और

(ग) यदि हां, तो यह आश्वासन कब तक पूरा किया जाएगा तथा इन रेल गाड़ियों के बार में जनता की मांग को कब तक स्वीकार किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) भागलपुर और फरक्का के रास्ते दिल्ली से गुवाहाटी तक एक तेज गाडी चलाने के लिए बहुत से सुझाव मिले हैं और उन पर सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है।

बंगलौर से बम्बई, हैदराबाद और दिल्ली के बीच बड़ी रेलवे लाइनें

2258. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण भारत में औद्योगिक दृष्टि से बंगलौर सिटी अत्यंत तीव्र गति से विकास कर रहा है।

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि बंगलोर से बम्बई और हैदराबाद तथा दिल्ली के लिए कोई सीधी बडी रेलवे लाइन नहीं है, और

(ग) यदि हां, तो इन लाइनों के निर्माण के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) बेंगलूर–गुन्तकल्लु मीटर लाइन को बडी लाइन में बदलने के लिए एक परियोजना की स्वीकृति दी गयी है और काम जारी है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर बम्बई और बेंगलूर के बीच एक सीधी बडी लाइन बन जायेंगी। इस सम्पर्क के पूरा हो जाने के बाद बेंगलूर से हैदराबाद और दिल्ली तक बडी लाइन की यात्रा दूरी भी काफी कम हो जायगी।

इसके अलावा, गुन्तकल्लु से सिकन्दराबाद तक एक नयी बडी लाइन (लगभग 366 कि० मी०) के लिये यातायात सर्वेक्षण और सिकन्दराबाद से वर्धा तक एक नयी बडी लाइन (लगभग 499 कि० मी०) के लिए दूसरे यातायात सर्वेक्षण को भी स्वीकृति दी गयी है जिससे बेंगलूर से हैदराबाद और दिल्ली तक की दूरी और कम हो जायगी। इन सर्वेक्षणों के परिणाम की जानकारी हो जाने के बाद ही इन परियोजनाओ के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायगा।

अद्यतन प्रकाशित समय सारणियों में गाडियों के दिखाए गए समयों में त्रुटियां

2259. **श्री मधु लिमये : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपनी अद्यतन प्रकाशित समय सारणियों में दिखाए गए गाडियों के समयों में और उनके वास्तविक समयों में अन्तर के बारे में पता है जैसे कि सिकन्दराबाद बंगलौर एक्सप्रैस बंगलोर से मध्यान्ह पूर्व छूटती है; और

(ख) यदि हां, तो ये त्रुटियां कब तक दूर कर दी जाएगीं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 85/86 सिकन्दराबाद बेंगलूर एक्सप्रेस गाडियों को 15–4–73 / 16–4–73 से गुन्तकल्लु और बेंगलूर के बीच डीजल इंजन से चलाये जाने के परिणामस्वरूप इन गाडियों के समय में इन्हीं तारीखों से संशोधन करना पडा था। एक प्रेस अधिसूचना के माध्यम से इन गाडियो के के संशोधित समयों की सूचना जनता को पहले ही दे दी गयी थी। 85/86 एक्सप्रेस गाडियों के संशोधित समय तथा 1–11–72 से 30–4–73 तक की अवधि के बीच दक्षिण रेलवे की अन्य रेल / एक्सप्रेस गाडियों के समयों में किए गये परिवर्तनों को एक फोल्डर समय सारिणी के रूप में प्रकाशित किया गया था जिसमें 1-5-73 को मेल / एक्सप्रेस गाडियों के समय का सार दिया गया था।

चालू समय सारणी को चालू अवधि में गाडियों के समय में जो परिवर्तन किये जाते है, यात्री जनता को सूचना के लिए उन्हें प्रेस अधिसूचना तथा स्टेशन के सूचना पटटों के माध्यम से अधिसूचित कर दिया जाता है।

महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में रेलवे भोजनालय सेवा पुनः चालू करना

2260. **श्री मधु लिमये : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व रेल मंत्री श्री हनुमन्तय्या के शासनकाल में रेलवे भोजनयान सेवा बन्द किये जाने के बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली है,

(ख) यदि हां, तो इस अत्यावश्यक सुविधा को बन्द कर देने के क्या कारण है, और

(ग) क्या महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रेस रेल गाडियों में उक्त सेवा के पुनः चालू करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) उल्लिखित अवधि में 303/304 बम्बई पुणे डाक गाडियों से केवल बुफे कार ही हटायी गयी थी और वह 309/310 बम्बई पुणे जनता एक्सप्रैस गाडियों में लगा दी गयी थी। इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली।

(ख) पुणे और कोल्हापुर के बीच बडी लाइन खण्ड के खोले जाने और 303/304 बम्बई पुणे डाक गाडी को कोल्हापुर तक बढाये जाने तथा 309/310 बम्बई पुणे जनता एक्सप्रैस में बुफे कार की व्यवस्था करने के लिए जनता दवारा मांग किये जाने के कारण यह परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था।

(ग) सम्भवत: आशय हाल में ही कुछ महत्वपूर्ण डाक एक्सप्रैस गाडियों में भोजन यान के स्थान पर पेंट्र कार लगाये जाने के बारे में है । नयी प्रणाली के अंतर्गत भोजन मार्गवर्ती स्टेशनों पर स्थित रसोईघरों में पकाया जाता है और वहां से उठा कर पेंट्र कार में गरम डिब्बों में रख दिया जाता है। यह भोजन मार्ग में उपयुक्त समयों पर यात्रियों को दिया जाता है । इस परिवर्तन से चलती गाडियों में भोजन पकाने और धुलाई सफाई की समस्या समाप्त हो गयी है और यात्रियों को बेहतर और अधिक स्वास्थ्यपर भोजन देने में सहायता मिली है । यह प्रणाली जो 16-4-72 से 3/4 फ्रंटियर डाक गाडियों में लागू की गयी थी जनता की अनुकूल प्रतिक्रिया को देखते हुए इस वर्ष 15/16 जी० टी० एक्सप्रैस, 25/26 वातानुकूल पश्चिम एक्सप्रैस और 1/2 हावडा दिल्ली कालका डाक गाडियों में भी लागू कर दी गयी है ।

Sukta Dam Project

2261. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state:

(a) whether the modified report on the Sukta Dam Project of East Nimar District (M. P.) has been received from the State Government; and

(b) if so, the main features thereof and the time by which it is likely to be approved?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) Yes, Sir.

(b) The modified project proposed by the Government of Madhya Pradesh is estimated to cost about Rs. 483 lakhs for providing annual irrigation to an area of 47150 acres. It is presently under technical examination in the Central Water and Power Commission. The project will be considered for acceptance after its examination is completed.

Survey for extension of embankments of Narmada River in Hoshangabad and East Nimar Districts of M.P.

2262. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the survey in regard to the extension of embankments of Narmada river in Hoshangabad and East Nimar Districts of Madhya Pradesh has been completed; and

(b) if so, the findings thereof and the target fixed for the completion of this project?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) The State Government of Madhya Pradesh have informed that they have not so far taken up the surveys for embankments on the Narmada river in Hoshangabad and East Nimar Districts.

Request by East Nimar District Chamber of Commerce (M.P.) request for prompt supply of wagons.

2263. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the East Nimar District Chamber of Commerce (M.P.) has requested the Railway authorities to eliminate the delay in supply of wagons in East Nimar District in order to arrest the shortfall in Industrial production in the State in general and particularly in the said District; and

(b) if so, the reaction of his Ministry thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) Does not arise. Supply of wagons to stations falling in East Nimar District of Madhya Pradesh is fairly satisfactory.

मैसर्स 'रोश' द्वारा अपने उत्पादों की लागत बढ़ा कर अत्यधिक लाभ अर्जित किया जाना

2264. **श्री विद्याधर बाजपेयी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में मैसर्स रोश द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों के नाम क्या हैं और उनका खुदरा विक्रय मूल्य क्या है ; और

(ख) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि इस फर्म द्वारा उपभोक्ताओं का अहित करके अत्यधिक लाभ नहीं कमाया जा रहा है एकाधिकार आयोग जैसे किसी स्वायत्त शासी निकाय द्वारा इस फर्म के कार्यकरण की जांच करने के आदेश देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत में मैसर्स रोश द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों के नाम तथा उनके फुटकर विक्रय मूल्य संलग्न सूची में दिये गये है। [**(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5340/73)**]

(ख) जी नहीं, क्योंकि दवाइयों के विक्रय मूल्य तथा लाभप्रदत्ता औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत विनियमित किये जाते हैं।

रेल मार्ग पर से कोयला एकत्र करने वाले रेलवे कुलियों और गरीब जनता से रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा घूस लिये जाने का आरोप

2265. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी ऐसे रेलव कुलियों और गरीब लोगों से घूंस लेते है जो दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे लाइनों पर बिखरे हुए कोयले उठाते है और रेलवे सुरक्षा बल के इन भ्रष्ट तरीकों को रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाई की जाती है।

भारतीय तेल निगम द्वारा वर्ष 1972-73 में गैस-पेट्रोल तथा अन्य उत्पादों के लिये दिल्ली में दी गई एजेंसियां

2266. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम और पते क्या है जिनको वर्ष 1972-73 में दिल्ली में इन्डेन गैस और इण्डियन आयल पैट्रोल तथा चिकनाई वाले अन्य तेलों की एजेंसियां दी गई है ; और

(ख) एजेंसी के लिये आवेदन पत्र भेजने वालों को किस आधार पर एजेंसियां दी जाती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) नवम्बर, 1969 में भारतीय तल निगम ने अपनी एजेंसियां देने में कम आय वाले परिवारों के बेरोजगार स्नातकों/इंजीनियरों को तरजीह देन के लिए एक योजना बनाई थी दिसम्बर, 1971 के युद्ध के तुरन्त बाद यह योजना स्थगित कर दी गई थी और सरकार के अनुमोदन से, भारतीय तेल निगम ने एक योजना बनाई है जिस के अन्तर्गत इस की एजेसियों का नियतन करने में, रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशक की सिफारिश पर अपंग सैनिकों। युद्ध में मारे को अथवा लापता हुये सैनिकों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों को तरजीह दी जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत पुनर्वास महानिदेशक ने जहां भारतीय तेल निगम का डीलर नियुक्त करने के लिये कोई व्यक्ति नामित नहीं किया है तो डीलरशिप देने में कम आय वाले परिवारों के बेरोजगार। स्नातकों/इंजीनियरों को तरजीह देनी होती है। जहां तक 'बी' स्थल के फुटकर बिक्री केन्द्रों का संबंध है, प्रारंभिक अवस्थाओं में इन की कम लाभप्रदता को दृष्टि में रखत हुए इन के लिये विज्ञापन दिया जाता है और रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास निदेशक भी सूचित किया जाता है ताकि वे किसी पात्र सैनिक का नाम भज सकें। वर्तमान योजना में राज्य सरकारों, राज्य मार्ग परिवहन उपक्रमों आदि द्वारा नामित किये गये कम आय वाल परिवारों के बेरोजगार स्नातकों। इंजीनियरों की सहकारी सोसाइटियों की छूट दिये जाने की व्यवस्था है।

1972-73 के दौरान दिल्ली में, जिन्हें भारतीय तेल निगम की एजेंसियां दी गई हैं, के ब्यौरे का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

लुब्रीकेन्टस के लिये भारतीय तेल निगम की एजेंसियों के नियतन का जहां तक संबंध है, निगम अपने किसी लुब्रीकेन्ट आयल की कोई एजेंसी नही देता। निगम की वर्तमान नीति के अनुसार, भारतीय तेल निगम के लुब्रीकेन्ट या तो सीधे वास्तविक उपभोक्ताओं को या इस के पुन: विक्रेता प्रतिष्ठान अर्थात् फुटकर बिक्री केन्द्रों और उक्त योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा नियुक्त किये गये एस० क० ओ०/एल० डी० ओ० के डीलरों की मार्फत बेंचे जाते हैं।

विवरण

परिशिष्ट

उन पार्टियों, जिन्हें 1972-73 के दौरान दिल्ली में भारतीय तेल निगम के इंडेन गैस, एस० के० ओ०/एल० डी० ओ० तथा पैट्रोल पम्पों की एजेंसियां दी गई हैं, के ब्यौरों का विवरण पत्र

पार्टियों के नाम तथा पते	स्थान
इंडेन गैस	
श्रीमती पुष्पा अरोड़ा एवं श्रीमति गीता डोगरा मार्फत मैसर्स ए० के० एन्टरप्राइजिज 11, गुरु सिंह सभा ; अशोक मार्ग, नई दिल्ली	राजौरी गार्डन, नई दिल्ली
एस० के ओ०/एल० डी० ओ०	
1. श्रीमती बिमला देवी, स्वर्गीय 2960404 सूबेदार रामदिया, की विधवा गांव एवं डाकघर खेडा खुर्द, दिल्ली	नरेला, दिल्ली
2. श्रीमति अंग्रेजी देवी, स्वर्गीय 80910 टी० ओ०पी०/(नेवी) पी० सिंह की विधवा, गांव एवं डाकघर नरेला, दिल्ली	-- वहीं --

पार्टियों के नाम तथा पते	स्थान
3. श्रीमती रामवती देवी, स्वर्गीय सं० 2851370 हवलदार राजेन्द्र सिंह की विधवा, गांव तथा डाकघर हातिम, जिला गूंडगांव	माडल टाऊन, दिल्ली
4. श्रीमती तारा कुमारी, स्वर्गीय 1022800 डी० एफ० आर० मोहब्बच सिंह की विधवा, मार्फित बावर सिंह (जमादार) बिडला काटन मिल्लज, बिड़ला लेन्ज़, दिल्ली–7	काश्मीरी गेट, नई दिल्ली
5. श्रिमति प्रेमवती, स्वर्गीय एन० के नारायण दत्ता, 2947440, की विधवा, 641 डी, तृतीय मंजिल, कमला नगर, दिल्ली–	–वही–
6. जे० सी० 55028 नायक सूबेदार महासिंह, गांव एवं डाकघर रंगीला, जिला मोहिन्द्रगढ़ (हरियाणा)	दिल्ली केन्ट
7. 50045 चोआ (नेवी) देवेन्द्रनाथ, 6 / 17 एम० ई० एस० क्वार्टर्स, सदर बाजार, दिल्ली कैन्ट	–वही–
8. श्रीमति पावनकान्ता, स्वर्गीय 2639460 एन० के० रामनाथ की विधवा, 20 एन० डी० एस० ई० पार्ट–ii, नई दिल्ली–7 49	कोटला मुबारकपुर
9. श्रीमति सबरा देवी, स्वर्गीय 28558353 आर० एफ० होशियार सिंह गांव तथा डाकघर इस्सेपुर, दिल्ली	–वही–
फुटकर बिक्री पम्प डीलरशिप	
1. मेजर डी० बी० सम्भरवाल, 4–बी / 16, राजेन्द्रनगर नई दिल्ली	सैक्टर, रामकृष्णपुरम नई दिल्ली
2. कैप्टन एन० के० महाजन, आफिसर वार्ड आर्मी हैडक्वार्टर्ज, दिल्ली कैन्ट	1900 अवे नेशनल बाई–पास
3. कैप्टन एस० एस० बेदी, 37 / 8, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली	––वही––
4. 2 लेफ्ट बी० आर० तनेजा, एम० 35, मालवीय नगर, नई दिल्ली	जी० टी० रोड, एम० एस० 4 / 7 शाहदश, दिल्ली।
5. कैप्टन ए० के० बहल बी 1 / 856 लोधी कालोनी, नई दिल्ली	पंचशील कालोनी, नई दिल्ली
6. मेजर वी० डी० शर्मा, बी / 412, कृष्ण नगर, दिल्ली कैन्ट	––वही––
7. मेजर आर० एल० ग्रोवर, एच–335, नरैना, नई दिल्ली	लारेन्स रोड, दिल्ली
8. श्री ए० बैनर्जी तथा श्री बी० बैनर्जी डी–35 हौज खास, नई दिल्ली–16	हौज खास के पीछे
9. दिल्ली आटोमोबाइल्स, 3 /15 ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली	सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली।
10. लेला गुरुचरण सिंह 18–ई० डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली।	विनय मार्ग
11. आई० टी०डी०सी० जीवन बिहार, पार्लियामेंट स्टीट, नई दिल्ली।	निति मार्ग

इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड का कार्यकरण और इसके चेयरमैन और निदेशकों की नियुक्तियां

2267. **कुमारी कमला कुमारी : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उपक्रम इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के कार्यकरण की मुख्य बाते क्या है ;

(ख) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड में चेयरमैन और निदेशकों को नियुक्त करने के लिये अर्हताएं और आधार क्या है ; और

(ग) क्या इसको घाटा हो रहा है या लाभ हो रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इंजीनियर्स इण्डिया लि० भारत सरकार के पूर्व स्वामित्व वाली कम्पनी है। पैट्रोलियम एवं अन्य औद्योगिक परियोजनाओं को तकनीकी तथा परामर्श संबंधी सेवाएं देने तथा अनेक किस्म के औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित सेवाओं तथा प्रबन्ध कार्य की व्यवस्था करने के लिए कम्पनी की स्थापना की गई है। कम्पनी को जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था उद्देश्यों के अनुसार कम्पनी विभिन्न सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र / गैर सरकारी क्षेत्र के संगठनों को तकनीकी संबंधी परामर्श एवं प्रबन्ध कार्य संबंधी सेवाएं कर रही है।

(ख) भारत सरकार द्वारा संबंधित व्यक्तियों के शैक्षिक योग्यताओं तथा अनुभव को दृष्टि में रखकर ,अध्यक्ष एवं निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके साथ इंजीनियर्स इण्डिया लि० का पर्याप्त सबंध है, के निनिधियों के नामों पर भी कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है।

(ग) कम्पनी 1967–68 से आज तक लाभ अर्जित कर रही है।

दिल्ली स्टेशन से चलने वाली मेल/एक्सप्रेस रेल गाडियों में साधारण सीट दिलाने के लिये कुलियों द्वारा यात्रियों से 4 या 5 रुपये लिया जाना

2268. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलन वाली सभी मेल / एक्सप्रेस रेलगाड़ियो में प्रतिदिन रेलवे कुली बैठ जाते हैं और यात्रियों से एक सीट के लिये 4 या 5 रुपय ले लेते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे कुलियों द्वारा इस कदाचार को रोके जाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं, किन्तु यात्रियों द्वारा सम्भवता भारिकों के साथ सांठ-सांठ करके यार्ड में गाड़ियों में सीटें / शायिकाएं घेर लेने के कुछ मामले सामने आये हैं।

(ख) ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए रेलवे पुलिस की सहायता से जांच का काम तेज कर दिया गया है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक प्राधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिये सतकर्ता प्राधिकरण की नियुक्ति की मांग

2269. **श्री डी० के० पंडा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीपल्स सेंट्रल लीगल एड सोसाइटी ने हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक प्राधिकार का दुरुपयोग रोके जाने के लिये सतर्कता प्राधिकरण नियुक्त करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच कर ली गई है। संविधान में, सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग के लिए, पहले से ही उपबंध विद्यमान है। इस प्रयोजनार्थ प्रक्रिया, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और तत्धीन बने नियमों में बताई गई है।

संविधान में किसी उच्च न्यायालय के निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश के विरुद्ध अपील के लिए भी उपबंध विद्यमान है। जब ऐसी कोई अपील की जाती है, तो उच्चतम न्यायालय निःसन्देह निचले न्यायालय द्वारा किए गए किसी न्यायिक प्राधिकार के दुरुपयोग पर विचार करता है। इन परिस्थितियों में, यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि पीपुल्स सेंट्रल लीगल एड सोसायटी द्वारा यथा प्रस्तावित कोई पृथक सतर्कता प्राधिकरण स्थापित किया जाए।

मुसलमानों के वैयक्तिक कानून में परिवर्तन

2270. **मौलाना इसहाक सम्भली :**

श्री धनशाह प्रधान :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुसलमानों के वैयक्तिक कानून में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट

2271. **मौलाना इसहाक सम्भली :**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बिजली का गम्भीर संकट है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) उक्त राज्य में बिजली की वर्तमान कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी कब तक दूर हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : जी हां, बिजली की कमी लगभग 5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन की है। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी का मुख्य कारण रिहन्द और ओबरा जल विद्युत केन्द्रों के बाहक्षेत्र में वर्षा का न होना है जिससे इनका विद्युत केन्द्रों से बिजली की उपलभ्यता में कमी हो गई।

(ख) मध्य प्रदेश, राजस्थान, भाखड़ा प्रबंध बोर्ड और दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थानों से लगभग 2.6 मिलियन यूनिट बिजली लेने के लिए प्रबंध कर दिये गए हैं। नये उत्पादन यूनिटों को प्राथमिकता के आधार पर चालू करने का प्रयास किया जा रहा है।

(ग) स्थिति के जुलाई, 1974 तक सुधार जाने की संभावना है, जब यमुना चरण–दो का चिब्रो जल विद्युत् केन्द्र (4 × 60 मेगावाट) और औबरा ताप विद्युत् केन्द्र पूरा हो जायगा।

कानूनी शिक्षा के स्तर में सुधार

2272. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कानूनी शिक्षा का स्तर इन वर्षों में गिर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कानूनी शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कानून के शिक्षण और अनुसंधान के विकास पर सलाह देने के लिए, डा० पी० वी० गजेन्द्रगड़कर की अध्यक्षता में कानूनी शिक्षा और अनुसंधान समिति, जिसमें कानूनी शिक्षा–क्षेत्र में सुविख्यात 11 अन्य सदस्य भी थे, मार्च, 1969 में नियुक्त की गई थी। उस समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विधि महाविद्यालयों और विधि विभागों को, अपने पुस्तकालयों की क्षमता बढ़ाने में सहायता देने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गया है और भारत सरकार, संबद्ध विधि महाविद्यालयों के पूर्णकालिक शिक्षकों का वेतनमान पुनरीक्षित करने को सहमत हो गई है। इस समिति की सिफारिश पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुना विश्वविद्यालय में फरवरी, 1972 में आयोजित कानूनी शिक्षा संबंधी एक अखिल भारतीय सेमिनार का समथन किया था जिसमें लोग काफी संख्या में उपस्थित हुए थे। इस सेमिनार की सिफारिशें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कानूनी शिक्षा संबंधी पेनल के समक्ष रखी जा रही है।

कानूनी शिक्षा समिति की सिफारिशों पर और विश्वविद्यालयों के परामर्श से, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने कानूनी शिक्षा के स्तर निर्धारित करने वाले नियम बनाए हैं और वह स्तर में सुधार लाने के सभी प्रयास कर रही है। कानूनी शिक्षा तथा अनुसंधान समिति ने यह महसूस किया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कानूनी शिक्षा के सुधार के संबंध नें विस्तृत सिफारिशें, पूना में आयोजित सेमिनार की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष रखी जा सकती है। सेमिनार की सिफारिशों का उक्त समिति द्वारा अभी अध्ययन किया जाना है। इसलिए इस समय यह कहना संभव नहीं है कि देश में कानूनी शिक्षा का स्तर पिछले कुछ वर्षों में गिर गया है किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा कानूनी शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई में कटौती किया जाना

2273. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा न होने के कारण उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई में और कटौती की जायेगी ;

(ख) क्या बिजली की सप्लाई में इतनी अधिक कटौती करने का लगभग सभी उद्योगों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अन्य राज्यों से बिजली सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश में बिजली की और कटौती करने के कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भाखड़ा प्रबंध बोर्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान प्रणालियों से लगभग 2.6 मिलियन यनिट बिजली लेने के लिए प्रबंध किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश को कोयला ले जाने के लिये मालडिब्बे सप्लाई न किये जाने के बारे में शिकायतें

2274. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ऐसी विभिन्न शिकायतों की ओर दिलाया गया है कि मालडिब्बों की कमी क कारण उत्तर प्रदेश के उद्योगों में और घरेलु खपत के लिये कोयले की 25 प्रतिशत आवश्यकता भी पूरी नहीं की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त संख्या में मालडिब्बे सप्लाई किये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) मई और जून, 1973 में त्तर प्रदेश को कुल कतने माल डिब्बे सप्लाई किये गये ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) उत्तर प्रदेश के लिये कोयल के अपर्याप्त संचलन के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस समय जितना संचलन हुआ है। वह आवश्यकता के 25 प्रतिशत से अधिक है।

(ख) उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों को कोयले के संचलन में वृद्धि करने के लिये कोयला खान अधिकरण के परामर्श से उपयुक्त कदम उठाये जा रहे है।

(ग) उत्तर प्रदेश को मई और जून 1973 में बी० आर० के०, एस० एस० आइ० प्राथमिकताओं वाले कोयले, साफ्ट कोक और हार्ड कोक के संचलन के लिए आवंटित किये गये माल-डिब्बों की संख्या क्रमश: 1,716 और 3,275 थीं।

बिजली कर्मचारियों तथा दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के बीच समझौता

2275. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1973 में बिजली कर्मचारियों तथा दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के बीच समझौता हो गया था;

(ख) यदि हां, तो समझौते की क्या बातें है; और

(ग) क्या समझौते को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जुलाई, 1973 में दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के प्रबंधकों और किसी भी मान्यता प्राप्त युनियन के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। अभी विचार विमर्श हो रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Foreign Experts in Indian engaged in Oil Exploration

2276. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the names of the countries whose experts are at present engaged in oil exploration in India, the terms and conditions of their assignments and the period for which they have come to India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : Experts only from the USSR are assisting the ONGC in oil prospecting in India, at present.

The experts are paid a monthly salary by ONGC. Additionally, they are paid a transfer grant once during their assignment. Also their cost of travel from USSR to India at the beginning of the contract, from India to USSR at the end of the Contract and the cost of their travel from India to USSR and back during their leave periods, are borne by the ONGC. The experts are also paid air/rail fare and daily allowance for their travels within India on official duty. Additionally, the experts are provided by the ONGC with furnished residential accommodation and medical attendance, free of charge, during their stay in India. The period of their stay varies from 18 to 34 months.

Major and Medium Irrigation Schemes in U.P.

2277. **Shri Dhan Shah Pradhan :**

Shri Martand Singh :

Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state :

(a) the number of major and medium irrigation schemes under implementation in Madhya Pradesh at present ; and

(b) the irrigational potential expected to be generated as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Balgovind Verma) : (a) & (b) 6 major and 19 medium irrigation schemes are, at present under implementation in Madhya Pradesh. On completion, they are expected to provide an irrigation potential of 8.83 lakh hectares.

Shortage of Railway Wagons for Movement of Goods

2278. Shri G. P. Yadav:

Shri N. R. Vekaria:

Will the Minister of **Railways be pleased to state:**

(a) whether there is still an acute shortage of Railway wagons in the country, which causes delay in the movement of goods in the various parts of the country; and

(b) the measures being taken by Government to remove the shortage?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes; the shortage occurs due to various factor like agitations, strikes, undue delay in releasing wagons at unloading points etc., resulting in delay in making wagons promptly available to trade.

(b) Various steps have been and/or are being taken to improve wagon availability-some of these are:—

(i) Extending the scope of diesel and electric traction to speed up movement.

(ii) Dumerrage and wharfage rates have been stepped up with effect from 1-12-72, with a view to encouraging trade to expedite loading and unloading operations.

(iii) Co-operation of trade is being continuously sought to expedite loading and unloading operations, as well as to increase the extent of movement in train load.

(iv) As on 1-7-73, orders for manufacture of 43,278 wagons with various wagons manufacturers including Railway Workshops were pending and further orders for about 20,000 wagons are expected to be placed shortly. Orders for more wagons are being processed to ensure adequate availability for the anticipated level of traffic.

(v) Measures and facilities for repair of damaged wagons are being intensified.

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में एक तापीय बिजली घर की स्थापना

2279. **श्री आर० के० सिन्हा : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में एक तापीय बिजली घर स्थापित करने अथवा इस समय विद्यमान बिजली घर का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि मनसून की स्थिति अनिश्चित रहने के कारण ऐसा किया जाना आवश्यक हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विदयुत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े स्टेशनों पर माल वैगनों की पहुंच तथा सप्लाई स्थिति का दैनिक चार्ट में दिखाया जाना

2280. **श्री आर के० सिन्हा : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापारियों की सुविधा के लिये बडे स्टेशनों पर माल वैगनों की पहुंच तथा सप्लाई की स्थिति को दैनिक चार्ट में दिखाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रबन्ध किस तारीख से किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) स्टेशनों पर पहले से एक प्रणाली विद्यमान है, जिसके अन्तर्गत अलग अलग मार्गकर्ताओं को आबंटित किये गये मालडिब्बों की सूचना एक पट्टे पर लगा दी जाती है जो विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए होता है ।

कुछ स्टशेनों पर उन परेषितियों को, जिनके बारे में मालूम हो, माल डिब्बों की पहुंच के सम्बन्ध में टेलीफोन द्वारा सूचना देने की प्रणाली भी विद्यमान है ।

तीसरी श्रेणी के रेल यात्रियों के लिये आरक्षण की टाईप की हुई सूची का दिखाया जाना

2281. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि रेलवे स्टेशनों पर अधिकांशतया आरक्षण की हस्तलिखित सूचियां लगाई जाती है जिसके लेख अस्पष्ट होते है तथा जिन्हें पढने में कठिनाई होती है, और

(ख) क्या तीसरी श्रेणी के रेल यात्रियों की सुविधा के लिये प्रमुख स्टेशनों पर इन सूचियों को टाइप करके लगाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) ऐसे प्रमुख जंक्शन स्टेशनों पर जहां आरक्षणों की मात्रा को देखते हुए टाइपिस्टों की व्यवस्था करने का औचित्य बनता है,आरक्षण चार्ट टाइप किये जाते है । दूसरे मामलों में चार्ट हाथ से लिखकर बनाये जाते है और यह कोशिश की जाती है कि तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफाम पर तथा गाडियों पर सुस्पष्ट प्रतियां चिपकायी जायें। ऐसे प्रबन्ध किये जा रहे है जहां-जहां औचित्य बनता हो, वहां और अधिक टाइपिस्टों की व्यवस्था की जाये जिससे और अधिक आरक्षण चार्ट टाईप करवाने की व्यवस्था हो सके ।

चल (फ्लोटिंग) विद्युत् केन्द्र की स्थापना

2282. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक चल (फ्लोटिंग) विद्युत केन्द्र स्थापित करने का कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां; तो उसकी मोटी बातें क्या है, और

(ग) देश में बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने में ये चल विद्युत् केन्द्र कहां तक सहायक होंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) उन चल विद्युत् केन्द्रो को स्थापित करने की तकनीकी व्यवहार्यता पर जिनको समुद्र तट पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और जहां भी आवश्यकता हो, विद्युत् की आपूर्ति कर सकते हो, जांच हो रही है । इस जांच के पूर्ण होने के पश्चात् ही अन्य विवरण को तैयार किया जा सकता है ।

मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में सोन नदी के जल के बटवारे में विवाद का हल

2283. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री मार्तण्ड सिह :

क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सोन नदी के जल के बटवारे सम्बन्धी विवाद को हल कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विवाद के कब तक हल होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सोन जल और वाण सागर परियोजना पर बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ विचार-विमर्श हुए है और सभी तीनों राज्यों को मान्य प्रस्तावों को तैयार करने के लिए प्रयत्न जारी रहे और यह आशा है कि निकट भविष्य में राज्यों के मध्य कोई समझौता हो जाएगा।

पांचवी योजना की अवधि के दौरान माल और यात्री यातायात में वृद्धि की संभावना

2284. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना की अवधि में माल और यात्री यातायात में कित ी वृद्धि होने की संभावना है ;

(ख) क्या पांचवीं योजना की अवधि में प्रत्याशित अतिरिक्त यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रेलवे व्यवस्था में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण क्या है; और विभिन्न जोनल रेलों द्वारा कितनी प्रगति की गई है ?

रेल मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) पांचवी योजना अवधि में अतिरिक्त माल और यात्री यातायात के लक्ष्य और उनक लिए अपेक्षित परिव्यय अभी योजना आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप से निर्धारित किये जाने है। इन लक्ष्यों को अन्तिम रुप दे दिये जाने के बाद ही अतिरिक्त यातायात की ढुलाई के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

गोरखपूर उर्वरक कारखाने का विस्तार

2285. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोरखपुर उर्वरक कारखाने का विस्तार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विस्तार की मोटी रूप रेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) गोरखपुर (विस्तार) योजना जो विश्व बैंक (आइ० डी० ए०) के 10 मिलियन डोलरों के ऋण से कार्यान्वित की जा रही है, यूरिया के उत्पादन को 11.82 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर प्रतिवर्ष 174,000 मीटरी टन से प्रतिवर्ष 285,000 मीटरी टन तक बढ़ाने के लिये बनाई गई है। परियोजना के मार्च, 1975 तक मुकम्मल हो जाने की आशा है।

वर्ष 1973-74 के दौरान जाम्बिया को यात्री डिब्बों का निर्यात :

2286. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 के दौरान जांबिया को यात्री डिब्बे निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अप्रैल, 1970 में जाम्बिया रेलों द्वारा जारी की गयी टेण्डर इनक्वायरी के सम्बन्ध में सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास ने 14.81 लाख रुपये मूल्य के 6 सवारी डिब्बों की सप्लाई का एक आर्डर प्राप्त किया था। ये सवारी डिब्बे जून, 1973 में जाम्बिया को समुद्री जहाज से भेजे जा चुके हैं।

फरवरी, 1973 में जाम्बिया को 86 सवारी डिब्बों की सप्लाई के लिए एक अन्य दर प्रस्तुत की गयी थी। लेकिन यह आर्डर जापान ने येन क्रेडिट के आधार पर प्राप्त कर लिया है।

तीस्ता बांध योजना

2289. **श्री रानेन सेन :**

श्री भोला मांझी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पेश की गई तीस्ता बांध योजना को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(घ) इस योजना को कार्यरूप देने के लिये राज्य को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता कितनी होगी और किस प्रकार की होगी?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त तीस्ता बराज परियोजना (चरण एक) की संशोधित परियोजना रिपोर्ट में महानंदा नदी की ओर एक सम्पर्क नहर सहित गजलडोबा पर तीस्ता नदी पर एक बराज का निर्माण और पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में 7में5 लाख एकड़ (सी० सी० ए०) भूमि को सिंचित करने के लिए सोनापुरहाट पर महानंदा पर एक दूसरे बराज के साथ एक नहर प्रणाली का निर्माण 44.6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर परिकल्पित है। केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी जांच लगभग पूर्ण हो चुकी है। परन्तु, चूंकि स्कीम पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों को लाभ पहुंचायगी, अन्तर्राज्यीय पहलुओं का अभी समाधान किया जाना है। अब इस पर दोनों सरकारें विचार कर रही हैं।

वित्तीय सहायता दिए जाने के प्रश्न पर विचार करने से पहले परियोजना को अभी तैयार और स्वीकृत किया जाना है।

गुजरात में गावों में बिजली लगाना

2290. श्री वेकारिया :

श्री डी० पी० जदेना :

क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में जिलावार गुजरात राज्य में अब तक कितने गावों में बिजली लगाई है; और

(ख) पांचवी योजना में राज्यवार कितने गांवों में बिजली लगाई का प्रस्ताव है?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) पांचवो योजना के प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

चतुर्थ योजना के दौरान 30-6-1973 तक गुजरात में विद्युतिकृत ग्रामों का जिले-वार ब्यौरा

क्रम सं०	जिले का नाम	ग्रामों की कुल संख्या	चतुर्थ योजना के आरंभ में (1-4-69) को विद्युती कृत ग्राम	चतुर्थ योजना (1-4-69 से 30-6-73 तक) के दौरान विद्युतीकृत ग्राम
1	बुलसर	832	188	131
2	सूरत	1,280	212	146
3	डंगस	312	8	14
4	भड़ौच	1,217	141	150
5	बडौदा	1,691	302	223
6	पंचमहल	1,915	96	103
7	कैरा	965	427	124
8	अहमदाबाद	884	163	109
9	गांधीनगर	79	48	14
10	साबरकन्या	1,500	150	195
11	मेहसाना	1,084	210	189
12	कंसकन्था	1,359	68	128
13	कच्छ	905	126	82
14	राजकोट	855	187	173
15	सुरेन्द्रनगर	660	78	81
16	भावनगर	881	130	131
17	अमरेली	595	79	126
18	जामनगर	701	85	123
19	जूनागढ़	1,069	171	252
		18,584	2,869	2,494

विदेशी औषधी फर्मों के विस्तार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव

2291. श्री वेकारिया :

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी औषधि फर्मों के विस्तार पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) देश में विदेशी भेषच कम्पनियों के विस्तार का नियंत्रण निम्नलिखित उपायों द्वारा किया जाता है:—

(1) निर्माण परियोजनाओं के अनुमोदन में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती हैं ।

(2) प्रपुंज औषधियों की और अधिक संख्याओं में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्माण ।

(3) आमतौर पर विदेशी फर्मां को सूत्रयोग निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस नही दिये जाते जब तक कि प्रपुंज औषधियों के उत्पादन की व्यवस्था उसके साथ न हो ।

(4) उनसे अधिक मूल अवस्था से प्रपुंज औषधियों के उत्पादन आरम्भ करने के लिये और अपने प्रपुंज औषधि उत्पादन का उचित भाग असंबंध सूत्रीकरण कर्ताओं को उपलब्ध करना क्षमता में विस्तार या नई क्रिया के आरम्भ करने के लिये शर्त के तौर पर कहा गया है ।

(5) क्षमता में विस्तार के लिये या नई क्रिया आरम्भ करने के लिये उचित निर्यात बाध्यता की शर्त लगाई जाती है ।

(6) निर्माण क्रियाओं में विस्तार की स्वीकृति के समय विदेशी इक्विटी को उत्तरोत्तर कटौती और उसके साथ साथ भारतीय पुंजी की अनुरुप वृद्धि की जाती है ।

कोयल की कमी के कारण यात्री तथा माल गाड़ियों को रद्द करना

2292. श्री राज राज सिंह देव :

श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के संकट के कारण अनेक यात्री तथा माल गाडियों को रद्द कर दिया गया था; और

(ख) रेलवे के पास कोयले की अचानक कमी के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, अधिक महत्वपूर्ण यातायात के लिए कोयला बचाने के वास्ते कुछ महत्वहीन गाड़ियां रद्द कर दी गयी थीं ।

(ख) ताप बिजली घरों और इस्पात उद्योगों के लिए कोयले की मांग बहुत बढ़ जाने के परिणामस्वरुप कोयले की उपलब्ध सप्लाई में रेलवे का हिस्सा कम हो गया है । बिजली की भारी कमी के कारण बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों के रानीगंज क्षेत्र में कोयले के उत्पादन में गिरावट आ जाने के कारण रेलों के उपयोग के लिए भाप कोयले की उपलब्धता में और कमी आ गयी है ।

पांचवी योजना में विद्युत् परियोजनाओं को उपकरणों की सप्लाई के लिये धन की व्यवस्था

2293. श्री सी० के० जाफर शरीफ :

श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना में विद्युत परियोजनाओं के लिये धन, कच्चे माल और उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था की है जिससे देश को इस वर्ष की तरह विद्युत संकट का सामना न करना पड़े; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधो रुप रेखा क्या है: ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क)और (ख) विद्युत के बारे में पांचवीं योजना को अन्तिम रुप दिया जा रहा है। योजना को अन्तिम रुप देते समय विद्युत परियोजनाओं के लिये आवश्यक धन, कच्चे माल और उपस्करों की व्यवस्था की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्ययन किए जा रहे हैं।

मैसूर में बिजली की कटौती

2294. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिगनामक्की जलाशय में भंडारण स्थिति में सुधार होने की दृष्टि से मैसूर राज्य में बिजली की कटौती को खत्म करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :(क)लिंगनामक्की जलाशय के संचय के सुधार हो जाने से एच० टी० उपभोक्ताओं के अतिरिक्त मैसुर राज्य में विद्युत की कटौती को समाप्त कर दिया गया है। उनके मामले में 10 प्रतिशत की कटौती अभी जारी है। संचय स्थिति में और सुधार हो जाने पर, स्थिति का पुनरीक्षण किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल डिब्बों आदि के उपकरणों के निर्माण में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना

2295. श्री० के० जाफर शरीफ : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल डिब्बों आदि के उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है और इनकी आयात की निर्भरता को बहुत कम कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरुप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारत अब रेलवे चल स्टाक उपस्कर के निर्माण में प्राय: आत्म निर्भर है। 1971–72 में 413 करोड़ रुपये से अधिक की कुल खरीद में 40 करोड़ रुपये की खरीद आयात द्वारा की गयी थी अर्थात 1951–52 के लगभग 30 प्रतिशत की तुलना में 10 प्रतिशत से कम खरीद की गयी।

(ख) आत्मनिर्भरता की दिशा में तथा विदेशी सामानों की जगह देशी सामानों के इस्तेमाल के लिए किये गये प्रयास के कारण, पहले ही भारी उपलब्धियां प्राप्त की जा चुकी हैं जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा की भारी बचत हुई है यद्यपि यह तत्काल नहीं बताया जा सकता कि कितनी बचत हुई।

गोआ में तेल-शोधन कारखाने की स्थापना

2296. **श्री वसन्त साठे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में प्रस्तावित तेल-शोधन कारखाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले पर अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ग) प्रदूषण के खतरों के सम्बन्ध में गोआ सरकार की आशंका प्रौद्योगिक रूप से कहां तक उचित है; और

(घ) सरकारी स्तर पर क्या भावी कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर अभी विचार हो रहा हैं। जिससे प्रदूषण के खतरे भी सम्मिलित है तथा इस विषय पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

तूफान पीड़ा निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर उड़ीसा मे संरक्षणात्मक उपायों के लिए प्रस्ताव तैयार करना

2297. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या तूफान पीड़ा निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर पांचवीं योजना की अवधि के दौरान संरक्षणात्मक उपायों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए उड़ीसा सरकार को सुझाव दिया गया है;

(ख) उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों के संरक्षण के लिये इस समिति ने अब तक क्या मुख्य सिफारिश की हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने अब तक कोई प्रस्ताव तैयार किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य बात क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) उड़ीसा में समुद्र-तटीय क्षेत्रों के बचाव के लिए चक्रवात संकट निवारण समिति की मुख्य सिफारिशों के अंतर्गत गांव-टीलों का निर्माण, तूफान आश्रयों का निर्माण, ज्वारभाटा जलालावन से संकटग्रस्त होने वाले समुद्र तट के साथ समुद्री तटीय तटबंधों का निर्माण, भू-कटाव को रोकने और पवन के वेग को कम करने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक वन रोपण करना आता है।

चक्रवात संकट निवारण समिति की सिफारिशें उड़ीसा सरकार को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेज दी गई हैं। पांचवीं योजना के दौरान कार्यान्वियनार्थ समिति द्वारा सिफारिश किए गए सुरक्षात्मक उपायों के प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार से अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।

हुबली डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) में कर्मचारियों को अतिरिक्त तथा फालतू बताकर पदावनति

2298. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण मध्य रेलवे के गठन के दौरान स्वेच्छा से तबादला चाहने वाले कर्मचारियों को अन्य रेलवे में तबादले के विकल्प को अनुमति इस आधार पर नहीं दी गई थी कि नियमित कार्य को निपटाने के लिये हुबली डिवीजन में पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे; और

(ख) यदि हां, तो प्रशासन द्वारा अब कर्मचारियों की संख्या अतिरिक्त तथा फालतू बता कर कर्मचारियों की पदावनति करने के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे के गठन के समय हुबली मंडल में फालतू कर्मचारी नहीं थे। इसलिए अन्य मण्डलों या अन्य रेलवे में तबादला चाहने वाले कर्मचारियों की तबादले की अनुमति "व्यक्ति प्रति-व्यक्ति" के आधार पर दी गयी थी कुछ कर्मचारियों का इस आधार पर तबादला किया गया था।

(ख) गाड़ियों का उत्तरोत्तर डीजलीकरण करने और बिजली गाड़ी के रनिंग कर्मचारियों की आवश्यकताओं की समीक्षा करने के कारण कुछ लोको रनिंग कर्मचारी अब फालतू हो गये हैं।

लोको रनिंग स्टाफ, हुबली-डिवीजन (दक्षिण-मध्य रेलवे) की पदावनति के बारे में लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन हुबली-डिवीजन से ज्ञापन

2299. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोको रनिंग स्टाफ, हुबली डिवीजन की पदावनति के बारे में लोको रनिंग स्टाफ एसोसियशन, दक्षिण मध्य रेलवे, हुबली डिवीजन के उपाध्यक्ष से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) गाड़ियों का उत्तरोत्तर डीजलीकरण होने के कारण और बिजली गाड़ियों के रनिंग कर्मचारियों की आवश्यकताओं की समीक्षा करने पर कुछ लोको रनिंग कर्मचारी अब फालतू हो गये हैं।

भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2300. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच और सरकार द्वारा किये गये अन्य उपायों से भारतीय उर्वरक निगम में गतिरोध उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय उर्वरक निगम को पुन: क्रियाशील बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धकों के कहने पर शुरू की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों का सेवा-निवृत्त होना

2301. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के अनेक निदेशक आगामी वर्ष सेवा निवृत्त हो जायेंगे;

(ख) क्या इन निदेशकों की सेवा अवधि बढ़ाई जायगी अथवा उन्हें कोई नया कार्य सौंप दिया जायगा; और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या इन निदेशकों के सेवा-निवृत्त हो जाने के बाद भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गठन किया जायगा; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय उर्वरक निगम के प्रस्तावित पुनर्गठन की मुख्य बातें क्या हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) केवल दो निदेशक जिनमें प्रबन्धक निदेशक शामिल हैं, अगले वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच जायेंगे।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन का प्रश्न उत्तर के भाग (क) में बताये गये निदेशकों की सेवा-निवृत्ति से सम्बन्ध नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में जल तथा तापीय बिजलीघरों में अप्रयुक्त पड़े आयातित उपकरण

2302. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित और देशीय विद्युत प्रजनन उपकरण अप्रयुक्त पड़े होने पर भी, आंध्र प्रदेश में अनेक जल तथा तापीय विद्युत योजनाओं में प्रगति नहीं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा):(क) और (ख) सिविल कार्यों में देरी होने के कारण इरेक्शन न होने तक निम्न सिलेरू जल विद्युत परियोजना (2) × 100 मैगा-वाट) के लिए उपस्करों के कुछ भाग को भण्डार में रखना पड़ा ।

(ग) परियोजना पर सिविल कार्यों में तेजी लाई गई है और इरेक्शन कार्य इस महीने के दौरान आरंभ होने की प्रत्याशा है । कार्यों में तेजी लाने के लिए पिछले वर्ष अतिरिक्त धन उपलब्ध किया गया था ।

आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर में पंप कर के जमा किये गये जल से विद्युत् प्रजनन की योजना के लिए विद्युत् प्रजनन उपकरणों का आयात

2303. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन सी विद्युत प्रजनन परियोजनाएं हैं जिनके लिए विद्युत प्रजनन उपकरणों और मशीनरी का आयात आवश्यक पाया गया है और इन्हें लाइसेंस दिया गया है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर में पंप कर के जमा किये गये जल से विद्युत की योजना के लिये ऐसे उपकरणों के आयात पर विचार किया गया है और लाइसेंस दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए विद्युत उत्पादन संयंत्रों के आयात करने की स्वीकृति दे दी है : —

(1) ओवरा ताप-विद्युत केन्द्र, उत्तर प्रदेश (2×200 मेगावाट)।

(2) कुण्डाह जल-विद्युत परियोजना चरण-चार, तमिलनाडु (1×60 तथा 1×50 मेगावाट)

(3) लिंगनायक्को जल-विद्युत परियोजना, मैसूर (2×27.5 मेगावाट)।

(4) सुरुलियार जल-विद्युत परियोजना, तमिलनाडु (1×35 मेगावाट)।

(5) साइलेंट घाटी जल-विद्युत परियोजना, केरल (3×40 मेगावाट)।

(ख) और (ग) नागार्जुनसागर पम्प संचय स्कीम के लिए विद्युत संयंत्रों के आयात के प्रस्ताव को तब तक के लिए अस्थगित कर दिया गया है जब तक कि उन परिणामों की जांच नहीं हो जाती जो कि आंध्र प्रदेश में पहले से हाथ में ली गई अन्य दो महत्वपूर्ण स्कीमों नामशः लोअर सिलेरु तथा कोठागुडम का तेजी के साथ तथा समय के अंदर कार्यान्वियन नहीं हो जाता।

बहरहाल, बी० एच० ई० एल० को इन पम्प टर्बाइनों के निर्माण के लिए शिल्पविज्ञान के आयात करने हेतु चैकोस्लोवाकिया के साथ बातचीत करने को कहा गया है।

आन्ध्र प्रदेश में अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता का उपयोग

2304. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अधीन इस वर्ष के दौरान अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता का उपयोग करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सिंचाई क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार का विचार किस तरह के प्रोत्साहन और कितनी वित्तीय सहायता देने का है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) 1971–72 और 1972–73 के वर्षों के बीच, आंध्र प्रदेश में बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से शक्यता और समुपयोजन निम्नलिखित रहा है :

को समाप्त होने वाला वर्ष	शक्यता	(000 हैक्टेयर समुपयोजन)
1971–72	864.13	685.48
1972–73	873.72	729.53

आंध्र प्रदेश में समुपयोजन की गति अपेक्षतया संतोषजनक है। राज्य सरकार ने भी कुछ आयकर विकास कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। भारत सरकार नागार्जुनसागर तथा पोचमपाद में ग्राम सड़कों तथा मार्केटिंग काम्पलेक्सिस जैसी कुछ आधारभूत सुविधाओं के लिए विशेष सहायता दे रही है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा बिजली और डीजल के इंजनों का उत्पादन

2305. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :(क) वर्ष 1973 के दौरान महीने-वार बिजली और डीजल के इंजनों का उत्पादन लक्ष्य क्या है और जून, 1973 तक कुल कितने इंजनों का उत्पादन हुआ और चित्तरंजन में इंजनों का महीनेवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या डिजाइन संबंधी खराबियों के अतिरिक्त, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के प्रशासन के कमजोर प्रबंध के कारण सारे उत्पादन में, विशेषकर "स्टील फाउण्ड्री एण्ड ट्रैक्शन मोटर-शाप" को भारी हानि हो रही है; और

(ग) "स्टील फाउण्ड्री" में उत्पादन लक्ष्य क्या है और इस समय महीनेवार उत्पादन कितना होता है तथा क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की "स्टील फाउंड्री" के उत्पादन में सुधार करने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है, यदि हां, तो कैसे?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चौथी योजना के उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर, 1973-74 में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने का योजनाबद्ध उत्पादन इस प्रकार है :—

डीजल हायड्रालिक (शंटिंग इंजन)	54
बिजली के इंजन ए० सी०/एम० टी०	56
बिजली के इंजन डी० सी०/एफ० टी०	14
बिजली के इंजन ए० सी०/डी० सी० (प्रोटोटाइप) . .	2
	126

वार्षिक उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर अनिवार्य पुर्जों, उपस्कर और बिजली की सप्लाई को उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, मासिक उत्पादन का समंजन किया जाता है।

1973-74 के दौरान (जून 73 तक) चितरंजन रेल इंजन कारखाने का वास्तविक उत्पादन इस प्रकार है :--

महीना	वस्तुतः उत्पादित इंजनों की संख्या	
	बिजली इंजन	डीजल शंटिंग इंजन
अप्रैल, 73 . .		4
मई, 73 . . .	..	4
जून, 73	5	4

निर्माणाधीन बिजली इंजनों को आयातित उपस्करों की कमी के कारण अप्रैल और मई, 1973 में पूरा नहीं किया जा सका :

(ख) चित्तरंजन इस्पात ढलाई कारखाने के उत्पादन में कमी, पश्चिम बंगाल में बिजली की सप्लाई में भारी कमी और उपयोग पर पाबन्दी के कारण है न कि प्रशासन को कमजोर प्रबंध व्यवस्था के कारण। इस्पात ढलाई कारखाने के लिए आवश्यक न्यूमटिक पावर और तरल आक्सीजन के लिए अपेक्षित कमप्रेस्ड वायु की उपलब्धता पर भी बिजली की कमी का कुप्रभाव पड़ा है।

कर्षण मोटरों के प्रयोग के समय प्रकाश में आने वाले अभिकल्प दोषों को हटाने के लिए जो तरमीम करना आवश्यक हो गया उसके कारण कर्षण मोटरों के निर्माण में कमी आयी है। अतः इसके लिए प्रशासन को प्रबंध व्यवस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

(ग) चित्तरंजन इस्पात ढलाई कारखाना मीटरिक टन इस्पात ढलाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया है। प्रारम्भिक चरणों में भाप इंजनों के लिए अपेक्षित हल्के किस्म के इस्पात ढलाई के सामान तैयार किये जा रहे थे; भाप इंजनों का उत्पादन धीरे धीरे कम करने और डीजल एवं बिजली रेल इंजनो का उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ाने के फलस्वरूप चित्तरंजन इस्पात कारखाना अब डीजल और बिजली रेल इंजनो के लिए अपेक्षित परिष्कृत और अधिक जटिल किस्म के इस्पात के सामान तैयार कर रहा है। प्रारम्भिक कठिनाइयों पर काबू पाने और इन परिष्कृत और जटिल किस्म के ढलाई के सामानों को तैयार करने के लिए निरंतर प्रयत्न करके चित्त-रंजन इस्पात कारखाने में उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़कर प्रति वर्ष 9,000 मीटरिक टन अथवा प्रति मास औसतन 750 मीटरिक टन (समीकृत टनों में) के स्तर तक पहुंच गया है। उत्पादन का स्तर समय समय पर अपेक्षित ढलाई सामान के भार और उसकी किस्मों पर निर्भर करता है।

चालू वर्ष में (जून, 73 तक) इस्पात ढलाई कारखाने में उत्पादन इस प्रकार रहा है :—

मास	समीकृत टनों में उत्पादन
अप्रैल, 73	514
मई, 73	343
जून, 73	576

इस्पात ढलाई कारखाने के उत्पादन में सुधार उस हद तक बिजली और तरल आक्सीजन की उपलब्धता पर निर्भर करता है जिस हद तक कि संभावित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उनकी आवश्यकता हो।

स्टाफ परिषद को समाप्त करने और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की यूनियन को मान्यता देने की मांग

2306. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्टाफ परिषद् – और 'एरिया स्टाफ काऊंसिल (वर्क्स)' की 1973 के दौरान चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन में कितनी बैठके हुई ;

(ख) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस की केन्द्रीय स्टाफ परिषद् को वर्तमान अवधि कब प्रारंभ हुई और क्या पहली बैठक किये जाने से पूर्व केन्द्रीय स्टाफ परिषद् के सभी निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव पूरा हो गया था; और

(ग) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के श्रमिकों ने स्टाफ परिषद् को समाप्त करने और यूनियन को मान्यता देने की मांग की है, यदि हां, तो उस पर रेलवे अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1973 में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना में सेन्ट्रल स्टाफ काउन्सिल की एक बैठक हुई। आसनसोल की अदालत की विशेषाज्ञा के अन्तरिम आदेश के कारण एरिया स्टाफ काउन्सिल (वर्क्स) की 1973 में कोई बैठक नहीं हो सकी।

(ख) सेन्ट्रल स्टाफ काउन्सिल की वर्तमान अवधि 1-4-72 से शुरू हुई थी। पहली बैठक के आयोजन के समय निर्वाचित प्रतिनिधियों के आठ स्थान खाली थे।

(ग) कर्मचारियों के एक भाग ने स्टाफ काउन्सिल को समाप्त करने तथा यूनियन को मान्यता देने की मांग की थी। सरकार की नीति रेलवे के उत्पादन यूनिटों में कर्मचारियों की यूनियनों को मान्यता न देने की है।

सुपर पार्सल एक्सप्रेस को चलाने के लिये दिल्ली और मुगलसराय के बीच 71 अप और 72 डाउन गाड़ियों का बन्द किया जाना

2307. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1973 से पार्सलों के शीघ्र परिवहन के लिये दिल्ली और मुगलसराय के बीच 71 अप और 72 डाउन गाड़ियों को बन्द करके एक सुपर पार्सल एक्सप्रेस चालू की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों पर क्या प्रबन्ध किया गया है जहां अप और डाउन दोनों और के लिये पार्सल यातायात नियमित रूप से भारी होता है तथा जहां सुपर पार्सल एक्सप्रेस नहीं रुकती;

(ग) क्या 71 अप तथा 72 डाउन गाड़ियां मुगलसराय तथा हावड़ा के बीच पूर्वी रेलवे में अब भी चल रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उत्तरी रेलवे पर दिल्ली और मुगलसराय के बीच इनके बन्द करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, 15-4-1973 से।

(ख) उन सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सुपर पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहरावों की व्यवस्था है जहां पार्सल यातायात नियमित रूप से और निरन्तर अधिक रहता है। हावड़ा और मुगलसराय के बीच के स्टेशनों से पार्सल यातायात की निकासी सप्ताह में तीन बार चलने वाली 73 अप / 74 डाउन पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों से भी की जाती है। उत्तर रेलवे के गाज़ियाबाद और मंज़ा रोड़ के बीच के स्टेशनों से, जहां सुपर एक्सप्रेस नहीं रुकती, पार्सल यातायात की निकासी 40 डाउन दिल्ली हावड़ा जनता एक्सप्रेस द्वारा की जाती है।

(ग) जी हां, लेकिन अब इन्हें 73 अप/74 डाउन कहा जाता है और ये हफ्ते में तीन बार चलती हैं।

(घ) चूंकि मुगलसराय – दिल्ली खंड के स्टेशनों से पार्सल यातायात की निकासी 71/72 सुपर पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों और 40 डाउन जनता एक्सप्रेस द्वारा की जाती है, पुरानी 71/72 पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों को इस खंडा पर चलाये रखना औचित्यपूर्ण नहीं समझा गया है।

कलकत्ता और अहमदाबाद के बीच सीधी गाड़ी चलाना

2308. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और अहमदाबाद के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने की वांछनीयता के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) हावड़ा और अहमदाबाद के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना इस समय परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि मार्ग में पर्याप्त लाइन क्षमता की कमी है और हावडा में टर्मिनल सम्बन्धी अपेक्षित सुविधाओं का अभाव है।

एक जापानी फर्म द्वारा गोआ-उर्वरक परियोजना स्थापित करने में विलम्ब

2309. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तोयो की जापानी फर्म गोआ उर्वरक परियोजना को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं कर सकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें जापानी फर्म की कितनी जिम्मेदारी थी ; और

(ग) क्या इसको ध्यान में रखते हुए, सरकारी क्षेत्र में पांच नये उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए तोयो के साथ बातचीत करने सम्बन्धी अपने वर्तमान प्रस्ताव पर सरकार पुर्नविचार करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) संयंत्र का यांत्रिक स्थापन कार्य समय पर पूरा हो गया था किन्तु संयंत्र के चालू होने में कुछ विलम्ब हुआ इस विलम्ब के लिए जापानी फर्म के ऊपर उत्तरदायित्व का प्रश्न कम्पनी एवं जापानी फर्म के बीच तय किया जाना है ।

(ग) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड एवं मेसर्स तोयो द्वारा सम्मिलित रूप में पेश किए गए प्रस्ताव पर उपयुक्त समय में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

सोडाएश के मूल्यों में वृद्धि

2310. **श्री मधु दंडवते :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय से सोडा एश के मूल्यों में असामान्य वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस महत्वपूर्ण कच्चे माल के मूल्यों में कमी करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सोडा राख के फैक्टरी से निकलते समय का थोक मूल्य 1972 के मूल्यों से लगभग 6% वृद्धि हुई । दावा किया गया है कि यह वृद्धि कच्चे माल के लागत एवं मजदूरी के कारण हुई । सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि खुले बाजार सोडा एश मूल्यांकन में वितरण पद्धति में सोडा राख के फुटकर मूल्य बढ़ रहे हैं । सोडा राख के वितरण एवं मूल्यों के ऊपर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है । ऐसे उपयुक्त कार्यवाही के लिए जो आवश्यक हो मूल्यों पर एक कड़ी दृष्टि रखी जा रही है ।

गुजरात स्थित रेलवे स्टेशनों से उर्वरक की अनाधिकृत बुकिंग

2311. **श्री मधु दंडवते :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने रेलवे अधिकारियों पर अनाधिकृत बुकिंग करके उर्वरक व्यापारियों की सहायता करने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों (अप्रैल, मई, जून) के दौरान गुजरात के रेलवे स्टेशनों से गुजरात से बाहर के स्टेशनों के लिये कितनी मात्रा में उर्वरक की बुकिंग की गयी; और

(ग) उर्वरक की अनाधिकृत बुकिंग में सहायता देने वाले रेल कर्मचारियों का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रूस के साथ सहयोग से मैसूर बिजली निगम द्वारा बिजली परियोजनाओं का निर्माण

2312. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर बिजली निगम नामक राज्य सरकार एजेंसी ने रूस के साथ सहयोग से राज्य में बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए एक 'पैकेज डील' किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) और (ख) जबकि मैसूर सरकार ने रूस के साथ विद्युत् परियोजनाओं के निर्माण के लिए कोई पेकेज डील नहीं की है, लिन्गनामक्की जल विद्युत् परियोजनों के लिए, जिसमें 2×27.5 मैगावाट यूनिटों का प्रतिष्ठापन शामिल है, भारत-रूस व्यापक योजना के अंतर्गत रूस के साथ आस्थगित अदायगी शर्तों पर संयंत्र उपस्कर की सप्लाई और पर्यवेक्षण सेवाओं के लिए ठेका किया है।

अन्तर्राज्यीय नदियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना

2313. **श्री पी० ए० सामिनाथन् :**

श्री बी० मायावन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार अन्तर्राज्यीय नदियों को अपने अधिकार में लेने संबंधी केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई ;

(ख) क्या ऐसे अन्य राज्य भी हैं जो इससे सहमत नहीं हुए ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव को अंतिम रूप से छोड़ दिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) देश के जल संसाधनों के बढ़ते हुए उपयोग तथा भविष्य में बृहतर समुपयोजन के कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप समस्त देश के हित में विभिन्न उपयोगों के लिए उपलब्ध पानी के अति लाभदायक तथा समान आबंटन और पानी की आवश्यकताओं का सतत मूल्यांकन करने के लिए और एक राष्ट्रीय जल नीति बनाने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् गठित करने की आवश्यकता स्वीकार की गई है।

प्रथम कार्यवाही के रूप में संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन आवश्यक समझा गया है ताकि राज्यों के बीच जल विवादों के शीघ्र समझौते के लिए तथा राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तरों पर अपेक्षित संगठनों के प्रभावी कार्य को समर्थ बनाने के लिए पानी की धारणा को एक राष्ट्रीय परिसंपत्ती के रूप में माना जाए। इन मामलों पर राज्य सरकारों के विचार मांगे गए थे। कुछ राज्य सरकारों ने प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन किया है, जबकि तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों ने कुछ असहामतियां प्रकट की हैं। राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचार को ध्यान में रखते हुए इन संशोधनों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

रेलवे को माल डिब्बों की पूरी सप्लाई

2314. **श्री पी० ए० सामिनाथन् :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने माल डिब्बा निर्माता यूनिटों से उनको उत्पादन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है जिससे माल डिब्बों के लिये रेलवे की मांग पूरी हो सके; और

(ख) माल डिब्बों की सप्लाई के लिये रेलवे ने उन निर्माताओं को कुल कितने माल डिब्बों के क्रयादेश दिये हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) 1-4-73 तक प्राइवेट क्षेत्र के माल डिब्बा निर्माताओं और रेल कारखानों को दिये गये कुल माल डिब्बों के आर्डर जो उक्त तारीख को बकाया थे, नीचे बताये गये हैं :—

(आंकड़े चौपहियों के हिसाब से)

प्राइवेट क्षेत्र	रेल कारखाने	जोड़
29225.5	7,755	36,980.5

इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र के माल डिब्बा निर्माताओं और रेल कारखानों को लगभग 25,810 माल डिब्बों के आर्डर (चौपहियों के हिसाब से) बहुत जल्दी ही दिये जाने की आशा है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माणाधीन नई रेलवे लाइनें

2315. प्रो० नारायणचंद पाराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जोनवार निर्माणाधीन नई लाइनों के नाम क्या है; और

(ख) प्रत्येक लाइन की कुल लम्बाई तथा उस पर आने वाला व्यय क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित नयी लाइनों का काम/लाइनों को फिर से बिछाने का काम हो रहा था :—

प्रत्येक लाइन की लम्बाई, अनुमानित लागत और उसके पूरा होने की निर्धारित तारीख उसके सामने दिखायी गयी है :—

रेलवे	क्र० सं०	परियोजना का नाम	आमान	लम्बाई (कि०मी० में)	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	पूरा होने की निर्धारित तारीख
1	2	3	4	5	6	7
मध्य .	1	बेसीन रोड दीवा .	ब०ला०	42.00	12.74	1-6-76
	2	चनाका-वानी . .	ब०ला०	76.00	5.30	अप्रैल, 1976
उत्तर .	3	दलमऊ-दरयापुर (फिर से बिछाना) .	ब०ला०	26.00	1.13	अभी निश्चित नहीं की गयी है।
	4	गोहाना पानीपत (फिर से बिछाना) .	ब०ला०	39.27	1.68	
पूर्वोत्तर .	5	सरायगढ़-प्रतापगंज (फिर से बिछाना) .	मी०ला०	23.00	1.20	

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण .	6	मंगलूर-हसन . .	मी०ला०	189.21	28.35	जून, 1975
	7	टोरनागुल्लु-मुडुकुला पेंटा	ब०ला०	24.00	3.30	मार्च, 1975
	8	तिरुनेलवेली-तिरुवनन्तपुरम कन्याकुमारी	ब०ला०	167.00	14.54	1974-75
दक्षिण-पूर्व	9	हल्दिया पोर्ट तक रेल सम्पर्क का बचा हुआ भाग (69.70 कि० मी०) दुर्गाचाक-हल्दिया	ब०ला०	10.18	8.05 (पूरी लाइन के लिए)	अक्तूबर, 1973
	10	कटक पारादीप .	ब०ला०	84.31	10.09	अयस्क यातायात के लिए 9-7-73 को खोली गयी।
पश्चिम	11	गूना-मक्सी रेल सम्पर्क का बचा हुआ भाग (192.22 कि० मी०)	ब० ला०	61.00	9.19 (पूरी लाइन के लिए)	मार्च, 1974
	12	डबल-सिघाना	मी०ला०	32.95	3.79	दिसम्बर, 1973

इनके अलावा, सूखे से राहत के उपाय के रूप में आप्टा - दसगांव रेल सम्पर्क (ब०ला०, 108 कि० मी०) के लिए 1.3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का मिटटी डालने का काम भी जारी है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 तथा हिन्दु दत्तक भरण-पोषण अधिनियम के अधीन जांच, विचारण अथवा अपील सम्बन्धी विलम्ब को कम करने के सम्बन्ध में विधि आयोग का सुझाव

2316. **प्रो० नारायणचन्द पाराशर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 तथा हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के अधीन अपराधों की जांच, विचारण अथवा अपील सम्बन्धी विलम्ब को कम करने के बारे में विधि आयोग ने सुझाव दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

संघ सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में अपराधों की सुनवाई के लिये पृथक न्यायालय श्रृंखला स्थापित करने सम्बन्धी विधि आयोग की सिफारिशें

2317. **प्रो० नारायणचन्द पाराशर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सूची में उल्लिखित अपराधों की सुनवाई के लिए पृथक न्यायालय श्रृंखला स्थापित करने के सम्बन्ध में विधि आयोग ने सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां । विधि आयोग ने अपनी 48 वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि संघ सूचि से संबंधित अपराधों के लिए एक पृथक न्यायालय श्रृंखला की स्थापना करना वांछनीय होगा ।

(ख) प्रस्ताव गृह मंत्रालय के विचाराधीन है ।

विदेशी एकाधिकार वाली कम्पनियों द्वारा होटल और मत्स्य उद्योगों की स्थापना

2318. श्री शशि भूषण : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी एकाधिकार वाली किन कम्पनियों को भारत में होटल तथा मत्स्य उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी गई है ;

(ख) उनमें से कितनी अपने प्रयत्नों में सफल हुई हैं और उनके उत्पादन तथा अन्य ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) उन कम्पनियों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है जो प्रस्थापित उद्योग स्थापित नहीं कर पाई है या अपने अभियान में सफल नहीं हो सकीं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) ऐसी परिकल्पना है कि माननीय सदस्य की एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत स्थिति ज्ञात करने की इच्छा है । अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत तीन होटलों, आगरा, दिल्ली व मद्रास में से प्रत्येक में एक, की स्थापनार्थ, अनुमोदन, 31 मई, 1973 को इण्डिया टोबैको कम्पनी लि० को दिया गया था । इन्डिया टोबैको कम्पनी लि० से धारा 22 के अन्तर्गत, 3,500 टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले समुद्री उत्पादन के विधायन के लिए एक नये उपक्रम की स्थापनार्थ एक अन्य आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है ।

अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत, विधायित समुद्री उत्पाद के 5,500 एम० टी० प्रतिवर्ष के उत्पादनार्थ, यूनियन कार्बाइड इन्डिया लि० का एक प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है एवं इसका औपचारिक आदेश प्रेषणान्तर्गत है ।

(ख) अनुमोदित प्रस्तावों का कार्यान्वयन, आवेदन कर्त्ता उपक्रमों द्वारा किया जाता है व जो प्रस्ताव हाल ही में अनुमोदित किये गये हैं, उनके बारे में पूछी गई सूचना देना समय पूर्व होगी ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशी एकाधिकार वाली कम्पनियों द्वारा अपने क्रिया कलापों का विस्तार

2319. श्री शशि भूषण : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी एकाधिकार वाली कौन सी कम्पनियां हैं जिन्हें अपने कार्य में लाभों के विस्तार की अनुमति दी गई है और उनमें से प्रत्यक को विगत तीन वर्ष में कितने विस्तार की अनुमति दी गई ;

(ख) क्या सरकार को पता चला है कि कुछ विदेशी एकाधिकार वाली कम्पनियों ने अपने व्यवसाय को सरकार की अनुमति के बिना बढ़ाया है ; और

(ग) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का अध्ययन

2320. **श्री शशि भूषण :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग द्वारा कुल कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) भारत सरकार के मंत्रालय एवं विभाग कौन से हैं जिनका इन रिपोर्टें से सम्बन्ध है;

(ग) क्या उन रिपोर्टों की जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विधि मंत्रालय सम्बन्धी विधि आयोग की रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) विधि आयोग ने 1-7-73 तक छप्पन रिपोर्टों पेश की हैं। रिपोर्टों के नाम और रिपोर्टों से संबधित मंत्रालयों के नाम उपबंध "क" में दिये गये हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5341/73**]

(ग) आयोग की 56 रिपोर्टों में से 42 रिपोर्टों की जांच की जा चुकी है और अन्य रिपोर्टों की जांच की जा रही है ।

(घ) विधि मंत्रालय से संबंधित विधि आयोग की सिफारिशों की जांच शीघ्र करने और अन्य मंत्रालयों संबंधी रिपोर्टों के क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करने के लिए हाल ही में एक विशेष सेल स्थापित किया गया है ।

भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की बैठक

2321. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की 14 जुलाई, 1973 को बैठक होनी निश्चित हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मामलों पर विचार किया गया तथा उन पर क्या निर्णय किए गए ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) भारत बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की पांचवीं बैठक 19 से 21 जुलाई, 1973 तक नई दिल्ली में हुई थी। निम्नलिखित मुख्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया :—

(1) मार्च, 1973 में हुई चौथी बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही का पुनरीक्षण।

(2) शिराज गंज में ब्रह्मपुत्र के कटाव की समस्या और बंगला देश में जी० के० परियोजना की इन्टेक चैनल के मुहाने पर पद्मा में गाद की समस्या।

सिलहट कछार और सम्बद्ध क्षेत्रों की बाढ़ समस्या के अध्ययनों के लिए एक कार्यवाही कार्यक्रम पर समझौता हुआ और इसके साथ साथ भारत और बंगला देश द्वारा इस कार्य के लिए विशेष रुप से स्थापित किए गए संगठनों के प्रभारी अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन पर भी समझौता हुआ। आयोग ने तीस्ता पर बाढ़ तटबंधों के विस्तार और उनको बंगला देश के साथ सम्बद्ध करने के एक कार्यक्रम पर अपनी सहमति दे दी।

आयोग ने भारत और बंगला देश के मध्य बाढ़ चेतावनी और बाढ़ पूर्वानुमान व्यवस्था के प्रभावशाली कार्य निष्पादन के लिए मौसम विज्ञान, बाढ़-पूर्वानुमान, दूरसंचार और अन्य संगठनों द्वारा कार्य के एक समन्वित कार्यक्रम पर निर्णय लिया।

इस बात पर सहमति हुई कि शिराजगंज में तटीय कटाव तथा बंगला देश में गंगाको बादाक-इंटेक में गाद की समस्याओं का अध्ययन ढाका स्थित जल विज्ञान अनुसंधान संस्थान में माडल प्रयोगों द्वारा किया जाएगा। पूना स्थित केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला के विशेषज्ञ, यथा आवश्यकता, उपलब्ध किए जाएंगे।

उर्वरक के वितरण का कार्य कृषि मंत्रालय को दिया जाना

2322. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

श्री माधुर्य्य हाल्दर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित किया है कि वह उर्वरक की बिक्री के कार्य को अपने हाथ में ले ले;

(ख) क्या वर्तमान प्रणाली में कुछ कमियों के कारण यह सुझाव दिया गया था और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या कृषि मंत्रालय इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया है और यदि नहीं, तो किन आधारों पर और वर्तमान वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए, जिससे स्थानान्तरण प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ी, क्या सुधार किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उत्पादित उर्वरक के विपणन तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लेने के सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय की वांछनीयता का प्रश्न पर दोनों मंत्रालयों के बीच विचार विमर्श हो रहा है।

उत्तर रेलवे में स्टेनोग्राफरों को स्थायी करना

2323. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में 14 वर्ष अथवा इससे अधिक सेवा वाले सभी वेतन स्तरों के स्टेनोग्राफरो अब भी अस्थायी हैं और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ख) उन्हें कब तक स्थायी किया जायेगा; और

(ग) क्या कोई एसी नीति विचाराधीन है कि एक निश्चित सेवा अवधि पूरी करने पर स्टेनोग्राफरों को स्थायी बना दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कर्मचारियों का स्थायीकरण स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता और कर्मचारियों के लिए निर्धारित कतिपय कसौटियों की पूर्ति पर निर्भर है । शीघ्र स्थायीकरण के लिए पूरा प्रयास किया जाता है ।

उत्तर रेलवे में वरिष्ठ स्टेनोग्राफरों के वेतन का पुर्ननिधारण

2324. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने 1972 में उन वरिष्ठ स्टेनोग्राफरों, का वेतन वेतनमान बढ़ाये जाने की तिथि अर्थात् 1 अप्रैल, 1965 से रु० 210-425 के वेतनमान में रुपार्थ (प्रोफोर्मा) निर्धारित करने और नवम्बर, 1972 से वेतन को बकाया राशि का भुगतान करने के आदेश दिये थे जिनसे कनिष्ठ व्यक्ति बड़े अधिकारियों के साथ काम करने के कारण, वरिष्ठ कर्मचारियों की उपेक्षा करके, वरिष्ठ वेतन-मान में अधिक वेतन ले रहे थे;

(ख) क्या उत्तर रेलवे के सदर मुकाम कार्यालय में वरिष्ठ व्यक्तियों का वेतन अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण है और यह कब तक कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) रेलवे बोर्ड के 17-11-1972 के आदेशों के अनुसार 1-4-1965 से 210-425 रुपये के (अधिकृत वेतनमान) ग्रेड में पात्र वरिष्ठ स्टेनोग्राफरों के वेतन के निर्धारण का सत्यापन किया जा रहा है और सत्यापन के पूरा होते ही स्वीकार्य बकायों के भुगतान को व्यवस्था की जायेगी । आशा है, इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय शीघ्र किया जायेगा ।

रेलवे में आशुलिपिकों का स्थायी बनाया जाना

2325. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी क्षेत्रीय रेलों में 130-300 रु० तथा 210-425 रु० के ग्रेड़ों में बहुत से आशुलिपिकों को अस्थायी तौर पर रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे-बार निम्न आशुलिपिक कितने हैं;

(i) ग्रेड 130-300 में स्थायी

(ii) ग्रेड 210-420 में स्थायी

(iii) ग्रेड 130-300 में अस्थायी

(iv) ग्रेड 210-425 में अस्थायी

(ग) दोनों ग्रेड़ों में अस्थायी रुप से इतने अधिक आशुलिपिकों को रखने का क्या कारण है; और

(घ) उन में से ।

(i) 50 %

(ii) 70%

(iii) 80%

(iv) 90%

(v) 100%

को रेलवे बार कब तक स्थायी बना दिया जायेगा ।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (घ) सूचना इक्ठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

खाद्यान्न लाने ले जाने के लिये वैंगन पर्याप्त न होने सम्बन्धी भारतीय खाद्य निगम की शिकायत

2326. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की यह आप शिकायत है कि खाद्यान्न लाने ले जाने के लिये वैगन पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न को लाने ले जाने के लिये अधिकाधिक वैगन प्रदान करने हेतू सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):(क) जी नहीं । वास्तव में, उत्तर रेलवे के स्टेशनों से, जहां से कि अधिकांश फालतू खाद्यान्नों की ढुलाई होती है, सरकारी लेखे में इस वर्ष की व्यस्तम अवधि मे खाद्दान्नों का लदान पिछले लर्ष की अपेक्षा बहूत अधिक हुआ है । मई से जुलाई 1973 तक की अवधि में 97,219 बड़ी लाइन के और 11,272 मीटर लाइन के माल डिब्बों का लदान हुआ जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 65,887 बड़ी लाइन के और 8,444 मीटर लाइन के माल डिब्बों का लदान हुआ था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले की चोरी से रेलों की हानि

2328. **श्री विक्रम महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे के कोयले की चोरी से सरकार को अनुमानतः कितनी वार्षिक हानि उठानी पड़ती है;

(ख) पिछले तीन वर्ष में सरकार ने इससे होने वाली हानि को रोकने अथवा इसे कम करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की है और उसमें कितनी सफलता मिली;

(ग) क्या सरकार को पता है कि मुगलसराय जैसे बहुत से स्थानों में कोयला अथवा अन्य इंधनों की कोई दुकान नहीं है और लोग रेलवे के चुराये हुए कोयले पर ही निर्वाह करते हैं; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा इस बारे में की गई अथवा प्रस्तावित कार्य-वाही क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलवे सुरक्षा दल द्वारा पकड़ी गयी रेलवे कोयले की चोरियों के कारण रेलों को हुई वार्षिक अनुमानित हानि इस प्रकार है :—

वर्ष	रेलवे के कोयले की चोरियों के कारण हुई हानि (रुपयों में)
1970	15,924
1971	12,048
1972	16,892

(ख) जो निवारक उपाय किये गये उनमें से कुछ ये हैं :—

(i) जहां आवश्यक था, वहां लोको शेड कोयला चट्टों के इर्द गिर्द दीवारों, बाड़ों आदि की व्यवस्था जैसे बुनियादी सुरक्षा प्रबन्धों में सुधार किया गया;

(ii) कोयले के चट्टों के पास प्रकाश की अच्छी व्यवस्था की गयी;

(iii) मैद्य खण्डों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा गश्त शुरू किये गये;

(iv) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा पहरा शुरू किया गया;

(v) लोको कोयला चट्टों और कोयला यानान्तरण स्थलों की रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा चौबीस घण्टे निगरानी शुरू की गयी;

(vi) ब्लॉक भारों में कोयला ले जा रही गाड़ियों के साथ, एक स्थल से दूसरे स्थल तक, रेलवे सुरक्षा दल द्वारा पहरे की व्यवस्था की गयी;

(vii) अपराधियों और कोयला प्राप्त करने वालों के प्रबन्ध में खुफिया सूचना इकट्ठी की गयी और उन पर छापे मारे गये। इन उपायों के फलस्वरुप रेलवे के कोयले की चोरी कम हो गयी है।

(ग) मुगलसराय जैसी जगहों में लायसेन्स प्राप्त कोयला व्यापारी है और दूसरी ईंधन की दुकाने हैं जो जनता की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

(घ) कोयला और अन्य रेल सम्पत्ति की चोरी और उठाई गीरी की रोकथाम के लिए रेलवे सुरक्षा दल को एक बेहतर साधन बनाने के उद्देश्य से इसके पुनर्गठन की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

पोंग बांध क्षेत्र से निष्कासित व्यक्तियों को भूमि का आबंटन

2329. श्री विक्रम महाजन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1973 में पानी के जमा होने से कितने व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है और जल किस स्तर तक बढ़ने की संभावना है ; और

(ख) पोंग बांध क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) से निष्कासित कितने व्यक्तियों को 1 जुलाई, 1973 तक राजस्थान में भूमि आबंटित की गई थी और उनमें से कितनों को वास्तव में भूमि दे दी गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) अधिकतम स्तर, जहाँ तक इस मानसून के दौरान पानी चढ़ जाने की आशा है, ई० एल० 1325 है जिससे लगभग 10,300 परिवार प्रभावित होंगे ।

(ख) उन सभी विस्थापितों को अधिसूचित कर दिया गया है जिनके प्रभावित होने की संभावना है। केवल उन 5,500 विस्थापितों को, जिन्होंने जून तक आवेदन पत्र दिए थे, भूमि का आबंटन कर दिया गया है, प्रथम जुलाई, 1973 तक, 3,696 ने वास्तव में स्वामित्व ग्रहण कर लिया है ।

नई कांगड़ा घाटी रेलवे के निर्माण में प्रगति

2330. **श्री विक्रम महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाली और गुलेर (हि०प्र०) के बीच नई कांगड़ा घाटी रेलवे के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस पर कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है और अब तक कितना व्यय हो चुका है ; और

(ग) इस रेलवे लाईन के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जुलाई, 1973 के अन्त तक 25 प्रतिशत ।

(ख) कुल खर्च जो होने की संभावना है वह अनुमानत: 6.95 करोड़ रुपये होगा, जिसमें से 2.51 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुके है ।

(ग) मार्च, 1975 तक ।

मिट्टी के तेल की राज्यवार मांग और पूर्ति

2331. **श्री ज्योर्तिमय बसु** :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय मिट्टी के तेल की "राज्यवार" मांग और पूर्ति की स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : क्षेत्रवार मिट्टी के तेल की मांग का अनुमान अल्प कालीन और दीर्घ कालीन आधार पर पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के मांग पूर्वानुमान, कक्ष जिसमें मंत्रालय भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, योजना आयोग, भारतीय तेल निगम, और अन्य तेल कम्पनियों रेलवे के प्रतिनिधि है, द्वारा किया जाता है। यह पूर्वानुमान लगाते समय मांग के वास्तविक पूर्तिकरण भूतपूर्व प्रवृत्ति और भविष्य में पूर्वानुमानित विकास दर को भी ध्यान में रखा जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की सप्लाई और वितरण का आयोजन एक एक महीने के आधार पर ऊपर अनुमानित मांग में मौसमी और अन्य स्थानीय उतार चढ़ाव को ध्यान में रख कर किया जाता है। राज्यवार मासिक विनियोजन इसी आधार पर नियोजित

किया जाता है। यह विनियोजन तेल कम्पनियों द्वारा स्टाक के संचलन के नियोजन के लिए मार्गदर्शक के रूप में होता है और उन्हें यह अनुदेश है कि वे किसी भी क्षेत्र की मांग के वास्तविक पूतिकरण के आधार पर मांग को पूर्ण रूप से पूरा करे परन्तु मिट्टी के तेल की कम उपलब्धि के फलस्वरूप मार्च से जून 1973 के समय के दौरान राज्यों के विनियोजन में 10% से 25% तक की कटौती की गई थी। जुलाई 1973 से सभी राज्यों को सामान्य सप्लाई पुनः आरम्भ की गई है। मई 1973 और अगस्त 1973 के लिये राज्यवार मिट्टी के तेल का विनियोजन दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

राज्यवार मिट्टी के तेल का विनियोजन

(संख्या मीटरी टनों में)

राज्य	मई 1973 विनियोजन	अगस्त 1973 विनियोजन
आंन्ध्र प्रदेश	14835	22082
असम क्षेत्र	9302	12653
बिहार	11333	14349
गुजरात	17915	24150
हरियाणा	4460	6139
हिमाचल प्रदेश	600	909
जम्मू एवं काश्मीर	1087	1774
केरल	8597	11489
मध्य प्रदेश	9870	12927
मैसूर	10964	15307
उड़ीसा	4736	6430
पंजाब	8053	15651
राजस्थान	5908	8339
तमिलनाडू	23132	30888
उत्तर प्रदेश	20448	31580
पश्चिम बंगाल	20370	29439
चन्दीगड़	589	876
दिल्ली	6057	7252
मणिपुर	470	643
त्रिपुरा	951	1313
पांडीचेरी	280	534
गोआ	1011	1650

भारतीय तेल निगम द्वारा लिपिक कार्य के लिये संगणक के प्रयोग का प्रस्ताव

2332. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के प्रबन्धक भारत में अपनी सब चार शाखाओं में लिपिक कार्य के लिये संगणक का प्रयोग करने की योजना बना रहा है ;

(ख) क्या प्रबन्धक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन (आई० बी० एम०) की सहायक अमरीकन कम्पनी से "किराया ठेका आधार" पर संगणक प्राप्त करने के लिए पत्र-व्यवहार कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय तेल निगम "इन हाऊस" संगणकों के स्थापित किये जाने पर विचार कर रहा है। ये किसी भी तरह से लिपिक कार्य का स्थान नहीं लेंगे। "इन हाऊस" संगणकों पर केवल उसी सूचना के, जो यूनिट के रिकार्ड पर है, तैयार किये जाने का प्रस्ताव है। इस परिवर्तन पर इस लिये विचार किया जा रहा है क्योंकि निगम की बड़े पैमाने पर बढ़ी हुई गतिविधियों का समन्वय करना और प्रभावी नियन्त्रण के लिये अपेक्षित सूचना एकत्र करना बहुत कठिन हो गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जामेर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के निदेशक बोर्ड के सदस्य तथा मुख्य अंशधारी

2333. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जामेर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कमक स्ट्रीट, कलकत्ता के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ख) कम्पनी के मुख्य अंशधारी कौन कौन हैं और उनमें से प्रत्येक के पास कितने तथा कितने मूल्य के और कितने प्रतिशत शेयर हैं ;

(ग) कम्पनी का कार्य क्या है ;

(घ) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कम्पनी प्रत्यक्ष रुप से अपने कार्य को बन्द करने तथा चोर दरवाजे से अपने कार्य को जारी रखने की योजना बना रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) से (ङ) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

फुलजिअन कार्पोरेशन आफ इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड और डिवेलपमेंट कन्सलटेंटस् प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाने वाला कारोबार

2334. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री "कुलजिअन ग्रुप" के बारे में 8 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9636 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में संगत जानकारी एकत्र की गई है कि कुलजिअन कारपोरेशन आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डिवेलपमेंटस कंन्सलटेंट्स् प्राइवेट लिमिटेड किस प्रकार के कारोबार में लगे हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) मैसर्स कुलजिअन कारपोरेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 5–8–61 को अभियांत्रिक, निर्माणकर्ताओं, ठेकेदारों, उत्पादन कर्ताओं इत्यादि के कार्य व्यापार को चलाने के लिए 5–8–61 को निगमित की गई थी। कम्पनी मुख्य रूप से परामर्शी अभियन्ताओं और सरकारी विभागों और अन्य द्वारा चलाई गई विभिन्न परियोजनाओं पर परामर्शी सेवाओं के निष्पादन के व्यापार में लगी हुई है। मैसर्स डिवलपमेंट कन्सलटैंट्स प्राइवेट लिमिटेड परामर्शी अभियन्ताओं, निर्माण कर्ताओं, ठेकेदारों इत्यादि के कार्य व्यापार को चलाने के लिए 13–5–70 को निगमित की गई थी।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

2335. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं ; और

(ख) इतने पद रिक्त रखने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) इस समय उच्चतम न्यायालय में दो रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों के भरे जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिजली परियोजनाओं की स्वीकृति

2336. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बिजली परियोजनाओं की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जिनकी महाराष्ट्र सरकार ने पेशकश की थी तथा जिनके लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक स्वीकृति दे दी है ;

(ख) क्या उनका निर्माण कार्य पूरा करने के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो उसका अब तक कहां तक अनुसरण किया गया है ;

(ग) क्या किसी बिजली परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा उनकी स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के लिये महाराष्ट्र की निम्नलिखित विद्युत् उत्पादन स्कीमें स्वीकृत हो चुकी हैं :

	अनुमानित लागत करोड़ रुपये
1. पैठन जल-विद्युत् परियोजना (1×12 मेगावाट) . .	1.89
2. भोराटेल रेस जल-विद्युत् परियोजना (1×40 मेगावाट) . .	8.67
3. पेंच जल-विद्युत् परियोजना (2×80 मेगावाट)	8.28
4. तिलारी जल-विद्युत् परियोजना (1×60) मेगावाट) . .	8.16
5. कोराडो ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार (3×200 मेगावाट) . .	112.40

ये स्कीमें नई हैं और कार्यान्वियन के प्रारम्भिक चरण में हैं और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण होनी अनुसूचित है ।

(ग) और (घ) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	स्कीम रिपोर्ट के प्राप्त होने की तारीख	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	भंडारदारा जल-विद्युत् परियोजना ।	(1×35+ 1×10)	8.47	17-8-72	तकनीकी जांच पूर्ण हो चुकी है । अब स्कीमों पर सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण और विद्युत् परियोजनाओं पर सलाहकार समिति अपनी अगली बैठक में विचार करेगी ।
2.	गिर्ना जल-विद्युत् परियोजना ।	2×3.5	1.75	22-6-70	
3.	पवाना जल-विद्युत् परियोजना ।	1×10	2.07	27-1-70	

1	2	3	4	5	6
4.	कस जल-विद्युत् परि-योजना ।	1×11.4	2.01	10-10-69	हाल ही में स्कीम के ब्यौरों पर परियोजना प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया और इस बात पर सहमति हुई कि स्कीम को एक पंप संचय स्कीम के रूप में पुनः तैयार किया जाए ।
5.	वैतरणा जल-विद्युत चरण—दो	1×6	1.70	10-9-71	हाल ही में परियोजना प्राधिकारियों के साथ स्कीम पर विचार-विमर्श हुआ था । यह निर्णय लिया गया कि स्कीम को मितव्ययी आधार पर व्यवहार्य बनाने के लिये और पूंजीगत लागत को कम करने की दृष्टि से प्रस्तावों को फिर से तैयार किया जाए ।
6.	जलसिंधी जल-विद्युत् स्कीम ।	6×75	47.13	6-8-70	स्कीम की जांच को नर्मदा जल विवाद पर निर्णय लिये जाने तक निलंबित कर दिया गया है ।
7.	चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र	4×200 1×500	221.61	23-10-72	स्कीम रिपोर्ट की तकनीकी जांच की जा रही है ।
8.	भुसावल ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार ।	2×120	45.51	23-11-72	स्कीम के ब्यौरों के बारे में परियोजना प्राधिकारियों के साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।
9.	नासिक ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार	2×120	51.91	13-12-72	
10.	खापरखेड़ा ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार	1×120	26.54	5-1-73	
11.	पार्ली ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार	1×120	27.53	21-3-73	

दिल्ली में बिजली बन्द होना

2337. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रिकल इंजीनियरों द्वारा हड़ताल तथा तोड़फोड़ के कार्यों के कारण दिल्ली में 1972–73 तथा 1973 में अप्रैल से जून के अंत तक कितनी बार तथा कितने-कितने दिनों तक बिजली बन्द रही ; और

(ख) उनकी कठिनाइयां क्या हैं तथा उन्हें किस प्रकार दूर किया गया है अथवा दूर किये जाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) बिजली अभियंताओं द्वारा हड़तालों और तोड़-फोड़ के कारण 1972–73 के दौरान और अप्रैल, 1973 से जून, 1973 के अन्त तक दिल्ली में बिजली बन्द नहीं हुई। कुछ तकनीकी दोषों के कारण इन्द्रप्रस्थ विद्युत् केन्द्र में कुछ खराबियां आई थीं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

दिनांक	अवधि	खराबी के कारण
28–5–72	16.35 से 17.15 बजे	बस डिफ्रेन्सियल आपरेशन
27–6–72	16.35 से 21.42 बजे	बस डिफ्रन्सियल आपरेशन
16–8–72	11.20 से 12.56 बजे	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड सीमा में ट्रिपिंग ।
30–8–72	03.15 से 05.08 बजे	बस डिफ्रेन्शियल आपरेशन
24–4–73	17.30 से 14.00 बजे (अगला दिन)	निम्न वोल्टता रिलेज का दोषपूर्ण प्रचालन ।
26–6–73	14.08 से 16.23 बजे (अगला दिन)	टर्मिनल पर, जो भाखड़ा की विद्युत् को दिल्ली को भेजती है, निम्न वोल्टता ।

इन खराबियों को तत्काल दूर किया गया और सप्लाई को बहाल कर दिया गया।

(ख) अभियंताओं की मुख्य शिकायतें शिवशंकर समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जाना है। इनको कार्यान्वित किया जा रहा है।

उच्चतर न्यायपालिका के ढांचे और कार्य में परिवर्तन

2338. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उच्चतर न्यायपालिका के ढांचे और कार्यकरण में परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता की भूमिगत रेलवे के लिए उपकरण का आयात

2339. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता की भूमिगत रेलवे के लिये विदेश से किन-किन उपकरणों का आयात किया जाना है ;

(ख) उपकरणों का किस देश से आयात किया जायेगा ;

(ग) इस प्रकार के आयात के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ; और

(घ) क्या इन उपकरणों के आयात के लिए कोई समझौता किया गया है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) आयात किये जाने वाले उपस्कर निम्नलिखित तीन कोटियों में आते हैं :—

1. सुरंग शील्ड जैसा निर्माण संयंत्र ;
2. बिजलीकर्षण और बिजली-शक्ति उपस्कर ; और
3. सिगनल एवं दूर संचार उपस्कार आदि ।

(ख) सोवियत रूस के परामर्श से हमारी आयात वाली मदों की सूची की जांच की जा रही है ।

(ग) न्यूनाधिक 24 करोड़ से 32 करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ सकती है ।

(घ) अभी नहीं ।

"हीराकुंड परियोजना को पानी का स्तर कम होने से क्षति पहुंचने की आशंका" शीर्षक से समाचार

2340. **श्री भोला मांझी :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जुलाई, 1973 के "स्टैटमैन" में 'फाल इन वाटर लेवल में डेमेज हीराकुंड प्लांट' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) हीराकुंड के जल स्तर में सूचित गिरावट से विद्युत् संयंत्रों को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी परन्तु ऊंचाई में कमी के कारण उत्पादन मूल्यांकित क्षमता से कम होगा ।

(ग) हीराकुंड कैचमेंट में मानसून में बढ़ोत्तरी हो गई है जिसके परिणामस्वरुप जलाशय स्तर में वृद्धि हो गई । परिणामस्वरुप, हीराकुंड विद्युत् संयंत्रों में विद्युत् उत्पादन में वृद्धि हो गई है ।

चीनी उद्योग में कम-पूंजी वाले कारखाने

2342. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री चीनी उद्योग में कम पूंजी वाले कारखानों के बारे में 8 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9487 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और यह सूचना कब तक सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) दिनांक 8 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9487 में पूछी गई सूचना, जिसकी बाबत सदन को आश्वासन दिया गया था, एकत्रित कर ली गई है, एवं संलग्न विवरण में दी जा रही है।

विवरण

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या चीनी उद्योग की कुछ फर्मों में, आवश्यकता से कम पूंजी लगी हुई है ; (ख) यदि हां, तो चीनी उद्योग में उन फर्मों के नामों का राज्यवार ब्यौरा क्या है, जिनमें आवश्यकता से कम पूंजी लगी हुई है ;	(क) तथा (ख) चीनी उद्योग में उन फर्मों, जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के रूप में पंजीकृत हैं, की बाबत सूचना संग्रह की गई है। प्राथमिक रूप से चीनी उत्पादन में लगी हुई 118 कम्पनियों में से 108 ऐसी कम्पनियों, जिनके तुलन-पत्र सुलभ हैं, के अध्ययन से पता चलता है कि निम्नांकित तीन कम्पनियों में आवश्यकता से कम पूंजी का मानदंड, प्रदत्त पूंजी, आरक्षित एवं लम्बी अवधि के उधार धन द्वारा यथा प्रतिवि हित स्थाई पूंजी से स्थाई परिसम्पतियों का सह-सम्बन्ध होने से, आवश्यकता से कम पूंजी लगी हुई है।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	पंजीकरण का राज्य	तक का तुलन-पत्र
1.	मोहिनी शुगर मिल्स लि०	पश्चिमी बंगाल	30-9-70
2.	आरामबाग शुगर मिल्स (प्रा०) लि०	,,	30-6-70
3.	भारत शुगर मिल्स (प्रा०) लि०	,,	30-6-68

प्रश्न	उत्तर
(ग) ऐसी फर्मों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?	(ग) इस सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कारवाई नही की गई है।

मालडिब्बों की कमी के कारण कोयले की कमी

2343. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खान विभाग का कहना है कि कोयले की कोई कमी नहीं है बल्कि कोयला भेजने के लिये माल डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) खान विभाग ने रेलों पर ऐसा कोई दोषारोपण नहीं किया है ।

(ख) इस्पात और खान मंत्री ने इस्पात और खान उप मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है जो रेलों तथा परिवहन के अन्य साधनों द्वारा कोयले के कुशल परिवहन में आने वाली समस्याओं पर विचार करेगी और विभिन्न उपयोगकर्त्ताओं को कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करेगी ।

जुलाई, 1973 में हिन्द मोटर रेलवे स्टेशन (पूर्वी रेलवे) में गोलीकांड

2344. श्री गदाधर साहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 जुलाई, 1973 को पूर्वी रेलवे पर हिन्द मोटर रेलवे स्टेशन में गोली चलाये जाने के कारण चार व्यक्तियों की हत्या हो गई थी और अनेक व्यक्ति घायल हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के तथ्यों का सारांश क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने का आदेश दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जो हां, पुलिस द्वारा गोली चलाने से 4 आदमी मारे गये और पांच घायल हुए ।

(ख) 7–7–73 को लगभग 14.29 बजे जब बी–136 डाउन बंडेल–हाबड़ा स्थानीय स्वारी गाड़ी हिन्द मोटर स्टेशन पर पहुंची तो एक पुलिस दल ने यात्रियों से तस्करी का 25 क्विंटल चावल अपने कब्जे में ले लिया और सात आदमियों को गिरफ्तार कर लिया । हिन्द मोटर फैक्टरी के लगभग दो हजार मजदूर स्टेशन पर जमा हो गये और उन्होंने पुलिस से कहा कि या तो वह पकड़े गये चावल को तस्करों को वापस कर दे या उसे उन्हें बेच दे । चूंकि यह बात पुलिस ने नहीं मानी, भीड़ ने पकड़े गये चावल को पुलिस की कानूनी अभिरक्षा से जबरन छीन लिया और उस पर पत्थरों, रोड़ों और बमों से हमला कर दिया जिसके फलस्वरूप कुछ पुलिस वाले घायल हो गये । उसी दौरान 78 डाउन तारकेश्वर हावड़ा स्थानीय सवारी गाड़ी, लगभग 14.15 बजे हिन्द मोटर रेलवे स्टेशन पर आ पहुंची । भीड़ ने इस गाड़ी के दो सवारी डिब्बों को आग लगा दी । इस पर पुलिस ने गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप 4 आदमी मारे गये तथा 5 घायल हो गये ।

(ग) जी हां पश्चिम बंगाल सरकार ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के भूतपूर्व उच्च न्यायधीश श्री सि० बर्मन द्वारा जांच के आदेश दे दिये है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

भारतीय रेलवे के प्रथम श्रेणी के डिब्बों को नया रूप देना

345. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इण्डियन रेलवे के प्रथम श्रेणी के डिब्बों को नया रूप देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) वर्तमान किस्म के गलियारे वाले पहले दर्जे के मानक डिब्बों/बोगियों के अलावा, पहले दर्जे के 60 और 48 सीट वाले कुर्सी यान चालू करने का प्रस्ताव है जिनमें कम दूरी तथा मध्यम दूरी की अन्तर्नगरीय गाड़ियों के लिये विशेष किस्म की चुर्सियों पर केवल बैठने के स्थान की व्यवस्था होगी ।

जनता रेलगाड़ियों का डीजली-करण

2346. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश की सभी जनता रेलगाड़ियों के शीघ्र डीजली-करण के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : डीज़ल रेल इंजनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, जिनकी कि मुख्यतः माल यातायात की निकासी के लिए आवश्यकता है, जनता एक्सप्रेस तथा भीड़भाड़ वाली लम्बी दूरी की सभी मेल और एक्सप्रेस गाडियों का डिजलीकरण एक कार्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है ।

भारतीय रेलवे में शिक्षित बेरोजगारों को बुक स्टालों का आबंटन

2347. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद के पिछले सत्र में शिक्षित बेरोजगारों को बुक स्टालों का आबंटन करने की घोषणा करने के बाद से भारतीय रेलवे में शिक्षित बेरोजगारों को कितने बुक स्टाल आबंटित किये गये ;

(ख) ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों से रेल प्रशासन को कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ; और

(ग) शिक्षित बेरोजगारों में उक्त योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) संसद् के पिछले सत्र में घोषित परियोजना के अनुसार बुक स्टाल के ठेके शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की सहकारी समितियों को आबंटित करने थे । अभी तक इस प्रकार का कोई ठेका आबंटित नहीं किया गया है लेकिन अनेक स्टेशनों के बुक स्टालों के ठके आबंटित करने के लिये शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की सहकारी समितियों से आवेदन पत्र मांगे गये हैं ।

(ख) चूंकि आवेदन-पत्र भेजने के लिये अभी समय है, अतः इन आवेदन-पत्रों की प्राप्ति के लिये निर्धारित अन्तिम तारीखों के समाप्त होने के बाद ही प्रत्येक रेलवे को प्राप्त आवेदन-पत्रों की वास्तविक संख्या मालूम हो सकेगी ।

(ग) अंगरेजी और अन्य भाषाओं के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रस विज्ञप्ति और विज्ञापनों के माध्यम से इस परियोजना का पर्याप्त प्रचार किया गया है ।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

2348. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पम्प सेटों को बिजली देने का कार्य और ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम अन्य राज्यों की तुलना में सबसे धीमा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक वास्तव में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया और कितने पम्प सेटों को बिजली दी गई ; और

(ग) उक्त राज्य में विशेष रूप से राष्ट्रपति शासन के दौरान इस कार्य में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) से (ग) उड़ीसा ने चौथी योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के मामले में प्रगति की है। चौथी योजना के शुरू होने से लेकर विद्युतीकृत ग्रामों और ऊर्जित पम्पों की संख्या नीचे दी जाती है।

तिथि	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	ऊर्जित पम्पों की संख्या
31–3–1969	821	477
31–3–1970	950	580
31–3–1971	1697	712
31–3–1972	3610	1069
31–3–1973	6366	2075
31–5–1973	6426	2101

विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशतांश जोकि 1969 में 1.7 था बढ़कर 13.8 हो गया है।

उड़ीसा में प्रगति, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तथा त्रिपुरा जैसे अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छी है। 1973–74 के दौरान 3000 अतिरिक्त ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत पांचवीं योजना अवधि के दौरान देश में प्रत्येक राज्य में ग्रामीण जनता के कम से कम 30 से 40 प्रतिशत तक के लिये बिजली लाभों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

दामोदर घाटी निगम से बिहार को बिजली की सप्लाई

2349. **श्री प्रबोध चन्द** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम बिहार राज्य की बिजली की आवश्यकता पूरी नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में बिहार सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में दामोदर घाटी के क्षेत्र से बाहर विद्युत् की कतिपय बड़ी मांगों को 1969 के अन्त तक दोनों राज्य विद्युत् बोर्डों द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाना था। ये भार दामोदर घाटी निगम प्रणाली पर अब तक भी जारी है। 1973 में ताप विद्युत् केन्द्रों के मजबूरन आउटेज के साथ, इससे दामोदर घाटी निगम प्रणाली में कमी आ गई है।

(ग) जी, नहीं। इसके विपरीत, बिहार की थोड़ी बेहतर स्थिति को दृष्टि में रखकर, उनसे दामोदर घाटी निगम प्रणाली से भार के एक अंश को लेने के लिये कहा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अपने कारखानों का विस्तार करने की इच्छुक विदेशी औषधि कम्पनीयां

2351. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी औषधि कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अपने कारखानों का विस्तार करने के लिए सरकार से आवेदन किया है और किस प्रकार के विस्तार का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5342/73**]

पूर्वोत्तर रेलवे पर रेल मार्ग के दोनों ओर फिश प्लेटों के गायब हो जाने के मामले

2352. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार को पूर्वोत्तर रेलवे पर रेल मार्ग के दोनों ओर फिश प्लेट, कुत्ता कील (डाग स्पाइक) और कोज के गायब हो जाने के मामलों का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ की कार्यवाही रोकने के लिये उस क्षेत्र में रेलगाड़ियों का सामान्य रूप से चलना सुनिश्चित करने के लिये क्या सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) वाराणसी सिटी और सारनाथ स्टेशनों के बीच करुणा पुल के निकट हाल में दिनांक 31-5-1973 और 6-6-1973 को बदमाशों द्वारा फिश प्लेट उखाड़ने की दो वारदातें हुई । छेड़-छाड़ की कार्रवाई को गैंगमैनों द्वारा समय से पकड़ लिये जाने के कारण, 67 अप और 258 डाउन सवारी गाड़ियों को रोक कर, संभावित दुर्घटनाओं को टाला जा सका ।

(ग) रेलवे पुलिस और ज़िला पुलिस के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के फलस्वरूप, प्रभावित क्षेत्र में रेल-पथ पर गश्त लगाना शुरू किया गया है । रेल-पथ की सुरक्षा के लिए गाड़ियों को सामान्य रूप से चलाने और राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ की कार्रवाई को रोकने के लिए रक्षा समितियों का भी गठन किया गया है ।

Target for Rural Electrification under Fourth Plan

2353. **Shri Nawal Kishore Sharma:**

Shri Rana Bahadur Singh:

Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the "Indian Express" dated the 16th July, 1973 to the effect that the target fixed for rural electrification under the Fourth Five Year Plan have not been achieved fully, while only eight months are left in the completion of Fourth Plan period;

(b) if so, the names of the States where targets fixed for rural electrification have not been achieved fully and the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken by Government to complete the remaining work before the end of the Fourth Plan period?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Balgovind Verma): (a) to (c) The progress of village electrification in 12 States viz. Assam, Bihar, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal is below the All-India average.

Considerable progress has been made in these States during the Fourth Five Year Plan by accelerating the programmes and by larger allocations in the State Plans and additive financing through the Rural Electrification Corporation.

During the Fourth Plan targets for energisation of pumpsets have only been laid down and village electrification is incidental to the energisation of pumpsets. No targets for village electrification was fixed but it was expected that 50,000 villages would be electrified. As against a target of 15 lakhs pumpsets for the country as a whole, upto the end of June, 1973, 11.34 lakhs additional pumpsets have been energised and it is expected that the target will be achieved by and large. In regard to village electrification, 68,145 additional villages have been electrified upto 30-6-73. The progress of village electrification has exceeded the anticipation and it is expected that 75,000 villages would be electrified in Fourth Plan.

The progress of rural electrification was reviewed at the State Irrigation and Power Ministers' Conference held at Kodaikanal in July, 1973 where the need for achieving the targets was impressed. It is too early to assess the actual shortfalls in the targets Statewise as the plan period is not yet over.

विधि आयोग की सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए विशेष सैल

2354. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री नवल किशोर सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग की सिफारिशों को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने विधि मंत्रालय में एक विशेष सैल की स्थापना की है

(ख) विधि आयोग की रिपोर्टों की शीघ्र जांच सुनिश्चित करने तथा अनुचित विलम्ब किये बिना उनको क्रियान्वित करने के बारे में सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ग) इन रिपोर्टों को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां। आयोग की विधि मंत्रालय से संबंधित सिफारिशों को क्रियान्वित करने और अन्य मंत्रालयों से संबंधित सिफारिशों को समन्वित करने के लिए हाल ही में सैल की स्थापना की गई है और यह आशा की जाती है कि वह अपना कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर देगा।

(ख) और (ग) आयोग की सिफारिशों का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। किन्तु अभी वह निश्चित-तारीख निर्धारित करना संभव नहीं होगा, जिस तक इन रिपोर्टों को क्रियान्वित कर दिया जाएगा।

धनबाद डिवीजन के अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन का मंडल अधीक्षण, धनबाद के समक्ष प्रदर्शन

2355. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद डिवीजन के अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन ने अपनी बहुत पुरानी स्थानीय शिकायतों को दूर कराने के लिए 5 जून, 1973 को मंडल अधीक्षक, धनबाद के समक्ष प्रदर्शन किया था तथा इस संबंध में उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ; और

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में वे शिकायतें क्या हैं और प्रशासन ने शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हाँ।

(ख) ज्ञापन में की गयी मांगें विवरण में दी गयी हैं।

स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों सहित कर्मचारियों की सभी कोटियों की जायज मांगें लगातार उठायी जाती हैं, उनपर विचार किया जाता है और सामूहिक समझौता तंत्र के विभिन्न स्तरों अर्थात स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र, जो काफी लम्बे समय से वैधानिक और उद्देश्यपूर्ण रूप से कार्य करते रहे हैं, के माध्यम से सुलझाई जाती है। प्राप्त व्यक्तिगत अभ्यावेदनों की भी प्रशासन द्वारा जांच की जाती है और उनका निबटारा किया जाता है।

विवरण

1. सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देना।

2. 205-280 के वेतनमान में स्टेशन मास्टरों की कथित पदोन्नति के लिए इसी वेतन मान में काम करने वाले सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए उपयुक्तता परीक्षा को समाप्त करना।

3. ग्रेडवार पर्याप्त छुट्टी रिजर्व और भारग्राही विश्रामदाता स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की व्यवस्था।

4. विश्रामदाता स्टेशन मास्टरों का, जिनकी रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है, तत्काल क्रियान्वयन।

5. सी० आर० पी० आउटर झरोखास, खटिया ब्लाक हट, ओबेराडैन, मिरचुन्दरी आदि पर स्टेशन मास्टरों/सहायक मास्टरों के ड्यूटी रोस्टर के वर्गीकरण को इसी से सतत में तत्काल परिवर्तित करना।

6. रेनकोट, चोपन में तीसरे सहायक स्टेशन मास्टर की तत्काल स्वीकृति देना।

7. कार्यभार और उत्तरदायित्व के अनुसार कुछ स्टेशनों पर स्टेशन-मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की व्यवस्था करने के लिए समुचित कार्य-विश्लेषण करना।

8. पूर्व रेलवे के अन्य चार मण्डलों के समान धनबाद मण्डल में 375-425 रुपये के ग्रेड में सहायक स्टेशन मास्टरों/स्टेशन मास्टरों के पाठ्य क्रम को तत्काल कार्यान्वित करना।

9. कुछ स्टेशनों पर सहायक स्टेशन मास्टरों/स्टेशन मास्टरों के पदों का तत्काल ग्रेड बढ़ाना।

10. सहायक स्टेशन मास्टरों/स्टेशन मास्टरों के सभी ग्रेडों में रिक्तियों को तत्काल भरना।

11. उंचे ग्रेड के पदों को प्रतिशतता के आधार पर तत्काल बढ़ाना।

12. भारग्राही सहायक स्टेशन मास्टरों का मुख्यालय नाथरसगढ़ से बदल कर धनबाद कंट्रोल करना।

13. विश्रामदाता सहायक स्टेशन मास्टरों के ड्यूटी रोस्टर में परिवर्तन करना।

14. कारगर निरापद संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्टेशन मास्टरों को 56 घंटे साप्ताहिक विश्राम देने की तत्काल व्यवस्था करना।

15. भारग्राही सहायक स्टेशन मास्टरों और विश्रामदाता सहायक स्टेशन मास्टरों को पर्याप्त विश्राम के लिए सभी स्टेशनों पर विश्राम कक्षों की तत्काल व्यवस्था करना।

16. वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य क्षतिपूर्ति भत्ता के आधार पर रात ड्यूटी भत्ता का जिसका मंजूरी रेलवे बोर्ड द्वारा दी जा चुकी है, तत्काल भुगतान करना ।

17. अनिवार्य और उत्तरदायी सेवाओं को ध्यान में रखकर सभी सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए रेलवे क्वार्टरों की व्यवस्था ।

18. निष्पक्ष और न्याय सुनिश्चित करने के लिए, जैसा कि एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है, एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के परामर्श से स्थानान्तरण की निश्चित नीति अपनाना ।

19. कार्य घंटा विनिमय के अनुसार कार्य-कुशलता तथा संरक्षा बढ़ाने के लिए धनबाद पश्चिमी केबीन, पूर्वी केबीन, पाथरडीही सेंट्रल केबीन, पाथरडीही उत्तर केबीन, गोमों पूर्व सेंट्रल केबीन, पतराज्ञ सेंट्रल केबिन में सहायक स्टेशन मास्टरों के ड्यूटी रोस्टरों में सतत श्रेणी से गहन श्रेणी में तत्काल परिवर्तित करना ।

20. कार्यभार ग्रहण करने और सौंपने के लिए ड्यूटी के अतिरिक्त घंटों के लिए पारिश्रमिक देना ।

21. अपने मुख्यालयों से बाहर 8 किलोमीटर के अन्दर काम करने वाले भारग्राही सहायक स्टेशन मास्टरों, विश्रामदाता सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए कठिन ड्यूटी भत्ते या भारग्राही भत्ते की व्यवस्था ।

22. पहाड़ी खण्डों में स्थित स्टेशनों के सभी कर्मचारियों को असुविधाजनक स्थिति और अनेक अन्य कठिनाइयों के लिए पहाड़ भत्ते की व्यवस्था ।

23. छोटे स्टेशनों के बीमार कर्मचारियों द्वारा भेजे गये प्राइवेट डाक्टरों के चिकित्सा प्रमाण-पत्र को रेलवे डाक्टर के प्रतिहस्ताक्षर के बिना स्वीकार करना ।

24. काम सीखने के लिए पर्याप्त अवधि की व्यवस्था ।

25. सभी स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए छः वर्दियों के पूरे सेट की व्यवस्था ।

26. नयी वरिष्ठता सूची का प्रकाशित करना ।

27. सभी छोटे स्टेशनों पर और कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था ।

28. झारोखास, बिल्ली, गुरमुरा जोगीबिन आदि स्टेशनों पर पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था ।

29. गढ़वा टाउन–चौपन–सिंगरोली खण्ड के प्रत्येक स्टेशन पर सफाईवालों को नियुक्ति करना ।

30. धनबाद और गोमों स्टेशनों पर विशेषरूप से छोटे स्टेशनों के कर्मचारियों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के लिए उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और छात्रावास की सुविधाओं की व्यवस्था ।

छोटे स्टेशनों पर कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य बिलों का वेतन क्लर्कों द्वारा भुगतान करने की मांग

2356. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद डिवीजन के अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन ने यह मांग की है कि स्टेशन मास्टरों द्वारा वेतन तथा अन्य बिलों का भुगतान करने की वर्तमान व्यवस्था के बजाए वेतन क्लर्कों द्वारा सभी कर्मचारियों को इनका भुगतान छोटे स्टेशनों पर किया जाना चाहिए, और

(ख) यदि हां, तो वेतन क्लर्कों द्वारा भुगतान की व्यवस्था न कराने का क्या औचित्य है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) पूर्व रेलवे में स्टेशन मास्टरों द्वारा भुगतान की पद्धति केवल उन छोटे स्टेशनों तक सीमित है जहां भुगतान की शुद्ध राशि एक बार में 9000 रुपये से अधिक नहीं होती । अन्य सभी स्टेशनों पर भुगतान वेतन क्लर्कों द्वारा किया जाता है । वेतन क्लर्कों द्वारा वेतन के भुगतान की योजना को सभी छोटे स्टेशनों पर लागू करना खर्चीला रहेगा ।

पूर्व रेलवे म वाणिज्यिक लिपिकों के रिक्त स्थानों का भरा जाना

2357. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में डिवीजनवार, वाणिज्यिक लिपिकों की ग्रेड वार स्वीकृत संख्या कितनी है ;

(ख) इस समय पूर्व रेलवे को सभी डिवीजनों में वाणिज्यिक लिपिकों के प्रत्येक ग्रेड में कितन कितने स्थान रिक्त है ; और

(ग) रिक्त स्थानों के न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5343/73]

(ग) कई मामलों में उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति पाने वाले कर्मचारी उस हालत में कलकत्ता छोड़ना नहीं चाहते जब उन्हें कलकत्ता क्षेत्र के बाहर नियुक्त किया जाता है। वकल्पिक व्यवस्था करने में समय लगता है। प्रारंभिक भर्ती ग्रेड में रेल सेवा आयोग के जरिये भर्ती करनी पड़ती है और इसके पहले कि चुने गये उम्मीदवारों को कार्यकारी पदों पर नियुक्त किया जाये, उन्हे क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल में निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पास करना जरूर होता है। कभी कभी अप्रत्याशित आकस्मिकता के कारण खाली जगहें बिना भरी हो पड़ी रह जाती है।

पार्सल कार्यालय, धनबाद के कार्यकरण के बारे में अभ्यावेदन

2358. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्सल कार्यालय, धनबाद में कार्य करने की असंतोषजनक स्थिति तथा विशेषकर ठेके पर कार्य करने वाल कर्मचारियों द्वारा पार्सल के पैकेजों के संभालने के बारे में प्रशासन को अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) ठेके पर कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को 37 रुपये 50 पैसे का मासिक मजुरी देने का क्या औचित्य है; और

(ग) वहां की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। एक अभ्यावदन मिला है।

(ख) धनबाद स्टेशन पर पार्सल चढ़ाने-उतारने वाले मजदूरों को अंशकालिक आधार पर लगाया जाता है। उन्हें 3 रुपये 75 पैसे प्रति मजदूर प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता है।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) में कर्मशियल क्लर्कों को रेलवे क्वार्टर अलाट करने के बारे में नीति

2359. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद डिवीजन में कर्मशियल क्लर्कों को रेलवे क्वार्टर अलाट करने के बारे में प्रशासन किस नीति पर चल रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कर्मशियल क्लर्कों के लिए नियत कितने क्वार्टर अन्य श्रेणियों तथा विभागों को दिए गए हैं और कर्मशियल क्लर्कों के लिए रेलवे क्वार्टरों की कमी को पूरा करने के लिए उनके स्थान पर कितने और क्वार्टर लिये गये हैं; और

(ग) पारी पर कार्य करने वाले कमर्शियल क्लर्कों के लिए रेलवे क्वार्टरों का एक अलग पूल न बनाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : सभी क्वार्टरों का 90 प्रतिशत अनिवार्य कर्मचारियों और 10 प्रतिशत गैर-अनिवार्य कर्मचारियों के लिए नियत है। रनिंग कर्मचारियों को दूसरे अनिवार्य कर्मचारियों पर तरजीह मिलती है। वाणिज्य क्लर्क गैर-अनिवार्य कोटि के हैं और उन्हें अन्य गैर-अनिवार्य कर्मचारियों के साथ ही प्राथमिकता के क्रम से क्वार्टर दिये जाते हैं।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

पांचवी योजना में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए प्रस्ताव

2360. **श्री झारखण्डे राय :** क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावों पर अनुमानतः कितना व्यय आएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए पाँचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और उन पर राज्य सरकारों के साथ इस समय विचार-विमर्श किया जा रहा है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 290 करोड़ रुपए का प्रावधान को अनन्तिम रूप से प्रस्तावित किया गया है।

पांचवी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रस्ताव

2361. **श्री झारखण्डे राय :**

श्री भोला मांझी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावों पर अनुमानतः कितना व्यय आएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविद वर्मा) : (क) पांचवीं योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे तेल की सप्लाई के मामले में विदेशी कम्पनियों पर निर्भर करना

2362. **श्री वयालार रवि :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल की सप्लाई के मामले में हम विदेशी कम्पनियों पर कहां तक निर्भर करते हैं; और

(ख) विदेशी तेल कम्पनियों की कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि कराने की मांगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित 15 मिलियम मीटरी टन कुल अशोधित तेल के आयात की तुलना में विदेशी तेल कम्पनियां 7.5 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल सप्लाई कर रही हैं।

(ख) नवम्बर, 1970 से अशोधित तेल के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं। विक्रेताओं के बाजार प्रबल हैं। इस लिए इस समय अशोधित तेल सामान्य टैण्डर पधति से नहीं लाया जा सकता। अन्य राष्ट्रों के समान भारत को भी विश्व बाजार से अशोधित तेल खरीदना पड़ता है।

अशोधित तेल के मुल्यों में वृद्धि रोकने के लिए एक मात्र प्रभावी कदम जिसे सरकार उठा सकती है, वह अशोधित तेल के देशीय उत्पादन की अधिक वृध्दि करना है। और इस ओर सरकार अधिक सें अधिक उपाय अपना रही है।

गत दो वर्षों मे फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, त्रावनकोर में प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति और नियुक्ति किये गए नये व्यक्ति

2363. श्री वयालार रवि : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, त्रावनकोर में गत दो वर्षो के दौरान कुल कितने व्यक्ति प्रतिनियक्ति पर आए हैं तथा कितनी नयी नियुक्ति हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई नियुक्तियां करने का औचित्य नहीं हैं क्यों कि प्रबंधकों का यह दावा है कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, त्रावनकोर में पहले ही कर्मचारी अधिक संख्या में है तथा वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध मैं क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की सहकारी समितियों को दिए गए बुक-स्टाल

2364. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद के गत सत्र में घोषित योजना से अब तक शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की सरकारी समितियों को कुल कितने बुक-स्टाल दिए गए हैं; और

(ख) इन्हें ये ठेके किन शर्तों पर दिए जाते हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों की किसी सहकारी समिति को पुस्तक-स्टाल का ठेका अभी तक नहीं दिया गया है लेकिन कई स्टेशनों पर पुस्तक-स्टालों के ठेके आबंटित करने के लिए ऐसी समितियों से आबेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

(ख) इस तरह के ठेके आबंटित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गयी हैं :—

1. समिति को सम्बन्धित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत होना चाहिये ;

2. समिति के प्रत्येक सदस्य को स्नातक होना चाहिए ;

3. सदस्यों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए ;

4. समिति के सभी सदस्य बेरोजगार होने चाहिए ; और

5. पुस्तक-स्टाल से सम्बन्धित सभी प्रबन्ध जिनमें गाड़ियों की बगल में पुस्तकों की बिक्री भी शामिल है, समिति के सदस्यों द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए ।

Privately Operated Railway Lines

2365. Shri Hukum Chand Kachwai: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of privately operated railway lines in the country at present;

(b) the total length thereof; and

(c) whether Government have under consideration any scheme for their nationalisation?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) There are 8 private-owned Railways, out of which 5 are run by contiguous Government Railways and 3 by the Companies themselves.

(b) The total length of these 8 railways is about 700 Kms.

(c) No.

Passengers Arrested for Travelling without Tickets

2366. Shri Hukum Chand Kachwai: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of persons arrested for travelling without tickets during the last five months, Zone-wise;

(b) the amount of money collected by way of fine during the said period, Zone-wise; and

(c) the nature of action taken against persons who could not pay the fine as also the number of persons against whom such action was taken?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) A statement is attached. [*Placed in Library. See No. L.T.* 5344/73].

गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में स्वीकृत सिंचाई/विद्युत परियोजनाएं

2367. श्री रणबहादुर सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कितनी नई सिंचाई तथा सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है ;

(ख) इन प्रत्येक योजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ; और

(ग) इन परियोजनाओं पर केंद्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड के क्या विचार हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ग) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा परियोजनाओं की जांच के पश्चात् गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने के लिए योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित बृहद् तथा मध्यम स्कीमें स्वीकार की गई थीं :

बृहद्

महानदी जलाशय—चरण-एक

मध्यम

1. पुल्कानाला
2. जमिनी दक्षिण तट नहर
3. मयाना
4. सिंध चरण-एक
5. रंगवन उच्च स्तरीय नहर
6. पेयरी जलाशय

(ख) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी एक विकासशीर्ष अथवा परियोजना से संबद्ध नहीं होती । 1970-71 से 1972-73 तक मध्य प्रदेश की वार्षिक योजनाओं का कुल परिव्यय 266.66 करोड़ रुपये था जिसमें से केन्द्रीय सहायता 150.73 करोड़ रुपये थी ।

गोंडिया-जबलपुर छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलना

2368. श्री रणबहादुर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोंडिया-जबलपुर छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अलाभप्रद शाखा लाइन समिति, 1969 की सिफारिश के आधार पर सतपुड़ा छोटी लाइन प्रणाली के (जिसमें जबलपुर-गोंदिया तथा अन्य छोटी लाइनें शामिल हैं) उत्तरी खण्डों के बदलाव के लिए यातायात सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है । सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच के परिणाम ज्ञात हो जाने के पश्चात् इन खंडों के बदलाव के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा ।

Two villages burried on account of Land-Slide caused by Heavy Rains in Kedar Valley

2369. Shri Chandulal Chandrakar: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether two villages were burried on account of landslide caused by the heavy rains in Kedar Valley resulting in heavy loss of life and property;

(b) whether no precautionary measures were taken in view of the possibility of rains and floods occurring in that area; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Balgovind Verma): (a) to (c) The State Government of Uttar Pradesh have not reported so far the damage caused by land-slides due to heavy rains in Kedar Valley. However it has been reported that heavy rains and land-slides at the end of June in the Chamboli District affected a number of villages and caused damage to houses and agricultural land. The damage according to preliminary assessment was about Rs. 6 lakhs. 2 human lives and 131 cattle heads were also lost. The occurrence of land slides due to heavy rains in the hilly areas cannot be predicted. The State Government however took necessary measures for rescue and relief with the assistance of military authorities.

राजस्थान नहर का निर्माण

2370. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण में चरण-वार और अवस्था-वार अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उस पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ;

(ग) चालू वर्ष के लिए और पांचवीं योजना अवधि के अंतर्गत उक्त परियोजना के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(घ) इसकी नवीनतम प्रगति की दृष्टि से इसके कब तक पूरा होने की संभावना है और इसके पूरा होने में कुल कितमा विलम्ब होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप- ंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) राजस्थान नहर के कार्य को बृहद् मद्दों के चरण-वार निर्माण में मई, 1973 के अंत तक हुई प्रगति नीचे दी गई है :—

चरण-एक

कार्य-मद्द	**प्रगति**
राजस्थान फीडर	
मिट्टी का कार्य	पूर्ण
लाइनिंग	वही
राजस्थान मुख्य नहर	
मिट्टी का कार्य	99%
लाइनिंग	78%
वितरण प्रणाली	
मिट्टी का कार्य	56%
लाइनिंग	21%
उठाऊ नहर	
मिट्टी का कार्य	93%
लाइनिंग	55%
उठाऊ नहर की वितरण प्रणाली	
मिट्टी का कार्य	40%
लाइनिंग	13%

चरण-दो

कुछ प्रारम्भिक कार्यों के अतिरिक्त चरण-दो पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है ।

(ख) मई, 1973 के अन्त तक इस परियोजना पर 94 करोड़ रुपये व्यय हुआ ।

(ग) 1973-74 के लिए 13.5 करोड़ रुपये का प्रावधान है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अभी तक कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) इस परियोजना के चरण-एक का काफी हद तक चालू वर्ष में पूर्ण हो जाने की आशा है और यदि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त प्रावधाम हुआ तो चरण-दो 1978-79 तक पूर्ण होना संभावित है ।

इस परियोजना पर कार्य लगभग वर्तमान सूची के अनुसार प्रगति कर रहा है ।

विवाह योग्य आयुसीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में निर्णय

2371. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए सरकार ने पुरुषों एवं महिलाओं की विवाह योग्य आयु सीमा में कानून द्वारा वृद्धि करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : जी, नहीं । तथापि, इस संबंध में, बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का संशोधन करने के लिए कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

समान सिविल संहिता

2372. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के संविधान (अनुच्छेद 44) में नीति-निदेशक तत्वों वाले अध्याय में किये गये उपबंध के बावजूद सभी समुदायों के लिये 'समान सिविल संहिता' बनाने के लिये कोई प्रभावशाली कदम अभी तक नहीं उठाये गये है ;

(ख) क्या अल्प-संख्यक समुदायों के महिला संगठनों से इस तरह की संहिता शीघ्रता से बनाने के लिये जोरदार मांग की गई है ; और

(ग) इस दिशा में क्या प्रभावी उपाय किए जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) बहुसंख्य या समुदाय की, जिसमें बौद्ध, सिख और जैन मत के अनुयायी भी सम्मिलित है, वैयक्तिक विधि को बहुत सीमा तक संहिताबद्ध करने के लिए कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है । सम्पूर्ण भारत में विभिन्न वर्गों और समुदायों द्वारा अभिव्यक्त मत-विभिन्नता के कारण, समान सिविल संहिता बनाने हेतु आगे कार्यवाही करना इस समय कठिन है ।

(ख) सरकार को ऐसी किसी मांग के संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) समान सिविल संहिता बनाने में, अल्पसंख्यक समुदायों की वैयक्तिक विधि में भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है । किन्तु जहां तक अल्पसंख्यक समुदायों का प्रश्न है, सरकार की यह नीति है कि उनकी वैयक्तिक विधि में कोई परिर्वतन तब तक नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसे परिवर्तन के लिए पहले सम्बद्ध समुदाय की ओर से न की जाए ।

पश्चिमी घाटों की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल का उपयोग

2373. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिमी घाटों को पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल के उपयोग की संभावनाओं पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सम्पर्क मार्गो (लिंक्स) के नाम क्या है ; और

(ग) इनको किस तरह से पूरा किया जाएगा ?

सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) तापी नदी के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की कुल सिंचाई शक्यता मोटे तौर पर 58 लाख एकड़ आंकी गई है। पहले से प्रचालन में अथवा निर्माणाधीन परियोजनाओं से शक्यता का लगभग 18.7 लाख एकड़ उपयोग होगा। इन परियोजनाओं का एक विवरण संलग्न है।

राज्य सरकारों ने अन्य 5 लाख एकड़ को लाभ पहुंचाने के लिए नई स्कीमें पहले से ही तैयार कर ली हैं। वे और परियोजनाओं का अन्वेषण कर रहे हैं और उनके कार्यान्वियन के लिए जब भी अन्वेषण पूरे हो जाएंगे और संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे, उनको आरंभ कर देंग।

यह आशा की जाती है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अपने-अपने आश्रित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उपरांत कुछ जल शेष रह जाएगा। अभी तक कोई विशिष्ट लिंकों का पता नहीं चलाया गया है राष्ट्रीय जल ग्रिड के लिए अन्वेषणों के दौरान व्यपवतन की संभाव्यता की जांच करने और आवश्यक जल वैज्ञानिक और अन्य अध्ययन करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लाभ प्राप्त राज्य	सिंचाई शक्यता (लाख एकड़ों में)
1	2	3	4
1	नेय्यार चरण-i	केरल	0.38
2	नेय्यार चरण-ii	केरल तथा तमिलनाडु	0.26
3	कल्लाडा	केरल	2.60
4	पम्बा	केरल	1.14
5	कुट्टानद विकास स्कीम	केरल	1.21
6	पेरियार घाटी स्कीम	केरल	1.40
7	चलाकुडी चरण-i	केरल	0.57
8	चलाकुडी चरण-ii	केरल	0.41
9	पीची	केरल	0.69
10	बजानी (वडाक्कनचेरी)	केरल	0.18
11	चीराजुही	केरल	0.08
12	पोथंडी	केरल	0.27
13	गायत्री	केरल	0.27
14	चिन्तुरपुजा	केरल	0.85
15	कन्होरापुजा	केरल	0.54
16	मालमपुजा	केरल	1.04

1	2	3	4
17	मंगलन	केरल	0.17
18	वालायर	केरल	0.16
19	कुट्टियाडी	केरल	0.77
20	कट्टयाल्ली स्कीम	केरल	0.04
21	पजासी	केरल	0.80
22	परम्बिकुलम अलियार	तमिलनाडु	2.40
23	थेराप्पोराप्पा बीयर तथा कोडायार विस्तार	तमिलनाडु	1.17
24	चित्तर पतनकल	तमिलनाडु	0.33
25	काल	महाराष्ट्र	0.35
26	सलोली	गोआ, दमन और दियु	0.53
27	जन्हारी के पिक अप बीयर	गुजरात	0.04
28	डोसवाग ताल	गुजरात	0.02
		कुल : 0.755 मिलियन हैक्टेयर	18.67

राज्यों में बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं की कार्यान्विति

2374. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इनको निर्धारित समय के अनुसार पूरा करने में कितनी देरी हुई है और प्रत्येक मामले में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और इनको कबतक पूरा कर लिया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जबसे 1951 में योजनाएं आरंभ की गई है, 93 बृहद तथा 513 मध्यम सिंचाई स्कीमें हाथ में ली गई है। चतुर्थ योजना के अंत तक 31 बृहद तथा 379 मध्यम स्कीमें पूर्ण कर ली जाएंगी; बहुत सी अन्य परियोजनाएं भी निर्माण की प्रौढ़ावस्था में है और आंशिक रूप से लाभ दे रही है।

(ख) चतुर्थ योजना में 4.8 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता का लक्ष्य रखा गया था चूंकि लागत में वृद्धि होने तथा पर्याप्त धन राशि के न होने के कारण चतुर्थ योजना के अंत में परियोजनाओं (मुख्यता नागार्जुनसागर, गंडक, कोसी, राजस्थान नहर और रामगंगा से होने वाले संभावित लाभों में दो से तीन सालों का विलम्ब हो जाएगा, इस लिए लगभग 1 मिलियन हैक्टेयर की कमी होने की प्रत्याशा है।

(ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि वे उन स्कीमों को पूर्ण करने के लिए अधिकतम, संभव धनराशि आबंटित करें जिन पर काफी प्रगति हो चुकी है। परियोजनाओं पर कार्य प्रगति का प्राय: पुनरावलोकन किया जाता है और सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए यथासंभव प्रयत्न किए जाते हैं। उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने के प्रश्न की भी योजना आयोग द्वारा जांच की जा रही है जिनसे निकट भविष्य में महत्वपूर्ण अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकते है।

विदेशी तेल कम्पनीयों से कच्चे तेल का आयात करने के बारे में करार

2375. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की ओर से विदेशी तेल कम्पनियों से कच्चे तेल को प्राप्त करने के लिये किये गये सभी करारों की मुख्य बातें क्या है ;

(ख) शोधन क्षमता का क्षत प्रतिशत उपयोग करने के लिये कच्चे तेल की कितनी क ी है; और

(ग) उक्त अन्तर को पूरा करने के और प्रस्तावित क्षमता का विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यह कम्पनी भारतीय तेल निगम है जिसने विदेशों अथवा तेल उत्पादक देशों के राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ अशोधित तेल के आयात के लिए वाणिज्यिक करार किये है । सरकार की ओर से देश में अशोधित तेल का आयात नहीं किया जा रहा है। वाणिज्यिक करार के शर्तों को बताना भारतीय तेल निगम के वाणिज्यिक हित में नहीं है ।

(ख) और (ग) इस वर्ष के दौरान देश में अशोधित तेल की आवश्यकता पूर्ण रूप में पूरी की गई। आगामी पांच सालों के लिए अधिक मात्रा में अशोधित तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। शेष मात्रा के सम्बन्ध में वचनबद्धताओं को जल्दी पूरा किये जाने की आशा है । अशोधित तेल के देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालीन उपाय अपनाये जा रहे हैं ।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में पार्सल क्लर्कों के पदों के लिए लिखित परीक्षा हेतु उन उम्मीदवारों को बुलाया जाना जिनके विरुद्ध कदाचार के मामलें अनिर्णीत पड़े हैं

2376. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में 1 जुलाई, 1973 को 250-380 रूपये (ए० एस०) वाले ग्रेड के पार्सल क्लर्कों के पदों के लिये लिखित परीक्षा हुई थी ;

(ख) क्या इसमें कुछ उन कर्मचारियों को भी बुलाया गया है जिनके विरुध्द सतर्कता विभाग में कदाचार के मामलें अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक व्यक्ति को, जिसे मामुली दण्ड देने के लिए आरोप-पत्र दिया गया [है, लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया है ।

(ग) नियमों के अन्तर्गत, अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ इस प्रकार के व्यक्ति को भी परिक्षा के लिए बुलाया जाता है ।

Shed on Platforms of Idgah, Bilochpura and Jamuna Bridge stations of Agra and construction of Overbridge at Agra Idgah Station

2377. Shri Chhatrapati Ambesh:

Shri Bhola Manjhi:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration proposals to (i) construct sheds at Idgah, Bilochpura and Jamuna Bridge stations of Agra, (ii) construct overbridge at Agra Idgah Station, and (iii) develop Renukta Station; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) To meet the requirements of level of traffic offering at Idgah, Bilochpura and Yamuna Bridge Stations adequate covered waiting accommodation, by way of waiting hall/cover over the platforms to the requisite standards already exists. Work regarding provision of foot-over-bridge at Agra Idgah Station connecting BG and MG platforms will be processed for inclusion in future years' Works Programme subject to availability of funds.

The number of passengers offering at Runkuta Railway station is averaging 86 per day and to meet their requirements all the requisite facilities already exist there.

More Bogies for Agra-Lucknow and Agra-Allahabad Trains

2378. Shri Chhatrapati Ambesh: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a proposal to attach two more bogies to the Agra-Lucknow and Agra-Allahabad trains; and

(b) if so, the time by which the above proposals would be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) Does not arise.

Conversion of Metre Gauge Agra-Ajmer line into Broad Gauge

2379. Shri Chhatrapati Ambesh: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is always great rush of passengers on Agra-Ajmer Railway line, as it is the only Rail line linking Rajasthan with Uttar Pradesh and Madhya Pradesh;

(b) whether there are only two passenger trains on this line; and

(c) if so, whether Government have under consideration any proposal to convert this metre gauge line into broad-gauge line and to introduce more passenger trains there?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Overcrowding has been noticed on some of the trains on certain sections of Agra-Ajmer railway line.

(b) In addition to the 5/6 Agra Fort-Ahmedabad Express which provides a direct service between Agra Fort and Ajmer, there are 2 pairs of passenger trains running on Agra-Bandikui section and 4 pairs of trains, including 3 pairs of Mail/Express trains, on Bandikui-Ajmer section.

(c) Conversion to Broad Gauge of Jaipur-Ajmer section which is a part of Agra-Ajmer section is under consideration. There is no proposal at present for gauge conversion of the section from Agra to Jaipur.

There is at present no proposal to introduce an additional train on the existing Metre Gauge section.

Flag Station for Parkham (North Eastern Railway)

2380. Shri Chhatrapati Ambesh: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a proposal to provide a flag station at Parkham, about 20 kilometre away from Achhnera, had been accepted in 1962 at the time of conflict with China; and

(b) if so, the time likely to be taken in converting Parkham station into a permanent Station?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) Parkham is already a fulfledged station.

(b) Does not arise.

वर्ष 1972 तथा 1973 के दौरान दक्षिण रेलवे में दुर्घटनाएं

2381. श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 और 1973 में दक्षिण रेलवे में रेलगाड़ी के पटरी से उतरने और टक्कर की प्रमुख दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन दुर्घटनाओं से रेलवे की कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या इस बारे में कराई गयी जांचों के निष्कर्षों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) संभवत: आशय दक्षिण रेलव पर हुई उन गाड़ी दुर्घटनाओं से है जिनको जांच रेल संरक्षा आयोग द्वारा 1972 और 1973 के दौरान की गयी थी । ऐसी तीन दुर्घटनाएं हुई थी : (i) 26-4-72 को चार्कलपल्लि और पेनुकोण्डा स्टेशनों के बीच 223 अप सवारी गाड़ी पटरी से उतर गयी थी । इस दुर्घटना में 25 व्यक्ति मारे गये थे और 38 घायल हो गये थे जिनमें से 17 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आयी थी; (ii) 16-8-72 को कडयनल्लूर स्टेशन पर 138 अप एक्सप्रेस गाड़ी और 109 डाउन सवारी गाड़ी के बीच टक्कर हो गयी थी जिसमें 54 व्यक्ति घायल हो गये थे जिनमें से 6 व्यक्तियों को सख्त चोटें आयी थी ; और (iii) 5-2-73 को बीम्मसमुद्रम और रामपुरम स्टेशनों के बीच 122 डाउन सवारी गाड़ी पटरी से उतर गयी थी। इस दुर्घटना में 15 व्यक्ति घायल हुए थे जिनमें से 8 को सख्त चोटें आयी थी ।

(ख) इन दुर्घटनाओं की रेल सम्पत्ति को लगभग 6,97,426 रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया था ।

(ग) इन दुर्घटनाओं की जांच रेल संरक्षा, बेंगलूरू के अपर आयुक्त द्वारा की गयी थी । उनके अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार 26-4-72 को गाड़ी के पटरी से उत्तर जाने की दुर्घटना जान-बूझ कर की गयी तोड़-फोड़ की कार्रवाई के कारण हुयी थी और 5-2-73 को हुई दुर्घटना कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रेल पथ के साथ अनधिकृत भाड़बड़ी का परिणाम थी तथा 16-8-72 को जो टक्कर हुई थी वह रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी ।

रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं का विनियमन

2382. **श्री एम० कल्याण सुंदरम् : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1973 को रेलवे में कुल कितने नैमित्तिक श्रमिक थे, और

(ख) उनकी सेवाओं के विनियमन के लिये क्या कदम उठाये जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) लगभग 3 लाख।

(ख) कारखानों आदि में कुछ पदों को छोड़कर, श्रेणी 4 के सभी पद अब आमतौर से नैमित्तिक मजदूरों और एवजी कर्मचारियों से भरे जा रहे हैं।

कुछ रेल कर्मचारियों की सांठ-गांठ से रेलवे में माल की चोरी

2383. **श्री नरेन्द्र सिंह : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि रेलवे में माल की चोरी चिन्ताजनक सीमा तक बढ़ गई है;

(ख) क्या आंशिक रुप में ये चोरियां रेलवे के कुछ कर्मचारियों की सांठगांठ से होती है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी समाज-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी; और

(घ) वर्ष 1972-73 में कितना मुआवजा दिया गया ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलों के पास बुक किये गये परेषणों में से चोरी और उठाईगीरी की घटनाओं का सरकार को ज्ञान है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ये घटनाएं भयावह स्वरुप धारण कर गयी हैं। वास्तव में 1971-72 के मुकाबले में 1972-73 में क्षतिपूर्ति के नये दावों की संख्या में 40,625 में कमी हुई है।

(ख) निस्सन देह, कुछ मामलों में रेल कर्मचारियों को मिलीभगत का पता चला है लेकिन मोटे तौर पर चोरी और उठाईगीरी बाहरी अपराधियों के काम हैं।

(ग) 1. बुक किये गये परेषणों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा दल का पुनर्गठन किया जा रहा है।

2. जहां तक सम्भव होता है भद्य माल ले जा रही गाडियों के साथ रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र पहरेदार भेजे जाते हैं।

3. चोरी और उठाईगीरी की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों/पुलिस का सक्रिय सहयोग मांगा जाता है।

4. जब कभी रेल कर्मचारियों की सहापरधिता/मिलीभगत का पता चलता है तब या तो उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, उन पर मुकदमा चलाया जाता है और या उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करके उन्हें निवारक दण्ड दिये जाने पर जोर दिया जाता है।

( ) चोरी और उठाईगीरी के कारण की गयी क्षतिपूर्ति के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लकिन जारी किये गये भुगतान आदेशों के अनुसार 1972-73 में दावों के मामलों में कुल मिलाकर लगभग 12.29 करोड़ रुपये का क्षतिपूर्ति के रुप में भुगतान किया गया।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा मेसर्स त्रिवेणी फर्टीलाईजर एण्ड कैमीकल्स कारपोरेशन को वितरक नियुक्त किया जाना

2384. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम (नांगल यूनिट) ने मैसर्स त्रिवेणी फर्टीलाईजर एण्ड कैमीकल्स कारपोरेशन को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए वितरक नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या कसौटी अपनाई गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय उर्वरक निगम द्वारा मैसर्स त्रिवेणी एग्रीकल्चरल एण्ड केमीकलज कारपोरेशन को रासायनिक खाद की एक डीलरशिप दी गई थी। बाद को इस पार्टी के प्रार्थना करने पर उनकी डीलरशिप को पलवल के लिए स्थानान्तरण कर दिया गया था क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा नंगल फैक्ट्री से कलसियम एमोनियम नाइट्रेट के संघीय क्षेत्र दिल्ली को दिये जाने वाले आबंटन बंद कर दिये गए थे। निगम द्वारा इन्टरप्रेन्युरशिप डैवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत डीलरशिप दी गई थी ।

गंगा बेसिन आयोग

2385. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा बेसिन आयोग ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के लक्ष्य क्या है; और

(ग) उसने क्या क्या कार्यक्रम तैयार किए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) पटना में मुख्यालय के साथ गंगा बाढ नियंत्रण आयोग अगस्त, 1972 से कार्य कर रहा है। आयोग गंगा बेसिन में बाढ़, कटाव और निकास समस्याओं से निपटने के लिए एक समेकित योजना तैयार करने और इनके संबंधित राज्य सरकारों के अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वियन के प्रबंध के प्रारम्भिक उद्देश्य से स्थापित किया गया है । आयोग के अन्य महत्वपूर्ण कार्य ये हैं :—

(1) कार्यों का उचित स्तर पर कार्यान्वियन और उनके अनुरक्षण को सुनिश्चित करना;

(2) बेसिन में बाढ़ नियंत्रण उपायों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना;

(3) बेसिन में सडक और रेल पुलों के जल मार्गो की पर्याप्तता की जांच;

(4) बेसिन में बाढ़ पूर्वसूचन और चेतावनी प्रबन्धों का पुनरावलोकन और विस्तार और सुधार प्रस्तावित करना।

बेसिन में राज्यों द्वारा तैयार की गई योजना की रूप-रेखा के आधार पर आयोग ने हाल ही में गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की एक रूप-रेखा तैयार की है । आगे और अध्ययन किये जाने के बाद विस्तृत योजना को तैयार किए जाने का प्रस्ताव है ।

आयोग राज्यों को गंगा बेसिन में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाढ नियंत्रण प्रस्तावों को तैयार करने और बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में प्राथमिकता वाले बाढ नियंत्रण कार्यों, जिनके लिए केन्द्र द्वारा विशेष वित्तीय सहायता दी जा रही है, को शीघ्र अन्तिम रूप देने और स्वीकृत कराने में भी सहायता दे रहा है ।

ड्रिलिंग रिगों तथा भूभौतिक उपकरणों के लिए रुस से बातचीत

2386. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल की खोज के लिए 'डीप ड्रिलिंग रिगों' तथा भूभौतिक उपकरणों की खरीद के लिए बातचीत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) तेल तथा गैस प्राकृतिक आयोग तेल के अन्वेषण के लिये एक लम्बे अर्से से सोवियत रुस से उपकरण खरीद रहा है, और इन में गहरी व्यधन रिगें एवं भुभौतिकीय उपकरण शामिल है। विभिन्न प्रकार के उपकरणों की सप्लाई के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा संबंधित रुसी फर्मों के बीच समय-समय पर वाणिज्यिक करार हुये हैं। इस प्रकार के अन्तिम करार पर 30 मार्च 1973 को हस्ताक्षर हुये थे और यह 2.65 करोड़ के मूल्य की सामग्रियों, जिन में भुभौतिकीय उपकरण तथा रिगों के लिये फालतू पुर्जे शामिल है, के आयात के लिये था। इस के पश्चात् गहरी व्यधन रिगें तथा भूभौतिकीय उपकरणों की सप्लाई की संभावनाओं के बारे में रूस के प्राधिकारियों के साथ और बात-चीत की गई है और इस बात-चीत के प्रकाश में इस मामले की तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे खानपान विभाग में कदाचार

2387. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे खानपान विभाग के कदाचार की अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इन अनेक शिकायतों की जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी, हां। 1-7-72 से 30-6-73 तक की अवधि में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खानपान विभाग में व्याप्त कदाचार की चार शिकायतें मिली हैं। इनमें से दो शिकायतें खोंमचेवालों के विरुद्ध थी जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि वे विक्रेताओं और अपने सम्बन्धियों से अपना काम कराते हैं और तस्करी का काम करते हैं। अन्य दो शिकायतें एक यूनिट के खान-पान प्रबन्धक के विरुद्ध थी—जिनमें भंडार का दुरुपयोग करने, खोंमचेवालों को सामान देने के सम्बन्ध में स्थाई अनुदेशों का उल्लंघन करने, खानपान यूनिट में रेलवे के काम के लिये भूतपूर्व कर्मचारी (सजायाफ्ता व्यक्ति) का उपयोग करने, रिश्वत लेकर एक खोंमचे-वाले को सिगरेट के ठेले को चाय के ठेले में बदलने की अनुमति देने और तौल में कम घटिया किस्म का सामान बेकर जनता को धोखा देने का आरोप था।

इनके अलावा 2-7-73 को खानपान विभाग के केन्द्रीय भण्डार से दिल्ली मेन के यूनिट खानपान प्रबन्धक (खोंमचा) के एक कर्मचारी द्वारा लगभग 33,000 रुपए के मूल्य का सिगरट निकालने और उन्हें बाजार में बेचने के सम्बध में भी एक रिपोर्ट अभी हाल में मिली है।

(ग) सभी शिकायतों की जांच करने के लिये कार्रवाई की जा चुकी है।

"गाजियाबाद में रेलवे के कोयले से गुजारा" शिर्षक से छपा समाचार

2388. **श्री सतपाल कपूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1973 के 'नवभारत टाइम्स' में "गाजियाबाद में रेलवे के कोयले से गुजारा" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) उस पत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सूचना के प्राप्त होने पर तथा अन्य स्रोतों से एकत्रित की गई आसूचना के आधार पर उत्तर रेलवे द्वारा 23 जुलाई, 1973 को एक छापा मारा गया जिसमें कोयले की चोरी के तीन मामले पकड़े गये और एक रेल कर्मचारी सहित व्यक्ति, रेल सम्पत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अन्तर्गत, गिरफ्तार किये गये ।

वर्तमान प्रबन्धों को और अधिक कड़ा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) गाजियाबाद यार्ड में कुत्ता दल द्वारा गश्त लगाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(ii) ठेकेदारों द्वारा नियुक्त सिंडर बीनने वालों के पूर्ववृत्तों की जांच की जाती है ।

(iii) गाजियाबाद के सिंडर के ठेकेदार से कहा गया है कि वह अधिकृत सिंडर बीनने वालों को बिल्ले जारी करें और रलवे सुरक्षा दल को हिदायत की गई है कि यार्ड में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये ।

(iv) गाजियाबाद यार्ड में कोयले की चोरी की रोक थाम करने के उद्देश्य से समय-समय पर विशेष छापे मारे जाते हैं ।

भारतीय रेलवे में आधुनिक रेल पटरियों का प्रयोग

2389. **श्री सतपाल कपूर** :
श्री नवल किशोर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय रेलवे में आधुनिक पटरियों का प्रयोग करेगी ;

(ख) इस योजना के अधीन पहले किन सैक्शनों पर यह कार्य होगा; और

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारी घनत्व के यातायात की ढुलाई करने वाले महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर; इनमें से उन मार्गों को प्राथमिकता दी जायेगी जो चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, हवड़ा, बम्बई और मद्रास को जोड़ते हैं ।

(ग) आधुनिक रेल पथ संरचना की मुख्य बाते हैं लम्बी झली हुई अधिक भारी पटरिया लचीले गुड़नार सहित सुधार किस्म के स्लीपर और मिटटी की अधिक मोटी तह । चुनींदा महत्वपूर्ण मार्गों पर सुधरी हुई रेल पथ संरचना सहित 26,000 किलोमीटर के नवीकरण की कुल लागत 1000 करोड़ रुपए होगी ।

दिल्ली और अहमदाबाद के बीच मीटर-गेज लाईन पर डी-लक्स या तेज गाड़ियां चलाना

2390. श्री सोम चन्द सोलंकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय दिल्ली और अहमदाबाद के बीच मीटर-गेज लाइन पर एक डी-लक्स या तेज गाड़ी चलाने पर विचार कर रहा है, और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) मार्ग में पड़ने वाले व्यस्त इकहरी लाइन के खण्डों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता के अभाव में दिल्ली और अहमदाबाद के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा भारतीय रेलों पर मीटर आमान का वातानुकूल एक्सप्रैस रेक उपलब्ध नहीं है।

वैगन बनाने वाले छह यूनिटों द्वारा रेलवे को वैगनों की सप्लाई

4391. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वैगन बनाने वाले छह यूनिटों द्वारा रेलवे को प्रति वर्ष कितने वैगन सप्लाई किए जा रहे हैं, और

(ख) रेलवे की कुल वार्षिक मांग क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) प्राइवेट क्षेत्र में 16 माल डिब्बा निर्माण कारखाने हैं जिनमें से कुछ या तो रुग्ण हैं या बन्द हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि किन यूनिटों की बात कही गयी है लेकिन पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राइवेट क्षेत्र में कार्यरत सभी कारखानों द्वारा बनाये गये माल डिब्बों का विवरण इस प्रकार है :—

(संख्या चौपहिये के हिसाब से)

वर्ष	प्राइवेट क्षेत्र के माल डिब्बा निर्माताओं की संख्या जिन्होंने रेलवे को माल डिब्बे सप्लाई किये हैं	उत्पादन
1970-71 . .	13	8964.5
1971-72	12	6543.5
1972-73 . . .	11	8987

नोट :—इसमें रेल कारखानों का उत्पादन शामिल नहीं है।

(ख) रेलवे की चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-70 से 1973-74) में 68,776 माल डिब्बों (चौपहिये के हिसाब से) की अर्थात औसतन 13,755 माल डिब्बे प्रति वर्ष की व्यवस्था है।

पंचवर्षीय योजना के दौरान माल डिब्बों की आवश्यकता को अभी योजना आयोग से परामर्श कर के अन्तिम रूप दिया जाना है, परन्तु वह चौथी योजना की व्यवस्था से लगभग 50% अधिक हो सकती है।

मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड को अमरीकी प्रशंसा पत्र

2392. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन्** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड को, जोकि एक सरकारी उपक्रम है, अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा प्रशंसा पत्र (अवार्ड आफ मेरिट) दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो "अवार्ड" प्राप्त करने का आधार क्या है;

(ग) 'अवार्ड' प्राप्त करने के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं; और

(घ) क्या भविष्य में अन्य तेल शोधक कारखानों में भी वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मद्रास शोधनशाला एक सरकारी उपक्रम को यू०एस०ए० की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा प्रशंसा पत्र (अवार्ड आफ मेरिट) दिया गया है ।

(ख) यह पुरस्कार शोधन उद्योग में बिना किसी विकलांग कर देने वाली चोट के दस लाख मैन आवर्स पूरे करने के आधार पर दिया गया है ।

(ग) इस सुरक्षा रिकार्ड के लिये मद्रास शोधनशाला के सभी कर्मचारियों को उनके प्रयत्नो और सहयोग के कारण प्राप्त है ।

(घ) अन्य शोधनशालाओं के अपने सुरक्षा कार्यक्रम हैं जो मूलरूप से मद्रास शोधनशाला लि० के कार्यक्रम जैसे है, वे भी प्रशंसा पत्र पाने के अधिकारी हो सकते हैं यदि वे भी दस लाख मैन आवर्स बिना किसी विकलांग करने वाली चोट के पूरे करें बशर्ते वे यू० एस० ए० की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं ।

तमिलनाडु में बिजली के संकट को पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपाय

2393. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में बिजली का संकट समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में कितना सुधार हुआ है;

(ग) भविष्य के उस राज्य में ऐसी स्थिति पुन: न पैदा होने देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) क्या उक्त राज्य में कोई नए बिजली घर बनाए जाएंगे, यदि हां, तो कब और कहां-कहां ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) और (ख) मानसून आरम्भ हो जाने से तमिलनाडु में विद्युत् प्रदाय स्थिति में सुधार हो गया है और विद्युत् में सभी प्रकार की कटौतियां और प्रतिबंध उठा लिये गये हैं ।

(ग) (1) एन्नोर ताप विद्युत् केन्द्र में 100 मेगावाट की एक यूनिट अभी हाल में चालू की गई है ।

2. एन्नोर में शीतक जल की पर्याप्ति सप्लाई के लिये व्यवस्था कर दी गई है। बेसिन बिज पर शीतक जल की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये उपाय किये जा रहे हैं।

3. नैवेली में भूरे कोयले (लिग्नाइट) की बड़ी हुई माला को विद्युत् उत्पादन के लिये काम में लाया जा रहा है और 50 मैगावाट की दो यूनिटें ईंधन सप्लाई को पूरा करने के लिये तेल-प्रज्वलन में परिवर्तित की जा रही है।

(घ) तमिलनाडु में निम्नलिखित विद्युत् परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं :—

	मेगावाट
1. एन्नोर ताप विस्तार (5वीं यूनिट) . .	110
2. सुरुलियार जलविद्युत् परियोजना . . .	35
3. कुण्डाह चरण-चार	110
4. कदमपरए पंप-संचय स्कीम	400

इसके अतिरिक्त तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड ने निम्नलिखित स्कीमें प्रस्तावित की हैं :—

1. टूटीकोरिन ताप परियोजना	600
2. मेत्तूर ताप परियोजना . . .	220
3. नेल्लिथोराई जल विद्युत् परियोजना . . .	50
4. ताम्ब्रपारणी जलविद्युत् परियोजना . . .	30
5. परालियार जलविद्युत् परियोजना . . .	35
6. लोअर मोयार जलविद्युत् परियोजना . . .	30
7. अपर अमरावती जलविद्युत् परियोजना . . .	20
8. शन्मुखा नदी जलविद्युत् परियोजना . . .	30
9. कुनूर कलार जलविद्युत् परियोजना . . .	50

इनकी जांच की जा रही है।

छोटी कम्पनियों की तुलना में 1501 मध्यम दर्जे और बड़ी सरकारी लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अधिक लाभ कमाना

2394. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसाकि रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के नवीनतम बुलेटिन में लिखा है, 1501 मध्यम दर्जे की और बड़ी सरकारी लिमिटेड कम्पनियों का लाभ वर्ष 1970-1971 की अवधि में छोटी कम्पनियों से अधिक रहा है ;

(ख) छोटी कम्पनियों के कम लाभ के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो छोटी कम्पनियों की लाभ की दर बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) : रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किये गये अध्ययन और मई, 1973 के रिजर्व बैंक आफ इंडिया बुलेटिन में प्रकाशित लेख के अनुसार वर्ष 1970-71 में 1501 मध्यम और बड़ी पब्लिक लि० कम्पनियों के लाभ का अनुपात छोटी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों से अधिक रहा है। अध्ययन में दिये आंकड़ों की परीक्षा से प्रगट होता है कि उपरोक्त स्थिति का मुख्य कारण यह है कि छोटी कम्पनियों द्वारा किया गया व्यय कुल आय से यथासम्बद्ध छोटी कम्पनियों की मध्यम और बड़ी कम्पनियों की स्थिति की तुलना में अधिक था।

(ग) छोटी कम्पनियां, मध्यम और बड़ी कम्पनियों की तुलना में अनुमाप मितव्ययिता का उपभोग नहीं करतीं ह अतः छोटी कम्पनियों के मामले में लाभ का स्थान अन्य वर्गीकृत कम्पनियों की तरह इतना अच्छा नहीं होगा। सरकार,छोटी एककों को जो अपने व्यय में अधिकतम मितव्ययता का प्रयास जितना वे कर सकती है, पहिले से ही अधिमान्य साधन उपलब्ध करा रहीं है।

कुछ वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए मैसर्स सैन्डोज (इंडिया) लि० को दिया गया सी० ओ० बी० लाइसेंस

2395. **श्री विद्याधर बाजपेयी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मैसर्स सैन्डोज (इंडिया) लि० को सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां,तो किन-किन वस्तुओं को शामिल किया गया और प्रत्येक वस्तु के कितनी क्षमता की मंजूरी दी गई और वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या इन्टेस्टोपान जैसी कुछ मदों का फर्म उत्पादन नहीं कर रही थी, परन्तु सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किया गया है ;

(घ) क्या सी० ओ० बी० लाइसेंस में मंजूर क्षमता से अधिक कुछ मदों का उत्पादन यह फर्म कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सी०ओ०ी० लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली मदें 1971 और 1972 में क्षमता और उत्पादन नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	मद का नाम	क्षमता	उत्पादन 1971	उत्पादन 1972
1	इन्टेस्टोपन वैजीनल गोलिया .	इन मदों का उत्पादन विभिन्न	22,28,265	21,76,290
2	इन्टस्टोपन सस्पेन्शन . .	योग सूत्रों के लिये अनु-मोदित सम्पूर्ण क्षमता तथा	16126 (लिटर)	27383 (लिटर)
3	इन्टेस्टोपन फोर्ट कैपसूल	अतिरिक्त क्षमता	77,03,900	63,53,100
4	हेमाट्रीन तरल	को पूरा करने के लिये 25 प्रतिशत तक किया	18757 (लिटर)	18889 (लिटर)
5	इन्टेस्टोपन क्यू कैपसूल	जाना होता है।	14,79,050	3,16,450

क्रम सं०	मद का नाम	क्षमता	उत्पादन 1971	उत्पादन 1972
6	सैन्डो साईकिलिन कैपसल		69,94,560	63,64,656
7	फेनीपन सैन्डोज		3,554 (किलो)	3,541 किलो
8	फोलेसटीन गोलियां		22,87,250	14,89,810
9	टोरेकन गोलियां		15,52,500	11,75,800
10	टोरेकन अमपूलस		111 (लिटर)	185 (लिटर)
11	सेनटीविनि		1,32,192 (लीटर)	4,87,346 (लीटर)

(ग) मैसर्स सैन्डोज सेनटीविनि के अतिरिक्त उपरोक्त सभी मदों का उत्पादन कर रहे थे जसके लिये उन्होंने कारगर कदम उठाये थे ।

(घ) सी० ओ० बी० लाइसेंस में प्रत्येक मद के लिये कोई अलग क्षमता निर्धारित नहीं की गई है; और इन मदों का उत्पादन विभिन्न योग सूत्रों के लिये अनुमोदित सम्पूर्ण क्षमता और अतिरिक्त क्षमता को पूरा करने के लिये उसके 25 प्रतिशत तक किया जाना होता है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

औषध उद्योग द्वारा अपेक्षित रसायनों के अभाव को दूर करने के लिये कार्यवाही

2396. **श्री विद्याधर बाजपेयी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध और फार्मस्युटिकल्स उद्योग द्वारा अपेक्षित अलकोहोल, पोटाशियम परमेंगनेट गलिसरीन, बेनजोन, कास्टिक सोडा, फीनौल और नाइट-पिकोलीन जैसे महत्वपूर्ण रसायनों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो औषध उद्योग को ये रसायन उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है जिससे मूल्यों में वृद्धि न हो और औषध निर्माण की बढ़ती हुई मांग पूरी की जा सके?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कुछ रसायनों जैसे एलकोहोल, ग्लाइसेरान, कास्टिक सोडा, बेनजीन, बेटा पिकोलाइन आदि की अपर्याप्त सप्लाई के सम्बन्ध में समय समय पर औषध एवं भेषज उद्योग से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, ऐसे रिपोर्टों के प्राप्त होने पर औषध एवं भेषज उद्योग को राहत देने के लिये

(1) उपलब्ध देशीय संसाधनों से सप्लाई की व्यवस्था करने ;

(2) अन्य उपभोक्ता उद्योग को विकल्प के रूप सामग्री के प्रयोग के लिये राजी करना; तथा

(3) आयात की व्यवस्था द्वारा उपर्यूक्त कार्यवाही की गई है ।

उन रसायनों जिनकी सप्लाई थोड़ी है कि मांग को पूरा करने के लिये अतिरिक्त क्षमताओं के प्रतिष्ठानों को लाइसेंस देने के लिये भी दीर्घकालीक उपाय के तौर पर कार्यवाही की जाती है ।

नई दिल्ली-आसाम मेल को बरास्ता फरक्का चलाना

2397. श्री लुतफूल हक :

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या फरक्का रेल पुल के उद्घाटन से पूर्व सरकारी विज्ञप्तियों और इश्तहारों में यह घोषणा की गई थी कि यात्रा समय को कम करने के लिये नई दिल्ली-आसाम मेल को बरास्ता फरक्का चलाया जायेगा; और

(ख) नई दिल्ली-आसाम मेल कब से फरक्का से होकर चलने लगेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। लेकिन बाद में सार्वजनिक रूप से यह सूचित किया गया था कि आसाम मेल बरौनी के रास्ते जाया करेगी।

(ख) अब यह विनिश्चय किया जा चुका है कि आसाम मेल का मार्ग परिवर्तन फरक्का के रास्ते लम्बे मार्ग से न किया जाये।

मूंदडा-तापडिया उद्योग समूह के मिनी आयल कंपनी का भारतीय तेल निगम के विरुद्ध कथित झूठे दावे

2398. श्री लुतफुल हक : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या मुदड़ा-तापड़िया उद्योग समुह के मिनि आयल कम्पनी नें भारतीय तेल निगम के विरुद्ध कुछ कथित झुठे दाव किये है ;

(ख) यदि हां, तो इस मुन्दडा-कंपनी के साथ सरकारी क्षेत्र की इस कम्पनी का नाम जूड़ने की पृष्ट भूमि क्या है; और

(ग) भारतीय तेल निगम का इस मिनी आयल कम्पनी और इसके अध्यक्षों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मिनी आयल डिस्ट्रीब्युटर्स एण्ड एजेंट कारपोरेशन न भारतीय तेल निगम से विक्रयपर कमीशन के रुप में कुछ देय राशियों का दावा किया है। दावें की विस्तृत जांच हो रही है।

(ख) और (ग) अप्रैल 1964 से यह फर्म भारतीय तेल निगम की वितरक फर्म के रूप में नियुक्त की गई थी। यह फर्म 1968 से कार्य नहीं कर रही है। इसलिये भारतीय तेल निगम इस डिस्ट्रिब्यूटरशिप को समाप्त करने की सम्भाव्यता पर विचार कर रहीं है।

Increase in Halting time of Trains at Falna Station

2399. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of passengers who board the trains daily from Falna, a Station in Rajasthan on Ahmedabad-Delhi line, in the direction of Ahmedabad-Bombay as well as in the direction of Marwar, separately;

(b) whether the Janata and Mail trains stop only for three minutes at Falna station, as a result of which the passengers cannot board the trains;

(c) whether passengers going in the direction of Ahmedabad and Jodhpur from Falna station travel on the roofs of the trains; and

(d) the measures proposed to be taken to solve these problems and whether Government propose to increase the halting time of these trains at Falna station from 3 minutes to 10 minutes?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Daily average number of tickets issued from Falna in the direction of Ahmedabad and Bombay are 550 and in the direction of Marwar—377.

(b) No. 1 Up/2 Dn. Delhi-Ahmedabad Mails and 31/32 Janata Expresses are scheduled to stop at Falna for 4 minutes. This duration of halt has been found to be adequate for the traffic offering for these trains at Falna.

(c) No.

(d) Does not arise.

इम्पैक्ट पब्लिकेशन लिमिटेड, दिल्ली का परिसमापन

2400. **श्री लुतफुल हक :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी-7 निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली, स्थित इम्पैक्ट पब्लिकेशन लिमिटेड का परिसमापन हो गया है; और

(ख) क्या कंपनियों के रजिस्ट्रार ने विदेशी शेयरधारियों के वास्तविक शिनाख्त और धनराशि के भजने के तरीके के बारे में पुष्टि की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य-मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री वेदब्रत बरुआ) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली के अभिलेखानुसार, यह कम्पनी परिसमापन आदेशिकान्तर्गत नहीं है ।

(ख) नहीं श्रीमान् । चूंकि कम्पनी ने कोई लाभ नहीं कमाया है, अत: किसी हिस्सेदारी द्वारा लाभांश के रूप में धन बाहर भेजने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

विदेशों को जाने वाले जहाजों पर पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ द्वारा चावल और मूंगफली लादने से इन्कार किये जाने का समाचार

प्रो० मधु दंडवते (राजापूर) : श्रीमान, मैं नौवहन और परिवहनमंत्री का ध्यान अविलम्बनिय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"विदेशों को जाने वाले जहाजों पर पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ द्वारा चावल और मूँगफली लादने से इंकार किये जाने का समाचार।"

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्री एस० आर० कुलकर्णी अध्यक्ष अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ ने 2 अगस्त 1973 को वक्तव्य जारी किया बताया गया है कि भारत में बासमती चावल और मूंगफली की कमी के कारण ये वस्तुएं निर्यात नहीं की जायेगी। इस समय निर्यात के लिये कोई बासमती का लदान नहीं किया जा रहा। वक्तव्य में केवल यह कहा गया है जब ऐसी हालात आजाये तो भविष्य में बासमति चावल का पोत लदान नहीं किया जायेगा।

बंबई पत्तन पर 28 जुलाई को रूस के लिये अन्य माल के अतिरिक्त लगभग 2000 टन मुँगफली के बीजों का सालावत जहाज पर लदान शुरू किया गया। लदान कार्य 5 अगस्त, 1973 तक होता रहा, जब कि 1397 टन मूंगफली के बीजों का लदान हो चुका था। यह बताया गया है कि संघ ने 6 अगस्त को बहिष्कार वापिस ले लिया। परन्तु उन्होंनें बासमती चावल के निर्यात की अनुमति न देने के अपने निर्णय को फिर दुहराया है।

मूंगफली तथा बासमती चावल के निर्यात के संबंध में स्थिति निम्नप्रकार है :—

मुँगफली : कुछ चुनी हुई मूंगफली बहुत ही थोडी मात्रा में (मुशकिल से कुल उत्पादन का 0.5 प्रतिशत) प्रति वर्ष निर्यात किया जाता है। यह मद मूल्य को बढाने वाला है और उंचो कीमत मिलती है। हमने वर्षों के बाद एच० पी० एस० मुँगफली के लिए एक निर्यात हेतु मार्केट बनाई है। तथा देश हित में और अपनी साख और निरन्तरता को कायम रखने के लिये हम एक विशेष वर्ष में उत्पादन में उतार चढाव के बावजूद निर्यात मार्केट को बनाये रखना चाहते है। एच० पी० एस० मूंगफली में तेल तत्व तुलनात्मक दृष्टि से कम है और इसका प्रयोग मुख्यत: खाद्य पदार्थों में किया जाता है। इसके निर्यात से कमाई गई विदेशी मुद्रा से तेल के आयात करने में हमें सहायता मिलती है।

बासमती चावल : 1962 से विदेशो मुद्रा कमाने को दृष्टि से कुछ बढिया किस्म के चावल का निर्यात किया जा रहा है। यह चावल, मध्य पूर्व की कुछ पुरानी मार्केटों में ही मुख्य रूप से निर्यात किया जा रहा है जहां कि इसकी मांग पैदा की गई है। चावल के कुल उत्पादन का औसतन लगभग .0003 प्रतिशत वार्षिक निर्यात किया जा रहा है। समाज के समृद्ध वर्ग इस बढिया बासमति चावल का इस्तेमाल कर रहे है और इससे हम गेहूं 1 घटिया अनाज का 314 गुना अधिक आयात कर सकते है। यह समाज के कमजोर वर्गों के हित में है।

माननीय सदस्य समझ गये होंगे कि एच० पी० एस० मूंगफली और बढ़िया बासमती चावल की एक सीमित प्रमात्रा के निर्यात करने का निर्णय देश के हित में है। पत्तन और गोदी कर्मचारियों को इस स्थिति से अवगत कराने के उपाय किये जा रहे है।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से न केवल नौवहन और परिवहन मंत्री सम्बन्धित है बल्कि वाणिज्य मंत्री और कृषि मंत्री का भी इससे सम्बन्ध है इसलिए, जहां आवश्यक हो उन्हें स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें किसी अन्य अवसर पर स्वतंत्र रूप से वक्तव्य देने के लिए कहूंगा। अब तक की परम्परा यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर वही मंत्री देता है जिसके नाम में वह दिया जाता है।

प्रो० मधु दंडवते : अखिल भारतीय पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ ने विदेश जाने वाले जहाजों पर चावल और मूंगफली न लादने का निर्णय करके देश के आर्थिक हितोंको एसे अवसर पर रक्षा की है जब कि सरकार ऐसा करने में विफल हो गई थी। जब कि देश में सूख और दुर्भिक्ष की स्थिति हो और आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो, ऐसे समय

पर ऐसी वस्तुओं का निर्यात करना न केवल गलत है बल्कि इससे उपेक्षापूर्ण और आपराधिक प्रवृत्ति का पता लगता है। इसी समय में ऐसा आश्वासन दिया गया था कि दुर्भिक्ष और सुखे की वर्तमान स्थिति में केवल पुराने समझौते पुरे किये जायेंगे और नये करार नहीं किये जायेंगे, किन्तु इसके विपरित जुलाई 1973 में नये करार किये गये। जहां तक मुंगफली के निर्यात का सम्बन्ध है, पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ ने मूंगफली के लदान पर से 'बायकाट' उठाने का निर्णय कुछ आश्वासन प्राप्त करने के बाद किया है। क्या यह सच है कि रूस ने 2000 से 2500 टन मूंगफली फसल अच्छी होने पर बाद में लेने का आश्वासन दिया है और यह मूगफली बम्बई के एक मिल को भेजी जायेगी जहां पर बना खाद्य तेल नियंत्रित मूल्य पर बेचा जायेगा। मुझे रूस की इस प्रवृत्ति पर प्रसन्नता है कि वह भारत को खाद्य तेल भेजने के लिए सहमत हो गया है और उसका हिसाब मूंगफली के स्त्रोत में किया जायेगा।

जहां तक 'बासमती' चावल के निर्यात का सम्बन्ध है, ऐसा समाचार है कि राज्य व्यापार निगम 7000 टन चावल बाहर भेजेगा। क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने इतना चावल विभिन्न देशों को निर्यात करने के करार जुलाई 1973 में किये है जब कि सरकार चावल की कमी और उसके मूल्यों में हुई वृद्धि से भली भांति परिचित है। क्या यह भी सच है कि 5000 टन चावल बेचने के लिए राज्य व्यापार निगम ने विश्व की मंडियों से क्रय प्रस्ताव मांगे है। क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम ने 12000 टन चावल भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में जमा कर रखा है। क्या हमारी सरकार रूस सरकार से खाद्य तेलों की सप्लाई के लिए औपचारिक रुप से अनुरोध करेगी। क्या सरकार का यह दृष्टिकोण उचित है कि बढ़िया किस्म का चावल बाहर भेजा जाये और विदेशों से मोटा अनाज मंगाकर जन साधारण को वितरित किया जाये। क्या एक सामान्य व्यक्ति उतना अच्छा भोजन लेना नहीं चाहता जितना कि आप चाहते है? मैंने कुछ स्पष्ट प्रश्न किये है जिनका में उत्तर चाहता हूं।

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, माननीय सदस्य ने कई बातें कही है। जहां पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ द्वारा विदेश जाने वाले जहाजों पर मूंगफली और चावल न लादने और बॉयकाट करने के निर्णय का सम्बन्ध है, यदि संघ को इनके निर्यात से सम्बन्धित पूरी जानकारी होती तो वे ऐसा निर्णय ही न करते। चूंकि अब उन्हें यह बात समझा दी-गई है इसलिए उन्होंने अपना पहला निर्णय बदल दिया है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनिय है कि व्यापार अथवा विदेश व्यापार एक दिन में नहीं बन सकता। इसके लिए लम्बे समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि निर्यात करने का उद्देश्य क्या है। निर्यात भी देश के हित में किया जाता है। दूसरी बात यह है कि एक टन बासमती चावल के बदले में चार टन माइलों या अन्य अनाज मिल जाता है जिसकी हमारे देश में आवश्यकता है। यह बात सच है कि हमारे देश में सामान्य व्यक्ति बासमती चावल का कम प्रयोग करते है। इसका प्रयोग धनी घरानों में अधिक किया जाता है।

जहां तक खाद्य तेलों और मुंगफलीं का सम्बन्ध है, हम कुल उत्पादन का 0.5 प्रतिशत निर्यात करते है। वर्ष 1973-74 में 1,12, 122 टन खाद्य तेल का आयात करना है। एक टन मूंगफली के बदले में हमें $1\frac{1}{2}$ टन खाद्य तेल मिलता है। एक टन मूंगफली के बदले 2000 पौंड की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जब कि खाद्य हमें 115 पौंड प्रति टन मिलता है। अतः यह व्यवस्था बुरी नहीं है। माननीय सदस्य ने रूस से खाद्य तेल मंगाने की बात भी कही है। अभी तक रुस से हम खाद्य तेल नहीं मंगाते।

[श्री राज बहादुर]

हां, हम उनसे सूरजमुखी का तेल मंगाने का प्रयास कर रहे है । हमारे यहां चावल का उत्पादन 400 से 430 टन तक होता है जिसमें से केवल 25,000 से 30,000 हजार टन चावल का निर्यात किया जाता है ।

यदि हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी तो निःसन्देह हमें अधिक निर्यात करना होगा । यह कहा गया है कि परिवहन और नौवहन और खाद्य मंत्रालय में समन्वय न होने के कारण खाद्यान्न से लदे जहाजों से माल उतारने में विलम्ब हुआ । ऐसा श्रमिकों के कुछ मांगों के कारण हुआ । यह कहना उचित नहीं कि इन मंत्रालयों में समन्वय नहीं था । इन मंत्रालयों में पर्याप्त समन्वय रहा है ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापूर) : मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं कि मैने जो विदेशों को भेजी गई विभिन्न वस्तुओं के आकड़ों का उल्लेख किया था वह ठीक थे अथवा नहीं ।

श्री राजबहादुर : जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, पत्तन कर्मचारी वर्तमान स्थिति में निःसन्देह सहयोग देंगे । हमने रूस इनसे सरकार को बडी मात्रा में मूंगफली और चावल की सप्लाई की है । रुस सरकार से किये गये करारों को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

हम यह नहीं कह सकते कि इस बार उत्पादन कम हुआ है, अतः हम इस वर्ष निर्यात नहीं करेंगे । ऐसा करना सम्भव नहीं । इस वर्ष मूंगफली का उत्पादन 39 लाख टन हुआ जब कि गत वर्ष इसका उत्पादन 60 लाख टन हुआ था । फिर भी हमें निर्यात तो करना ही होता है ।

चावल और निर्यात करने के बारे में कोई गोपनीयता से काम नहीं लिया गया है । इस वर्ष 5,000 टन बासमती चावल का निर्यात किया गया ।

श्री वसन्त साठे : (अकोला) : जैसे ही लोगों को यह विदित होता है कि अत्यावश्यक वस्तूएं, जैसे चावल और मूंगफली का निर्यात हो रहा है, स्वभावतया वे चिंतित हो जाते है । लेकिन यदि हम इस पर पुनः विचार करें और इस सम्बन्ध में दिये गये स्पष्टीकरणपर विचार करे, तो मुझे विश्वास है कि कोई भी समझदार व्यक्ति संतुष्ट हो जायेगा ।

देश में केवल 0.3 प्रतिशत लोगों की आय 1,000 रुपये से अधिक है और वे ही बासमती चावल खरीदने में समर्थ है । कुछ हजार टन चावल के निर्यात करने से यदि देश को विदेशी मुद्रा के रूप में चौगुनी राशि मिल जाती है, जिससे हम किसानों के लिए कमी वाली चीजें, जैसे डीजल तेल कच्चा तेल, तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते है तो हमें इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये । अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि वह लोगों के दिमाग से यह शंका दूर करे कि यदि चावल का निर्यात रोक दिया गया तो उन्हें चावल उपलब्ध नहीं होगा । क्या सरकार जनता को यह आश्वासन देगी कि उसे अन्य किस्म का चावल उपलब्ध होता रहेगा ? जहां तक चावल का सम्बन्ध है मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि यदि बम्बई के निवासियों को अन्य किस्म का 7000 टन चावल मिल जाता है तो उनका भय दूर हो जायेगा । सरकार अच्छी किस्म का चावल निर्यात कर अधिक धनराशि प्राप्त कर सकती है ।

जब रुस सरकार मुंगफली की खरीद को स्थगित करने के लिये तैयार थी तो सरकार द्वारा उसकी खरीद को स्थगित न करने के क्या कारण है ? क्या सरकार रुस सरकार से कोई ऐसा करार करेगी जिसके अन्तर्गत वह भारत को वह गेहूं सप्लाई करें जो उसे सस्ती कीमत पर अमरीका से प्राप्त हुआ है ? (**अन्तर्बाधाएं**) हम रुस सरकार से सस्ती कीमत पर गेहूं क्यों नहीं प्राप्त करते ?

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि गत वर्ष हमने 48200 टन खाद्य तेल और 75900 टन 'रेप सीड' का आयात किया और इस वर्ष 1,90,000 टन खाद्य तेल और 93000 टन 'रेप सीड' के आयात किये जाने की सम्भावना है । इन आंकड़ों के बारे में मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री राज बहादुर : जहां तक चावल के निर्यात का सम्बन्ध है, केवल बढ़ियां किस्म के बासमती चावल का निर्यात किया गया है । उक्त निर्यात से बम्बई के लोगों को प्राप्त होने वाले आवश्यक खाद्यान्न पर कोई प्रभाव नही पडेगा ।

जहां तक तेल के बदले में गेहूं लेने का प्रश्न है, इस मामले पर खाद्य मंत्रालय द्वारा विचार किया जा सकता है । मैं ऐसी सिफारिश नहीं कर सकता।

1972–73 में हमने 1,12,122 टन तेल का आयात किया जब कि 1973–74 में 1,19,000 टन तेल आयात करन की संभावना है । 'रेप सीड' के आयात सम्बन्धी आंकड़े मेरे पास नहीं है । ये आंकड़ें प्रमाणिक है ।

Shri Jagannath Mishra (Madhu Bani): We are exporting Basmati rice and groundnut. There is already shortage of foodgrains in India and as soon as we hear about it, it is natural that we may have a great shock. But when we consider this matter in detail, we find that exports agreement are always made before hand. It is, therefore, correct that we should stick to our contracts. Moreover, we earn foreign exchange by exporting rice and groundnut and thus we are able to face the difficult situation. Therefore the export of superior quality of rice and groundnut is justified. The Government should take steps in this direction firmly so that our creditability in international trade and our relations with other countries may not get spoiled.

Foreign exchange is essential to maintain economic stability in the country. I hope that the work of export will go on without any interference.

Shri Raj Bahadur: It is true that in the present circumstances, the export of rice and groundnut appears to be very unusual. I am glad that he has also appreciated our policy in this matter. We will make the dock-works' Union understand our policy and I hope they will then stop bycotting the loading of the ships.

No doubt we should stick to our trade agreements in order to continue our trade with other countries we should follow the saying "we will prefer to die than to break our promises" (*Interruptions*)

We are trying our best to increase the production of Basmati rice in the country. There are some schemes under consideration in this connection and I hope with the fulfilment and the implementation of those schemes, we will be able to achieve our aim.

Shri R. V. Bade (Khargone): I praise the Dock workers for not loading the basmati rice and groundnut on the ships. We require 58 lakh tonnes of groundnut whereas only 36 lakh tonnes of groundnut is available. It is not proper to export groundnut in the present situation. There is acute shortage of Vanaspati in the country. The manufacturers of Vanaspati are getting enough profits and even then the prices of Vanaspati Ghee are increasing rapidly. 50,000 tonnes of groundnut have been exported from Madhya Pradesh. The present position is such that the farmers are not getting its seeds for sowing. In case they get it they have to pay very high prices for the seeds.

[Shri R. V. Bade]

The Government export groundnut for earning foreign exchange. In case it supplies seeds to farmers at cheaper rates, they would be very grateful.

Cattle are dying in Madhya Pradesh and Gujarat because they are not getting fodder. There are no oil cakes for them. Inspite of it, 12,600 tonnes of oil cakes have been exported from Gujarat. The Government have not paid any attention towards it.

I want to know the quantity of rice and groundnut which is going to be exported to U.K., Japan and German Democratic Republic.

I also want to know the names of the countries with which contracts have been entered into in this regard.

Shri Raj Bahadur : I also congratulate the Dock Workers for their cooperation. I have never doubted their intention.

The hon. Member should look up the figures again. I have already explained regarding the production of groundnut in the country. But as the hon. Members want I have no objection to give details in this matter.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : देश में वनस्पति कारखानों को कच्चे माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद, अत्यावश्यक वस्तुओं का भारी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। सरकार को उन अत्यावश्यक वस्तुओं के निर्यात के बारे में बताना चाहिए जिनका अगामी छः महीनों में निर्यात किया जायेगा। यह कहा गया है कि सरकार ने कनाडा, जापान और कुवैत को 10,000 टन चावल का निर्यात करने के लिये नये करार किये है। सरकार इस बारे में खाद्य और कृषि मंत्रालय से विचार विमर्श कर उक्त करारों को रद्द करे अथवा यह निर्यात निरन्तर न करे। यद्यपि गुजरात राज्य मुंगफली का सबसे अधिक उत्पादन करता है फिर भी वहा मुंगफली की कीमत सबसे अधिक है। सरकार राज्य में मुंगफली का मूल्य कम करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

मुंगफली के उत्पादन और निर्यात के आंकड़े इस प्रकार है :-

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
1968-69 . .	46.31 लाख टन	37,000
1969-70 .	51.30 ,, ,,	36,000
1970-71 .	61.11 ,, ,,	26,000
1971-72	61.81 ,, ,,	27,000
1972-73 . . .	39.24 ,, ,,	13,000
		(डिसम्बर, 1972 तक)

श्री राज बहादुर : रूस सरकार के साथ वर्ष 1972 में 15,000 टन का निर्यात करार किया गया है और उसके लिये सप्लाई करनी है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

परिसीमन अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचना और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : में निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 310(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 मई, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें नागालैंड राज्य में विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 2 दिया हुआ है ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—5331/73 ।]

(2) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 13 जून, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (1973 का संख्या 4) (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 12 जून, 1973 को प्रख्यापित किया गया था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—5332/73 ।]

स्थायी सिन्धु आयोग का प्रतिवेदन, आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन और बोर्ड का वार्षिक वित्तीय विवरण

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) स्थायी सिंधु आयोग के 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—5333/73 ।]

(2) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित विद्युत् (पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन लोक सभा पटल पर रखने तथा उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—5334/73 ।]

(3) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) और (5) के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के वर्ष 1973-74 का वार्षिक वित्तीय विवरण और वर्ष 1972-73 के अनुपूरक वित्तीय विवरण की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज लोकसभा पटल पर रखने और उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय मे रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—5335/73 ।]

अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं और गेहूं उत्पाद (लाने ले जाने पर नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1973

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिंदे) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं और गेहूं उत्पाद (लाने ले जाने पर नियन्त्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1973 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 जुलाई 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 353 (ङ) में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय मे रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—5336/73 ।]**

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 408 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दुग्ध और दुग्ध उत्पाद नियन्त्रण आदेश, 1973 में कतिपय संशोधन किया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—5337/73 ।]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश को सूचना देनी है :

"कि राज्य सभा ने 30 जुलाई, 1973 की अपनी बैठक में स्टेट बैंक विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 पास कर दिया है" ।

स्टेट बैंक विधियां (संशोधन) विधेयक

STATE BANK LAWS (AMENDMENT) BILL

सचिव : मैं स्टेट बैंक विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और कुछ अन्य जिलों में बाढ़ के बारे में

RE : FLOODS IN FAIZABAD AND SOME OTHER DISTRICTS OF UTTAR PRADESH

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस पर अनुमति नहीं दी थी । **(अन्तरबाधाएँ)**

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद): उत्तर प्रदेश में शारदा नदी का जल खतरे के स्तर से ऊपर पहुंच गया है। फैजाबाद जिले में स्थित बारून पुल, जो सबसे अधिक ऊंचा है, जल मग्न हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जैसाकि स्टेटस्मैन में समाचार प्रकाशित हुआ है। इस विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये।

जुलाई के अन्तिम सप्ताह में फैजाबाद जिले में गत 20 वर्षों की औसत वर्षा से छः गुना अधिक वर्षा हुई है। इसके परिणामस्वरूप सड़कें टूट गई है और बसों का आना जाना ठप्प हो गया है। जिले में 2000 से अधिक गांव जलमग्न हो गये हैं। लखीमपुर खेरी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद से 21 व्यक्तियों के मरने का समाचार प्राप्त हुआ है। अतः अध्यक्ष महोदय को उस विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करने की अनुमति देनी चाहिये।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर पांच मिनिट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha Re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करते हैं। श्री तिवारी।

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने नियम 377 के अन्तर्गत एक चर्चा उठाई थी। सिचाई उप-मंत्री श्री बाल गोविन्द वर्मा यहां उपस्थित थे और उन्होंने बोलने का वचन दिया था। उन्हें मध्याह्न भोजन के पश्चात उत्तर देना था। नियमों के अन्तर्गत आप निर्णय कर सकते हैं कि मंत्री महोदय उस विषय पर कल बोलें। अध्यक्ष महोदय ने चर्चा की अनुमति दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका निवेदन है कि आपको अनुमति दी गई थी।

श्री आर० के० सिन्हा : सभा के स्थगित होने से पूर्व श्री वर्मा वक्तव्य देने वाले थे। वह सभा के स्थगन से दस मिनट पहले उठ गये। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वह मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह निवेदन करना चाहते हैं कि जब आपने मामला उठाया और सदस्य-गण मध्याह्न भोजन के लिये जाना चाहते थे अतः सभा स्वतः स्थगित कर दी गई। **(व्यवधान)**

श्री आर० के० सिन्हा : यह स्थगित नहीं की गई थी। मैंने उत्तर प्रदेश में 22 व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में मामला उठाया था। श्री वर्मा बोलने के लिये खड़े हुए। तब इस विचार के साथ सभा स्थगित कर दी गई कि वह मध्याह्न भोजन के पश्चात बोलेंगे। यदि वह अस्वस्थता के कारण यहां उपस्थित नहीं हैं तो उन्हें कल उत्तर देने दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे। यह मामला उन्हें सौंप दिया जायेगा। माननीय सदस्य का निवेदन कार्यवाही-वृत्तान्त में है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं इसकी सूचना सम्बन्धित मंत्री महोदय को दे दूंगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : समाचार-पत्रों में यह समाचार है कि रेल मंत्री ने कल लोकोमेन की हड़ताल के सम्बन्ध में वाद-विवाद का उत्तर देते हुए अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे के अन्दर हड़ताल समाप्त कर दे। यह वह सच है तो स्थिति और गंभीर रूप धारण कर लेगी। इस प्रश्न पर मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि वह स्थिति स्पष्ट करें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपर) : मैं रेल उप-मंत्री से अनुरोध करूंगा कि तिरुचिरापल्ली और आसाम में रहने वाले लोको कर्मचारी 48 घंटे के अन्दर बातचीत करने के लिये दिल्ली नहीं आ सकते अतः वह आश्वासन दें कि 48 घंटे की यह लक्ष्मणरेखा नहीं रहेगी ताकि वे लोग बातचीत के लिये दिल्ली आ सकें।

Shri Ramawatar Shastri (Patna): The hon. Minister replied while speaking during the debate on locomen's strike that no arrest would be made but the arrests are going on. It will worsen the situation. Arrests should be stopped and those who have been arrested released.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सभी कार्यवाही वृन्तात में सम्मिलित किया जा रहा है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह कम्बोडिया से असैनिक जनता पर की जा रही बमबारी के बारे में वक्तव्य दें।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): I request the hon. Members of the opposition to extend help in getting the locomen's strike called off.

श्री डी० एन० तिवारी : ऐसा समाचार है कि लोग 100 रुपये का नोट इस मिथ्या तर्क पर बदलवा रहे हैं कि उसका विमुद्रीकरण किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में वित्त मंत्री वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि इस बारे में कल के लिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गृहीत किया गया है। परन्तु क्या माननीय सदस्य यह आशा करते हैं कि सरकार यह वक्तव्य दे कि वह विमुद्रीकरण करने जा रही है?

श्री डी० एन० तिवारी : मुझे पता नहीं है। यह समाचार-पत्रों में छपा है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय का उत्तर क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब वह वाद-विवाद का उत्तर देंगे तब उत्तर दे देंगे।

भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक--जारी

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री मोहम्मद शफी कुरेशी द्वारा 6 अगस्त, 1973 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव अर्थात्—

"कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

और उस पर संशोधन पर आगे विचार करते हैं।

श्री डी० एन० तिवारी अपना भाषण जारी रखें।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): The only object of amending this Act is that they want to legalise the money taken by these people by unfair means. They are not giving retrospective effect to it so that no claim can be made as no receipt has been issued of the amount taken.

Secondly, the Government is going to provide deterrent punishment for certain offences like chain-pulling. We have never noticed the cases of chain-pulling in Mail or Express on De-luxe trains. These cases occur in local trains. The Government should give figures as to how many times the chain-pullers were tried and whether the existing laws proved inadequate. Why they need to take more powers? I do not think if this Act has been used. This bill seeks to provide death-penalty if property is damaged or somebody is killed or danger is done to him. Who will try such cases? No particulars have been given whether that case will be filed in the Session's Court.

The laws should be amended with a view to ensuring better functioning of the Railways.

We would have been happy if the hon. Minister had brought forward certain measures to ameliorate the situation regarding the loss of man-hours.

In the Railway Administration three senior officers manage the Railways. They are: the Minister, the Railway Board and the General Managers. We have continuously been protesting that the Railway Board is a white elephant and that it should be abolished. A system should be evolved for streamlining the working of the Railway Administration.

The Railway is a public utility service and it is for the convenience of the public. How do the Government propose to minimise the incidence of late-running of trains?

The hon. Minister should pay attention to the complaints he receives.

उपाध्यक्ष महोदय: रेलवे के कार्य में सुधार के लिय संशोधन नहीं है। संशोधन कुछ अपराधों के लिये दंड बढ़ाने के बारे में है। कृपया उसी से संगतबार कहिये।

Shri D. N. Tiwary: If the object is for better management of the Railways, they must know what are the deficiencies so that they can be set right. If he does not know the deficiencies but goes on making amendments after amendments without knowing how the law is working, what is the use?

Shri Ramawatar Shastri (Patna): The hon. Minister has stated something while throwing light on the object of the amendment. It is welcome feature that provision will be made regarding recovery of cancellation of reservation charges and that efforts will be made to stop the speculative reservations.

The hon. Minister has said that people travel standing on the foot-board, sitting on the roof of the coaches and they pull chains and carry explosives which may cause danger. They want to curb all these things. People travel standing on foot-board because they do not get adequate accommodation in the compartments. The number of trains should be increased as well as the number of coaches be augmented. There is no need of first class and Air-Conditioned Coaches in a socialistic society.

[Shri Ramawatar Shastri]

Nobody objects to the provision regarding expeditious payment of compensation in case of accidents.

We are not opposed to the view that one who causes damage to the railway property should be penalised. We disagree only as to the way in which it is being done. I request them to seek co-operation of the workers. Efforts should be made to instil a sense in them that it is a national property and the railway workers should be so treated that they feel that it is their duty to safeguard the railway property, if any damage is done to it.

The Railway Protection Force should be streamlined.

The Railway employees, who run trains on the mountains and pass them through forests, should be protected against dacoities.

We do not seek co-operation from the employees regarding ticketless-travelling.

It is said that trespass in the railway territory is to be checked. I am afraid, this law would be exercised against persons like us who have to go into the railway territory in connection with unions. If it is done, we shall strongly encounter.

The purpose of the Government will not be achieved merely by terrorising the people but it will be achieved after an atmosphere is created that the railway property is our property because this country is ours.

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह एक सीधा-सादा विधेयक है और इसमें पायदान पर गाडियों की छत पर चढ़कर यात्रा करने, गाड़ियों को नष्ट करने जैसे कुछ अपराधों के लिये दंड कठिन करने की व्यवस्था है। लेकिन मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि चाहे जितने कठिन दंड की व्यवस्था का जाये, उससे वांछित वातावरण उत्पन्न नहीं किया जा सकेगा।

गाड़ियों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध करने में रेलवे बुरी तरह असफल हो गई है और यात्रा करना आरामप्रद नहीं है।

इससे पहले कि मैं विधेयक के उपबन्धों के बारे में कुछ कहूं मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली में तीसरे स्टेशन (टर्मिनल) के लिये स्थान को अन्तिम रुप दे दिया है। 'नई दिल्ली" टर्मिनल 20 वर्ष पूर्व बना था। और उसकी क्षमता से अधिक भीड़ हो गई है। तीसरे टर्मिनल के लिये सरकार करोड़ों रुपये खर्च करने जा रही है। मुझे आशा है कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आगामी 50 वर्षों में उसमें भीड भाड़ा नहीं होगी।

मैंने आरक्षण रद्द किये जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में नियमों को देखना चाहा था परन्तु वह ग्रंथालय में उपलब्ध नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब कभी आरक्षण रद्द किये जाने वाले शुल्क के नियमों में पुनरीक्षण किया गया हो, क्या उन्हें सभा-पटल पर रखा गया है। यदि नहीं तो मंत्रालय की यह बड़ी-भारी भूल है जिसके लिये मंत्रालय की भर्त्सना की जानी चाहिये।

1960 से पहले जब कभी हम यात्रा करना चाहते थे तो टिकट लेकर कही भी जा सकते थे परन्तु आज तो स्थिति यह है कि चाहे किसी भी श्रेणी से यात्रा करना हो, आरक्षण के बिना यात्रा नहीं की जा सकती क्योंकि गाड़ियों में स्थान नहीं मिलता है। जब तक पर्याप्त स्थान की व्यवस्था नहीं की जायेगी, यात्रा एजेन्टों द्वारा आरक्षण में सट्टेबाजी आदि को रोकने का विचार एक कल्पना मात्र होगा।

इस समय मद्रास के लिये बहुत गाड़ियां हैं परन्तु क्या कोई व्यक्ति बिना आरक्षण के इन गाड़ियों में यात्रा कर सकता है? क्या इन गाड़ियों में कुछ डिब्बे नहीं लगाये जा सकते जिनमें बिना अग्रिम आरक्षण के यात्रा की जा सके? सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये।

रेल कर्मचारियों में यह भावना घर कर गई है कि उन्हें जनता या यात्रियों की सेवा नहीं करनी है।

मैं जोधपुर का रहने वाला हूं। दिल्ली आने के लिये हमारी एक ही गाड़ी-जोधपुर-दिल्ली मेल है। तृतीय श्रेणी शयनयान में प्रतिदिन 50 से 75 तक व्यक्ति प्रतीक्षा-सूची में रहते हैं।

जोधपुर-दिल्ली मेल में डीजल एंजिन लगाने के प्रस्ताव का क्या हुआ ? मैं डिवीजनल मैनेजरों से मिला, उन्होंने बताया कि डीजल एंजिन लगाने की सिफारिश दिल्ली और रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। अभी तक क्यों नहीं डीजल एंजिन लगाया गया, यदि डीजल एंजिन लगाया जाये तो उसमें दो डिब्बे और लगाये जा सकते हैं तथा वह और तेजगति से चल सकती है। जब तक राजनीतिक दबाव नहीं डाला जाता है, कुछ नहीं होता है। जब तक स्थिति में सुधार नही होगा, आरक्षण की विभीषीका बनी रहेगी।

जब नये रेल मंत्री बनते हैं तो वह तृतीय श्रेणी में यात्रा करते हैं लोग सोचते हैं कि समस्या का समाधान हो जायेगा परन्तु होता कुछ नहीं है।

यह कहा गया है कि जब कभी भी कोई आन्दोलन होता है, चाहे वह कैसा भी आन्दोलन हो, लोगों द्वारा रेलवे की सम्पत्ति नष्ट की जाती है। रेलवे की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट की जा चुकी है। कई तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं। किन्तु हमने यह बात गम्भीरता पूर्वक सोचनी है कि केवल रेलवे की सम्पत्ति को ही क्यों नष्ट किया जा रहा है। अन्य सरकारी सम्पत्तियां भी तो हैं किन्तु, केवल रेलवे सम्पत्ति को ही नष्ट किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि यात्रा करने वाली जनता आज रेलों में पशुओं से भी बुरी तरह भी होती है। गाड़ियां समय पर आती नहीं हैं। यही कारण है कि राजनीतिक अशांति का प्रभाव पहले रेलों पर ही पड़ता है। हमें यह कहा जाता है कि रेल सेवाओं के कारण हमें हानि उठानी पड़ रही है। हमें इस मामले के संबंध में विवरण बताये जाने चाहिये।

हम समाजवाद की इतनी अधिक बात तो करते हैं, किन्तु हो क्या रहा है ? जब कभी भी क्षेत्रीय प्रबन्धक निरीक्षण करने के लिये यात्रा करते हैं, तो वह विशेष गाड़ी से जाते हैं। उस विशेष गाड़ी में हजारों अधिकारी भी उनके साथ जाते हैं। वे एक मार्ग के स्टेशन पर लोगों से ज्ञापन लेने के लिये भी विशेष गाडी को रोकने के लिये तैयार नहीं हैं। वे गाड़ी को रोकते नहीं है किन्तु, लोग ज्ञापन देने के अभिप्राय से गाड़ी को रोक देते हैं, जब भी महाप्रबन्धक यात्रा करें, तो उन्हें विशेष गाड़ियों से यात्रा नहीं करनी चाहिये। यदि वह विशेष गाड़ी से यात्रा करते है, तो लोगों की समस्याओं को कैसे समझेंगे।

विधेयक के संबंध में, धारा 120 के द्वारा अनधिकृत प्रवेश के लिये दण्ड का उपबन्ध किया गया। यदि मैं टिकट प्राप्त नहीं कर सकता और मैं गाड़ी में सवार हो जाता हूँ, तो यह अनधिकृत प्रवेश है और मुझे जेल में डाल दिया जाता है।

राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करने के लिय काफी धनराशि ली जाती है। इसे कुछ उचित स्तरपर किया जाना चाहिये।

जब तक हम इन सभी मामलों पर बहुत ही शान्त और सहनशीलता से ध्यान नहीं देते हैं, तब तक दंड को बढ़ा देने से वह वातावरण पैदा नहीं होगा, जिस के लिये इस विधेयक को लाया गया है।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक, 1973 रेलवे प्रशासन की अज्ञानता का एक ज्वलंत उदारहण है। यदि इस विधेयक को केवल भविष्य तक सीमित रखा जाये, तो मैं सहमत हो सकता हूं किन्तु, यदि सरकार केवल इसलिये इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना चाहती है कि गलत वसूलियों के लिये ही नियम बनाये गये हैं हालांकि समर्थकारी उपबन्ध नहीं हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। यदि रेलवे प्रशासन के विरुद्ध कोई मुकदमा विचाराधीन है, तो उनका क्या होगा? विधेयक पारित हो जाने के पश्चात न्यायालय में ये मुकदमें खारिज कर दिये जायेंगे। इस में क्या अनुचित बात है कि गलत वसूली की राशि को रेलवे प्रशासन से वापस लिया जाये।

सरकार रेलवे दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को अन्तरिम राहत देना चाहती है। हम सभी इस से सहमत हैं। रेलवे दुर्घटनाओं में मारे गए अथवा घायल हुए व्यक्तियों को भी अन्तरिम राहत दी जानी चाहिये। भारतीय रेलों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिये क्या किया जा रहा है।

सरकार चलती गाड़ी में सवार होने अथवा उतरने तथा फुटबोर्ड पर यात्रा करने के लिये दण्ड देना चाहती है। वर्तमान अधिनियम में 50 रुपये का दंड लगाया गया है और अब सरकार इसे बढ़ाकर 3 महीने का करावास अथवा 150 रुपये का जुर्माने का उपबन्ध करना चाहती है। यदि आप एक यात्री के लिये कुछ स्थान की व्यवस्था कर दें, तो ठीक है और यदि आप यह व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो आप किस अधिकार से उस व्यक्ति को जेल में भेजेंगे, यदि वह फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा करता है।

भारतीय रेल अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत प्रेसीडेंसी अथवा द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त कोई अन्य मजिस्ट्रेट किसी अपराध के मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता।

आपने मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष के कारावास का उपबन्ध किया हुआ है। आप इन शक्तियों को द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को कैसे हस्तांतरित कर देंगे।

यह उपयुक्त समय है कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाये और एक व्यापक विधेयक लाया जाय, ताकि यह सभा इस विधेयक पर समुचे रूप से विचार कर सके।

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada): I want to submit that if we see this Bill keeping in view of the problems confronting Railways, it is easily understood that the problems of Railways cannot be solved by such a small amendment of any law. It should be comprehensively amended.

I want to tell that train takes 7 hours from Patna to Gaya to cover a distance of only 57 miles, which should have taken only 2¼ hours. It is due to this fact that the train stops at all the villages which have become railway stations. I want to enforce stringent law. The time of the passengers is wasted due to the negligence of the officers and due to chain-pulling also.

In regard to chain pulling, the cooperation of village railway station should be sought to stop it. Ticketless travelling should be stopped by giving punishment. No provision has been made in the law to the effect as to what action will be taken against that person, who does not implement it?

Railways are running in losses due to frequent thefts. These thefts are committed due to R.P.F. persons and Railways officers. If any person is found guilty in the public sector, provision should be made to punish him. It should also be provided to punish such railway employees who do not implement it and they have shown laxity.

While making such types of laws we should remove defects in our arrangement so that people may not be harrassed and the implementing officer may not enforce it on them in improper way. The minister should consider all these things.

Single lines should be converted into double lines so as to avoid late running of trains, and the reasons for irregular running of trains should be enquired into. The defects found in the arrangements should be removed by making comprehensive amendment in the law.

Shri Madhu Limye (Banka): By this law provision has been made to award more stringent punishment. The administration of Railways is so much defective that the provisions of laws are not implemented at all.

Regarding reservations of tickets, I suggest that at all the big stations, the details of the vacant seats indicating the names of the trains should be announced in advance for the convenience of the passengers.

In Section 2(2), it has been provided that the fine imposed so far would be treated as genuine. When there was no provision in law, the penalty could not be imposed for cancellation. Why Government wants to legalise the wrong and unfair acts by this Bill. I request the Minister to delete this provision. For future penalty can be imposed, but it should not implemented with retrospective effect.

Regarding chain pulling, I am basically against the capital punishment for it.

In regard to compensation for the victims of railway accident, it should be equivalent to the compensation being given to the victims of the air accident.

I want to submit one thing that when the Minister visited Bombay some months back, a grand dinner was arranged in his honour although famine conditions were prevailing in Maharashtra . The Minister should brief about it. There is need to change the whole Railway Act completely. Please bring forward a law and send it to Joint Parliamentary Committee and it should be passed after considering all aspects. Until efforts are not made to improve the railway administration basically and abolish the white elephant existing in the name of Railway Board, no improvement is possible in the Railways.

श्री विश्व नारायण शास्त्री (लखीमपुर) : इस विधेयक का क्षेत्र बहुत ही सीमित हैं। अत: मैं भी केवल विधेयक तक ही सीमित रहूंगा। इस विधेयक में केवल दो वातें दी गयी हैं। प्रथम रेल के अपराधों के लिये ंड को बढ़ाना और द्वितीय रद्द करने संबंधी प्रभार के रूप में की गयी अनियमित वसूली को नियमित बनाना ।

क्या परिकल्पित आरक्षण करने वाले क्लर्कों को सांठ गांठ से नहीं की जाती ? रेलवे अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिये क्या पग उठाये हैं कि आरक्षण प्रभारी रेल कर्मचारियों के पास एसे परिकल्पित आरक्षणों के लिये शक्ति न हो।

जहां तक किसी अपराध के लिये कारावास के और दण्ड के रूप में दंड को बढ़ाने का संबंध है यह प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय को निवारक दंड में अधिक विश्वास है। भारतीय दंड संहिता में कुछ अपराधों के लिये मृत्यू दंड का प्रावधान है, किन्तु दंड कम नहीं हो गया है। अत: मेरी राय में जुर्माने के दंड को 20 रूपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर देने से अथवा कारावास दंड को 1 महीना से 2 महीना कर देने से अपराधों में कमी नहीं होगी। इन अपराधों को कम करने अथवा उन्हें रोकने के लिये कुछ अन्य तरीके अपनाने होंगे। अनिवार्य रूप से कर्मचारियों को सन्तुष्ट रखना होगा और उनकी उचित मांगों को मानना होगा। जनता को चलचित्र आदि माध्यमों से शिक्षित करना होगा। मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है कि अनधिकृत रूपसे फेरी लगाने के लिये अधिक दंड दिया जायेगा।

क्या ऐसा प्रावधान भी किया गया है जिससे कुछ स्टेशनों पर बेची जा रही बहुत खराब स्तर की चाय स्नैक जैसे खाद्य पदार्थों को बचने से रोका जा सके ?

मेरे विचार में यात्री डिब्बों में भिखारियों के प्रवेश को रोकने के लिये शक्तियां प्राप्त की जानी चाहिये थी।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं श्री कुरेशी द्वारा पेश किये गये विधेयक का स्वागत करता हूं। हालांकि यह इस वर्ष 1973 में ही लाया गया है। मैं गत 20 वर्षों के दौरान हुई घटनाओं में अत्यधिक कमी होने के लिए रेल मंत्री और उनसे पूर्व रेल मंत्रीयों की सराहना करता हूं।

रेल सम्पत्ति के संबंध में गलत काम करने वालों के लिये कड़े दंड का उपबन्ध करने का स्वागत है क्योंकि कुछ राजनैतिक निहित स्वार्थों द्वारा केन्द्रीय सरकार को ब्लैकमेल करने के अभिप्राय से वर्तमान राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाया जा रहा है।

मैं जंजीर खींचने के लिये बढ़ाये गये दंड के संबंध में कहना चाहता हूं। मेरे विचार में इसके लिये एक पर्याप्त उचित और नैतिक कारण होता है। इन परिस्थितियों में मैं रेलमंत्री महोदय से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि हमें अलार्म चैन को खींचने से प्रवृत्त न करें और इस प्रकार एक अपराध न हो।

अधिनियम में रेलवे के सामान की उठाईगीरी आदि के लिये कड़े दंड का कोई उपबन्ध नहीं है।

हम इस समय जब कि रेलवे में हड़ताल चल रही है, इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं। जहां हड़तालियों की उचित मांगों के साथ हमारी उचित सहानुभूति है वहां मुझे यह भी भय है कि प्रायः सभी समाजवादी देशों में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। अतः मैं यह कहूंगा कि इस संशोधन विधेयक को पारित किया जाय, ताकि रेल मंत्रालय रेलों में हड़तालों की समस्याओं से निपटने में समर्थ हो सकें।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बैतूल) : मैं कुछ सदस्यों द्वारा इस विधेयक का विरोध समझने में असमर्थ हूं क्योंकि इसके द्वारा केवल रेल सम्पत्ति को नष्ट करने संबंधी अपराधों के लिये अधिक कड़े और अधिक निवारक दंड का उपबन्ध करने का प्रयास किया गया है। खण्ड 12 के द्वारा कुछ अपराध के दंड का उपबन्ध किया गया है। इसके द्वारा धारा 126 (क) को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसके द्वारा रेल सम्पत्ति आदि की बहुत ही व्यापक परिभाषा की गयी है। सजा की अवधि दस वर्ष है। वस्तुतः यह विशिष्ट धारा उन अपराधों के लिए होगी जिनका प्रावधान भारतीय दंड सहिता की धारा 435 और 436 में किया गया है। जहां तक धारा 435 के अन्तर्गत आने वाले अपराधों का सम्बन्ध है वे भी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं क्योंकि सजा की अवधि 10 वर्ष होने की सम्भावना है और यह विधेयक के मूल उद्देश्यों और कारणों के अनुरूप है जिसमें सजा को अधिक कड़ा करने की बात कही गयी है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 436 में आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है जबकि धारा 435 में केवल 10 वर्ष की सजा की व्यवस्था की गई है। यह विसंगति है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करेंगे। मौत की सजा देने का अधिकार दूसरी श्रेणी के दंडाधीश को दिया गया है जबकि यह अधिकार प्रथम श्रेणी के दंडाधीश को दिया जाना चाहिए।

श्री महंमद शफी कुरेशी : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि इस विधेयक का उद्देश्य सीमित हैं, फिर भी चर्चा में ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है जो विधेयक की परिधि से बाहर हैं। (**व्यवधान**) माननीय सदस्यों ने रेलवे यातायात को सुधारने के कई सुझाव दिए हैं।

रेलवे अधिनियम की धारा 126 क में यह व्यवस्था की गई है कि जो कोई भी गाड़ियों की तोड़ फोड़ करेगा उसे अधिक से अधिक सजा मिलेगी। धारा 435 में कहा गया है :—

> "जो कोई किसी सम्पत्ति को, एक सौ रुपये या उससे अधिक का नुकसान कारित करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तदद्वारा ऐसा नुकसान कारित करेगा, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

धारा 436 में कहा गया है :

"जो मामुली तौर पर उपासना-स्थान के रूप में या मानव-निवास के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता हो, नाश कारित करने के आशय से. . . . . ."

श्री साल्वे ने लोको-शैड और गोदामों का जिक्र किया है। लेकिन रेलवे सम्पत्ति में केवल यही स्थान नहीं आते हैं बल्कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक रेलों का विशाल जाल और सिगनल का उपकरण भी रेलवे सम्पत्ति के अन्तर्गत आते हैं। इसलिए हम यह महसूस करते हैं कि धारा 126क हमारे उद्देश्य को पूरा करेगी।

रेलवे अधिनियम की धारा 133 में व्यवस्था है कि प्रेसीडेंसी दंडाधीश या दंडाधीश, जिसकी शक्ति दूसरी श्रेणी के दंडाधीश से कम नहीं है, के अतिरिक्त कोई भी दंडाधीश अपराध के मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता है। माननीय सदस्य को यह गलतफहमी है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराध के मुकदमों की सुनवाई दूसरी श्रेणी का दंडाधीश करेगा। हमने तो केवल यह व्यवस्था की गई है कि मुकदमे की सुनवाई तीसरी श्रेणी का दंडाधीश नहीं करेगा। लेकीन प्रथम श्रेणी के दंडाधीश अथवा सैशन जज पर मुकदमे की सुनवाई न कर सकने का प्रति बन्ध नहीं है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यदि रेलवे अधिनियम के अध्याय 9 में दिए गए उपबन्धों को ध्यान से पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि कुछ ऐसे अपराध हैं जो तृतीय श्रेणी के दंडाधीश के क्षेत्राधिकार में आते हैं। धारा 133 का उल्लेख इसलिए किया गया है कि ऐसे अपराधों के मुकदमों की सुनवाई दूसरी श्रेणी का दंडाधीश भी करेगा। अतः तृतीय श्रेणी के दंडाधीश के क्षेत्राधिकार से ऐसे अपराधों को हटाकर यह कहा गया है कि दूसरी श्रेणी से कम का दंडाधीश ऐसे अपराधों के मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकेगा। दूसरी ओर ऐसे अपराध भी हैं जो दूसरी श्रेणी के दंडाधीश के क्षेत्राधिकार से न केवल बाहर हैं बल्कि सैशन जज के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं रेलवे अधिनियम की धारा 133 में यह व्यवस्था की गई है कि दूसरी श्रेणी का दंडाधीश उन्हीं अपराधों के मुकदमों की सुनवाई कर सकेगा जो उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में भी यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई दंडाधीश किसी विशिष्ट मामले में यह महसूस करता है कि अपराध इस प्रकार का है कि उसे यह मामला उच्च क्षेत्राधिकार प्राप्त दंडाधीश को भेज देना चाहिए तो वह ऐसा मामला उच्चतर न्यायालय में भेज सकता है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : भारतीय रेलवे अधिनियम में और दंड प्रक्रिया संहिता में कहा गया है कि किसी विशेष अधिनियमन में जब कोई विशेष प्रक्रिया है तो यह दंड प्रक्रिया संहिता के सामान्य उपबंधों पर हावी हो जाती है।

श्री जो० विश्वनाथन् : भारतीय रेलवे अधिनियम में कहा गया है कि दूसरी श्रेणी से कम दर्जे का दंडाधीश मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकता। इसमें मौत की सजा और आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। वह इस अधिनियम का पालन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी शक्ति केवल 6 महीने तक की सजा देने तक सीमित है। वह मामले को अन्य न्यायाधीशों के पास किस प्रकार भेज सकता है जबकि इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

Shri R. V. Bade (Khargone): Second Class Magistrate's power is restricted to punishment for six months, but provision has been made for life imprisonment and death sentence. But the Challans cannot be made in the Court of Second Class Magistrate for this.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): Provision has been made for life imprisonment and death sentence. But how a Second Class Magistrate can try because he cannot award punishment for more than six months. So, you should make an amendment and provide that 'it will be tried by a Session Judge'.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : धारा 133 में कहा गया है कि अपराध के मुकदमों की सुनवाई तृतीय श्रेणी का दंडाधीश कर सकता है। अब वे इस अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि दूसरी श्रणी से कम दर्जे का दंडाधीश मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकता।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यदि वह उससे बड़ी कचहरी में मामला भेज सकता है, तो अधिनियम में इसको व्यवस्था कहाँ की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : धारा 133 में कहा गया है कि प्रेसीडेंसी दंडाधीश अथवा अन्य दंडाधीश जिसकी शक्ति दूसरी श्रेणी के दंडाधीश से कम नहीं है मुकदमें की सुनवाई नहीं कर सकता। क्या इस प्रावधान से उच्च शक्ति प्राप्त दंडाधीश पर यह प्रतिबन्ध लग जाता है कि वह अधिनियम के अन्तर्गत अपराध के मुकदमें की सुनवाई नहीं कर सकता?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशो : मैं सब बात स्पष्ट करना चाहता हूं। धारा 133 में तृतीय श्रेणी के दंडाधीश के क्षेत्राधिकार को अलग रखा गया है। दूसरी श्रेणी के दंडाधीश का अधिकार केवल 6 महीने तक की सजा देने का है। अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिनमें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न का सीधा उत्तर दीजिए। क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के अनुरूप उच्च शक्ति प्राप्त दंडाधीश मुकदमें की सुनवाई नहीं कर सकता ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जी नहीं, सही न्यायालय चुनना सरकारी वकील का काम है।

डा० कैलाश (बम्बई दक्षिण) : धारा 133 विधेयक के खंड के विपरित किस प्रकार है?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य को यह गलतफहमी है कि मैं खंड में संशोधन कर रहा हूं। यह संशोधन विधेयक नहीं है। इसका उल्लेख श्री गोस्वामी द्वारा किया गया था, जब वह धारा 435 और 436 पर चर्चा कर रहे थे।

श्री जी० विश्वनाथन : अधिनियम में कहा गया है कि प्रेसीडेंसी दंडाधीश, जो प्रथम श्रेणी या दूसरी श्रेणी का दंडाधीश है, के अलावा कोई दंडाधीश ऐसे अपराधों के मुकदमें की सुनवाई नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अधिनियम में कहा गया है कि प्रेसीडेंसी दंडाधीश, जो प्रथम श्रेणी या दूसरी श्रेणी का दंडाधीश है, के अलावा कोई दंडाधीश अपराधों के मुकदमें की सुनवाई नहीं कर सकता
कोई दंडाधीश, जिसकी शक्तियां दूसरी श्रेणी के न्यायाधीश से अधिक हैं, अपराध के मुकदमें की सुनवाई कर सकता है।

श्री वसंत साठे : इसका अर्थ यह हुआ कि प्रेसीडेंसी दंडाधीश अथवा दूसरी श्रेणी के दंडाधीश के अतिरिक्त अन्य किसी अपराध के मुकदमें की सुनवाई नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं समझता हूं इसे दूसरी श्रेणी से कम शक्ति प्राप्त दंडाधीश को मुकदमों की सुनवाई करने पर लोक नहीं लगती।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : जहां सजा दस वर्ष या आजीवन होती है, वहाँ किसी दंडाधीश को सजा देने का अधिकार नहीं है।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : अधिनियम में ऐसी कोई धारा नहीं जो सैशन कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट को विचाराधिकार से वंचित करती हो।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि दूसरी श्रेणी के दंडाधीश से अधिक शक्ति प्राप्त दंडाधीश मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकता। व्यर्थ में वाद-विवाद करने से कोई लाभ नहीं तो यदि सरकार माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत नहीं तो है संसद में इसका निर्णय किया जाना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि यदि सरकार समझती है कि इस विषय में गहराई से विचार करने की आवश्यकता है तो इस विषय पर चर्चा को स्थगित किया जा सकता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मूल अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट वर्ग के अपराध लाए गए थे जिनके मुकदमें की सुनवाई प्रथम श्रेणी के दंडाधीश द्वारा होगी। यह छोटे अपराधों के बारे में व्यवस्था की गई थी। अब अधिक गम्भीर और बड़े अपराध हो रहे हैं। क्या दोनों प्रकार के अपराधों के लिए एक ही धारा लागू होगी? एक ही दंडाधीश इन मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकता। इस बारे में मतभेद है और इसको दूर किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**।

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह माननीय सदस्यों के विचार सुनें। आप सजा को बढ़ाकर मृत्यु-दंड तक की व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं। इस प्रावधान के अन्तर्गत मुकदमें की सुनवाई करनी ही पड़ेगी। मेरे विचार में माननीय सदस्यों का कहना है कि आप इस सजा को नहीं बढ़ा सकते और अधिनियम के वर्तमान प्रावधान के अन्तर्गत सुनवाई नहीं कर सकते।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : कानून के अनुसार मृत्यु दंड अथवा 10 वर्ष की सजा केवल सैशन जज ही दे सकता है, प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी का जज नहीं। देश के सामान्य कानून के अन्तर्गत दूसरी श्रेणी के दंडाधीश को भी मुकदमें की सुनवाई और तीन वर्ष की सजा देने का अधिकार नहीं, मृत्यु दंड की सजा देने की तो बात ही अलग है। इस अधिनियम का सैशन जज के अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः मेरा निवेदन है कि इस विशिष्ट धारा पर ध्यान देना चाहिए। इस विषय पर चर्चा को स्थगित किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें महा-न्यायवादी को बुलाना चाहिए और यदि वह आशंका प्रकट करें कि शक्ति अन्तर्निष्ठ नहीं तो मंत्री महोदय को धारा 133 में भी अवश्य संशोधन करना चाहिए।

श्री सेझियान : नियम 109 के अन्तर्गत मेरा सुझाव है कि इस विधेयक पर चर्चा कल या किसी अन्य दिन तक के लिए स्थगित कर दी जाए। **(व्यवधान)** मैंने प्रस्ताव दे दिया है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : धारा 302 के अन्तर्गत जब किसी कचहरी में मुकदमा चल रहा हो तो दंडाधीश चाहे वह प्रथम श्रेणी का ही दंडाधीश क्यों न हो, सैशन कोर्ट को मुकदमा भेज सकता है। उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का दण्ड देने का अधिकार नहीं है। इसका अर्थ है कि इसमें कुछ त्रुटि है। अतः मामला महा न्यायवादी को भेजा जाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Banka): I support the motion moved by Shri Sezhiyan and request that discussion should be postponed and it should be considered again.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : हम श्री सेझियान के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

श्री ए० के० एम० इसहाक : धारा 302 में कहा गया है कि मौत की सजा का फैसला केवल सैशन जज ही सुना सकता है लेकिन इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि दूसरी श्रेणी से कम दर्जे का दंडाधीश इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध के मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि देश के सामान्य कानून के अन्तर्गत इस अपराध पर ध्यान नहीं दिया जा सकता।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी (जालौर) : भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 अपने आपमें कानून ही है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों की सजा की व्यवस्था की गई है। यह भी प्रावधान किया गया है कि अपराधों के मुकदमों की सुनवाई कौन करेगा। इस मामले में, चूंकि संशोधन

[श्री नरेन्द्र कुमार सांघी]

पेश नहीं किए गए है मैं समझता हूं कि इसमें विधि मंत्रालय की त्रुटि है। विधि मंत्रालय की राय प्राप्त करने के बाद ही मामले पर विचार करना चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : भारतीय रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों और उनके लिए सजा की व्यवस्था की गई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 32 में दूसरी श्रेणी तीसरी श्रणी के दंडाधीश तथा सेशन जज के अधिकारों की परिभाषा बताई गई है। संशोधन विधेयक के अन्तर्गत यदि ऐसी सजा दी जाती है जो दूसरी श्रणी के दंडाधीश की शक्ति से अधिक है तो मामला अपने आप ही बडी कचहरी में चला जाता है। **(व्यवधान)** रेलवे अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कचहरियों की शक्ति को समाप्त नहीं करता। धारा 133 में केवल यही कहा गया है कि भारतीय रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के मुकदमें की सुनवाई दूसरी श्रेणी से कम का दंडाधीश नहीं कर सकता। जब अपराध की सजा दूसरी श्रेणी के दंडाधीश के अधिकारों से बाहर हो तो मामला अपने आप बड़ी कचहरी में चला जाता है।

श्री दिनेन चन्द्र गोस्वामी : दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 में कहा गया है कि भारतीय रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए कोर्ट को मुकदमा सुनने का अधिकार है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हम धारा 133 में संशोधन करना नहीं चाह रहे। यह विधेयक की परिधी से बाहर है। **(व्यवधान)** धारा 126 में यह व्यवस्था की गई है कि 10 वर्ष की सजा के मुकदमें की सुनवाई सशन जज ही कर सकता है। हम दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना नहीं चाहते। हम केवल यह चाहते हैं कि दूसरी श्रेणी से कम का दंडाधीश इस अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमे की सुनवाई नहीं करेगा। इससे बड़ी कचहरियों के क्षेत्राधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता। सही कचहरी का चयन करना सरकारी वकील का काम है। यदि यह महसूस किया जाता है कि मामला सैशन कोर्ट में भेजा जाए तो वैसा ही किया जाएगा। माननीय सदस्यों का कहना ठीक नहीं कि हम छोटी कचहरियों के क्षत्राधिकार को सीमित कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय तथा माननीय सदस्यों के विचार अलग अलग हैं। अत: अब दो उपाय हैं। पहला तो यह है कि इस विधेयक पर चर्चा को स्थगित किया जाए, जैसा कि श्री सेझियान ने सुझाव दिया है। यदि माननीय मंत्री इस विचार से सहमत नहीं है तो मुझे यह प्रस्ताव सदन में मतदान के लिए रखना पड़ेगा।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मेरे विचार में इस पर मतदान न किया जाए बल्कि यह मामला विधि मंत्रालय को भेज दिया जाए।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि इस विशिष्ट मामले में कोई निर्णय नहीं किया जाता तो इसका अर्थ यह होगा कि सदन में हम ग़लत पूर्वोदाहरण पेश कर रहे हैं। मेरे विचार में यह मामला महान्यायवादी को भेजा जाना चाहिए।

श्री के० लकप्पा : सदन में इस बारे में अलग अलग विचारों को ध्यान में रखते हुए आप या तो अपने विनिर्णय को बदल दें अथवा इस विषय पर आगे स्पष्टिकरण के लिये इसे स्थगित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यों का यह विचार है कि चर्चा स्थगित की जाए। मैं स्वयं चाहता हूं कि इस चर्चा को स्थगित किया जाए। माननीय सदस्य कृपया मुझे बताएं कि किस नियम के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता है।

श्री बी० पी० नायक (कनारा) : मैं नियम 111 के अन्तर्गत कुछ निवेदन करने के लि आप की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाईये।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : नियम 89 के अन्तर्गत अध्यक्ष विधेयक के किसी भी खंड पर विचार करना स्थगित कर सकता है।

Shri Madhu Limaye (Banka): There is lot of business before the House. There should be voting on the motion of Shri Sezhiyan and after that the next item of the business should be taken up.

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : खंड पर विचार स्थगित करने का आपको अधिकार है...

उपाध्यक्ष महोदय : अभी खंडवार चर्चा नहीं की जा रही है अभी तो पूर्ण विधेयक पर विचार किया जा रहा है। अभी तो विधेयक के सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : विरोधी दलों के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सरकार को काफी समय दिया जा चुका है। आपने भी सरकार को सारा मामला संक्षेप में बता दिया था और इसके साथ ही सरकार को हर प्रकार की कानूनी सलाह भी उपलब्ध है फिर सरकार जिद्दी रवैया क्यों अपना रही है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : सरकार एक साधारण मामले को जटिल बना रही है। सरकार को यह बताना चाहिये कि विधेयक को स्थगित करने में उनकी क्या कठिनाईयां है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री महाजन द्वारा जिस नियम का उल्लेख किया गया है उसके अन्तर्गत खंड 6 पर विचार स्थगित किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तभी हो सकता है जब हम खंडवार विचार आरम्भ करें।

श्री एस० एम० बनर्जी : सारा झगड़ा तो खंड 11 पर हुआ है। मूल अधिनियम तो सदन के समक्ष नहीं है। सदन संशोधन विधेयक पर विचार कर रहा है। यह सम्पूर्ण वादविवाद उसी का है अतः एक खंड या धारा विशेष पर विचार स्थगित किया सकता है।

श्री आर० बी० बडे (खरखोन) : मैं श्री बनर्जी से सहमत नहीं हूं। इस समय तो हमें सदन की इच्छा को समझने का प्रयास करना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यदि सरकार इसे अपने सम्मान का विषय न बनाती तो यह मामला इतना जटिल न होता। श्री सेझियान द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार स्थगित करने के प्रस्ताव को हम सर्वसम्मति से स्वीकृत कर चुके हैं। इस पर सदन में मतदान करवाया जाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मेरा निवेदन यह है कि अनेक वकील सदस्यों ने दलगत सम्बद्धता को एक ओर रखा कर इस विधेयक और उसके उपबन्धों के बारे में अनेक शंकायें व्यक्त की हैं। अतः हम चाहते हैं कि मंत्रालय द्वारा इस विधेयक पर पुनः विचार किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि सम्बद्ध मंत्री या मंत्रालय को इस सम्बन्ध में सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिये। प्रस्ताव के पेश हो जाने पर, सदन का विचार जाना जा सकता है।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): When so many doubts have been endorsed about the Bill and that has had to this controversy, why the Law Minister is not called upon to explain the legal position?

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : सदन के समक्ष विवादास्पद प्रश्न केवल यही है कि श्री सेझियान के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाये या नहीं । मैं समझता हूं कि पहले श्री सेझियान को प्रस्ताव प्रस्तुत करने दिया जाये और फिर उस पर सदन की राय जानी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों द्वारा जो भी उचित तर्क प्रस्तुत किया जाता है मैं उसे पूर्ण महत्व देता हूं । इससे पूर्व कि मैं इस विषय पर महान्यायवादी की राय जानने का प्रयत्न करूंगा, मैं समझता हूं कि हमारे लिए विधि मंत्री की राय से अवगत हो जाना आवश्यक है ।

Shri Ram Dhan (Lalganj) : This dispute is for nothing.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या) : मैं आप से पूर्णतया सहमत हूं । विधि मंत्री अभी एक आधे मिनट में आने वाले हैं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): मुझे आपका पूर्ण वाद विवाद सुनने का अवसर नहीं मिला । परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । परन्तु क्योंकि आप मेरी कानूनी राय जानना चाहते हैं, अतः मैं इसके बारे में पूर्ण रूप से विचार करने के बाद ही अपनी कानूनी राय देना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सेझियान को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे चुका हूं । मैं सदन को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के बाद इस पर मत विभाजन नहीं होगा क्योंकि विधि मंत्री ने अपनी राय अभी हमें बाद में देनी है ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : नियम 109 के अन्तर्गत मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि विधेयक पर वादविवाद स्थगित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि इण्डियन रेलवे अधिनियम 1890 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर वाद-विवाद को स्थगित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उत्तर प्रदेश संबंधी उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

RESOLUTION RE : PROCLAMATION IN RELATION TO UTTAR PRADESH

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर चर्चा आरम्भ करते हैं । श्री उमाशंकर दीक्षित ।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में 13 जून, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

सरकारी रिपोर्ट तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी और उनके मंत्रिमंडल के त्याग-पत्र की प्रतियां सभापटल पर रख दी गई हैं ।

राज्यपाल के प्रतिवेदन में उन कारणों को स्पष्ट किया गया है जिन के आधार पर राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाना कठिन हो गया। श्री कमलापति त्रिपाठी ने भी उन कारणों का विस्तृत उल्लेख किया जिन के कारण राज्य में शासन कार्य चलाना कठिन हो गया। बिजली की कमी, सूखा, विद्यार्थी उपद्रव आदि के कारण मुख्यमंत्री को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। इन सब कारणों के साथ ही बड़ा कारण यह बना कि प्रांतीय सशस्त्र पुलिस ने भी विद्रोह कर दिया और वह लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रहे उपद्रवों में अपना सहयोग देने लगे। इसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय की बहुमूल्य सम्पत्ति को काफी हानि हुई। सम्बद्ध अधिकारियों से यह पता लगाने का प्रयत्न किया गया कि आखिर पुलिस द्वारा किये जा रहे इस विद्रोह का कारण क्या था। हमें पता चला कि सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों की कुछ शिकायतें थीं जिन पर निर्धारित समय पर ध्यान नहीं दिया गया था। अचानक स्थिति ने गंभीर रूप धारण कर लिया और इन लोगों ने एक नई संस्था की स्थापना कर ली। इस संस्था की स्थापना गैर-कानूनी थी। प्रांतीय सशस्त्र पुलिस के नेताओं के विचार अलग थे। उन्होंने लोगों को भड़काना आरम्भ कर दिया। श्री रामानन्द तिवारी, को कि पी० ए० सी० में हैड कान्स्टेबल थे, किसी समय बिहार संयुक्त सोशलिस्ट दल के प्रमुख नेता थे। इस घटना से कुछ ही दिन पूर्व मार्क्सवादी साम्यवादी दल के नेताओं ने भी लखनऊ का दौरा किया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : किसी भी व्यक्ति द्वारा लखनऊ का दौरा करने का मतलब यह है कि उसका प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस से सम्बन्ध था।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यह अपनी ओर से मनघड़ंत कथायें सुना रहे हैं।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मनघड़ंत कथायें तो सदन को पहले सुनाई गई हैं। मैं तो उसे केवल सत्य से अवगत करता रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई सदस्य बोल रहा होता है तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। माननीय सदस्य किसी अन्य सदस्य को बोलने से केवल इसलिए नहीं रोक सकते कि वह उन्हें सुनना नहीं चाहते। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : मैं श्री दीक्षित द्वारा पेश किये ग मामले विशेष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यह बात आम रूप से कहना चाहता हूं कि नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि यदि कोई सदस्य अपने भाषण के दौरान कोई अनुचित या असंसदीय बात कहता है, तो उस पर आपत्ति करने या उसकी ओर अध्यक्ष तथा सभा का ध्यान आकर्षित करने का हर सदस्य को पूर्ण अधिकार रहता है। अतः मैं उपाध्यक्ष महोदय के इस निर्णय से सहमत नहीं हूं कि जब कोई सदस्य बोल रहा हो, तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपनी स्थिति सदस्य महोदय को स्पष्ट कर दूं। मैंने यह नहीं कहा कि एक सदस्य के भाषण देते समय दूसरा सदस्य व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकता। मैंने तो इतना कहा कि ऐसा तो किया जा सकता है परन्तु सदस्य उस पर निरन्तर टिप्पणी नहीं कर सकता। यदि कोई सदस्य असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है, तो उसकी ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना अध्यक्ष का कर्तव्य होता है।

मैंने बताया है कि जब कोई सदस्य विरोध करता है अथवा कुछ कहता है और वक्ता सदस्य झुक जाता है तब वह सदस्य अपनी कुछ टिप्पणी कर सकता है। परन्तु आपको ऐसा करने के बजाय अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करना चाहिये और अध्यक्षपीठ को हस्तक्षेप करके सदस्य को बैठ जाने के लिये कहना चाहिये।

श्री एच० एन० मुखर्जी : आपने दूसरी बात उठा ली है। अध्यक्षपीठ द्वारा व्यवस्था तब नियमित की जानी चाहिये जब व्यवस्था के प्रश्न अनावश्यक तथा शरारतपूर्ण ढंग से उठाये जायें। यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि आप यह कहें कि किसी सदस्य के वक्तव्य के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता क्योंकि सदस्य द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्षपीठ को ही न्यायनिर्णय करना होता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : * * *

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार की अभिव्यक्ति का कठोर विरोध करता हूं। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(अन्तर्बाधा)

एक माननीय सदस्य : उसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं था।

श्री उमाशंकर दीक्षित : इस पर समय लगाना बेकार है। सभा की कार्यवाही आगे चलनी चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जब सदन में चर्चा चल रही होती है तब किसी ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाने से पूर्व जो सदन का सदस्य नहीं है नोटिस देना होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या नाम लिया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री रामानन्द तिवारी।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री तिवारी एक भूतपूर्व मंत्री है तथा एक राजनैतिक दल के सम्मानित सदस्य हैं।

एक माननीय सदस्य : किस दल के।

श्री एस० एम० बनर्जी : समाजवादी दल के।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी व्यक्ति को बदनाम करने के उद्देश्य से उसका नाम लिया जाता है तब मामला नियम 353 के अन्तर्गत आता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हमारे सम्मुख केवल यह बात है कि जब कोई मंत्री महोदय अथवा कोई माननीय सदस्य बोल रहे हो तब क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। **(व्यवधान)** क्या यह उचित है कि श्री ज्योतिर्मय बसु ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और आपने उसके लिये अनुमति नहीं दी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मुकर्जी तथा श्री श्यामनन्दन मिश्र ने जो कुछ कहा है उसमें कुछ सार है। यदि यह कहा जाय कि किसी सदस्य के बोलने के समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता तो यह मेरे कहने का बहुत ही कठोर अर्थ निकालना होगा। परन्तु मैं यह भी कहूंगा कि जब अन्य संसदीय प्रक्रियायें उपलब्ध हैं तब सदस्यों को केवल व्यवस्था के प्रश्न की बात में ही उलझकर नहीं रह जाना चाहिये। श्री ज्योतिर्मय बसु, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उपाध्यक्ष महोदय, जब श्री उमाशंकर दीक्षित बोल रहे थे तब उन्होंने इन शब्दों से ही आरम्भ किया था कि श्री रामानन्द तिवारी "जो कभी हैड कांस्टेबिल थे"। उनके इन शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि श्री तिवारी ने हैड कांस्टेबिल रह कर कोई बड़ी भारी गलती की है। श्री दीक्षित ने यह भी कहा कि "सी० पी० एम० दल के तीन सदस्य लखनऊ से बनारस गये"। दूसरे भाग में उन्होंने कहा है "विद्रोह भड़काने के लिये"।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंने ये शब्द नहीं कहे हैं। यह गलत है।

श्री ज्योतिमय बसु : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप कार्यवाही रिकार्ड देखेंगे तो आपको ज्ञात हो जायेगा कि कई बार यह व्यवस्था दी गई है कि सदन में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम लेकर आरोप नहीं लगाया जाना चाहिये जो स्वयं वहां अपनी सफ़ाई देने के लिये मौजूद नहीं हो। नियम 353 में यह व्यवस्था है कि यदि आप किसी व्यक्ति का नाम लेना चाहते हैं तो उसके लिये लिखित नोटिस दिया जाना चाहिये। क्या श्री उमाशंकर दीक्षित ने लिखित नोटिस दिया है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि स्थिति इतनी गम्भीर है कि उनके लिये उस ढंग से कार्य कर पाना असंभव है जिस ढंग से कि वह कर रहे हैं। वह आगे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इससे बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। उन्हें इस बात का भी पता चला कि पड़ौसी राज्यों में कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं, जिनका प्रभाव समूचे देश पर पड़ सकता है। वह अपने सहयोगियों और दल के वरिष्ठ लोगों के साथ परामर्श करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राज्य के हितों तथा राज्य में कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा को बनाये रखने के लिये तथा देश के सामान्य हित के लिये संसद को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी इस प्रकार की घटना न हो जिसका कुप्रभाव सामान्य कानून तथा व्यवस्था पर पड़े। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हो गया है। अत: उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 356 का सहारा लिया।

राज्यपाल ने राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा उससे यह प्रकट होता है कि उन्होंने राज्य विधान सभा में दलों की स्थिति को देखते हुए यह समझा कि कांग्रेस के अतिरिक्त अकेला कोई भी दल अपनी सरकार बनाने की स्थिति में नही है। यदि सभी विपक्षी दल एक साथ मिल जाते हैं तो भी उनकी सदस्य संख्या 142 होती है। इन परिस्थितियों में राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें राष्ट्रपति से यह सिफारिश करनी चाहिये कि राज्य में अनुच्छद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये। राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुय राष्ट्रपति ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ —

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में 13 जून, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है"।

श्री ज्योतिमय बसु : सत्तारुढ़ दल भारी जनमत पर गर्व करता है, किन्तु उसने भारी जनमत के साथ क्या किया है। वह दोनों कार्यों में, अर्थात जनता की सेवा करने में तथा स्थायी सरकार की स्थापना करने में असफलल रही हैं। आज चार राज्यों में और यदि मुझे सही स्मरण है तो पांडिचेरी में भी राष्ट्रपति शासन लागू है। कांग्रेस दल में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। बिहार में हमने नगदनाराय तथा श्री उमाशंकर दीक्षित के बीच विवाद देखा है। एक ने दूसरे से अधिक रुपया दिया।

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह पूर्ण रूप से गलत आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं।

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : श्रीमन, मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं। श्री ज्योतिर्मय बसु इस प्रकार का अस्पष्ट वक्तव्य नहीं दे सकते जो दूसरे सदस्यों की समझ में न आवे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं समझ सका। क्या आप इसे दोहरायेंगे।

श्री नवल किशोर सिंह : मुझे खेद है कि इस समय मेरे पास नियम उपलब्ध नहीं है। परन्तु जहाँ तक मुझे याद है विधेयकों के कार्यकरण के बारे में कोई सदस्य ऐसा अस्पष्ट वक्तव्य नहीं दे सकता जो दूसरे सदस्यों की समझ में न आये।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ समय पूर्व श्री ज्योतिर्मय बसु ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मैं उस समय मामले की गहराई में इसलिये नहीं गया कि मैंने उस सम्बन्ध में व्यवस्था देना उचित नहीं समझा क्योंकि श्री ज्योतिर्मय बसु के विरुद्ध कोई विशेष बात नहीं कही गई थी। अब श्री नवलकिशोर सिंह ने आपत्ति उठाई है। संभवतया मैंने गृहमंत्री को भी यह कहते सुना है कि "सभा की कार्यवाही नियमित की जाये"। मैं कार्यवाही को किस प्रकार नियमित कर सकता हूं। कुछ आरोप लगाये हैं चाहे उसका कोई आधार है अथवा नहीं, मुझे इससे कोई तात्पर्य नहीं है। **(व्यवधान)** सरकार के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। इस सम्बन्ध में संसदीय प्रक्रिया यही रह जाती है कि उन आरोपों का उतने ही कठोर शब्दों में उत्तर दिया जा सकता है जितने गम्भीर आरोप श्री बसु ने लगाये हैं। यह सब कुछ कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जायेगा। मैं किसी भी पक्ष के सदस्यों को नहीं दबा सकता। अध्यक्षपीठ का ऐसा करना बहुत घातक है।

श्री के० लकप्पा (तुनकुर) : यदि श्री बसु को किसी मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप लगाना है, तो उन्हें नियमों के अन्तर्गत इसके लिये अनुमति लेनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं यदि आप मुझे वह नियम दिखा दें जिसके अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता हैं।

श्री वसंत साठे (अकोला) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

नियम 352 में बताया गया है:

"एक सदस्य भाषण करते समय...

(ii) किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायेगा"।

यहाँ व्यक्तिगत आरोप यह है कि श्री दीक्षित तथा किसी अन्य मंत्री ने इस उद्देश्य के लिये लाखों रुपये की धनराशि एकत्र की है। यह आरोप बदनाम करने के लिये लगाया गया है। अत: श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा लगाया गया आरोप कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये, आप इस पर विचार करें। इसे अधिक अपमानजनक बात और क्या हो सकती है।

Shri Ram Dhar (Lalganj): On a point of order, Sir, A Member is not expected to make wild allegations against another. Statement should be supported by sound proof.

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : उस दिन जब श्री नायक ने श्री मधु लिमये के विरुद्ध आरोप लगाया था तब आपने अपनी व्यवस्था दी थी। मैंने इसपर आपत्ति उठायी थी और कहा था कि यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। तब आपने यह व्यवस्था दी थी कि जब सदस्य सदन में उपस्थित है तब यह उसका कर्तव्य हो जाता हैं कि वह अपनी सफाई प्रस्तुत करे।

दूसरे नियम 380 के अनुसार यदि अध्यक्षपीठ यह समझती है कि प्रयुक्त शब्दावलि असंसदीय अथवा गरिमारहित है तब वह अपने विवेकानुसार उन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल देने का आदेश दे सकता है। अत: कांग्रेस दल के सदस्यों को रोष में आने की आवश्यकता नहीं है। यह अध्यक्ष पीठ का कार्य है कि वह यह देखे कि सदन की गरिमा बनी रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सदन में वादविवाद की स्वतंत्रता के अधिकार को भी ध्यान में रखना हैं जो लोकतांत्रिक कार्यकरण की एक प्रक्रिया है। श्री ज्योतिर्मय बसु ने कुछ कहा है उसका कठोर विरोध किया गया है। यह अनुरोध अथवा मांग भी की गई है कि श्री ज्योतिर्मय बसु के शब्दों को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये... **(व्यवधान)**। यह मांग इस आधार पर की गई हैं कि श्री ज्योतिर्मय बसु के शब्द अपमानजनक हैं, असंसदीय हैं। इसके लिये नियम 352, 353 को उध्दृत किया गया है। श्री

साठे तथा श्री के० लकप्पा ने इस नियमों का उद्धरण दिया है। लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने के लिये यह आवश्यक है कि कोई सदस्य ऐसा अनुभव न करे कि उसे दबाया जा रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। अतः मेरा विचार यह कि मैं कुछ अन्य सदस्यों के विचार और सुनूं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमन, मेरा विचार यह है कि यदि कोई आरोप लगाया जाता है, और जो संसद में भलीभांति लगाया भी जा सकता है, तो यह आरोप किसी व्यक्तिगत जानकारी, प्रेस के समाचार आदि पर आधारित होना चाहिये। आरोप लगाते समय जानकारी का सूत्र भी बताया जाना चाहिये। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, यह अच्छा नहीं है। अध्यक्षपीठ को यह बात सुनिश्चित करानी चाहिए कि आरोप लगाने वाला सदस्य अपनी जानकारी का प्रमाण सभा में पेश करेगा जिससे कि सभा में उसकी जांच की जा सके।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, it is my experience that whenever any allegation is made against Congress Government or against the ministers, ruling party member try to suppress that matter under article 352. They are not having sportsmanship. That day, when allegation was made against me, I did not object to it. When you gave your ruling and said that Shri Limaye will reply to that, then I had accepted that.

Members of Congress party are making accusations against each other.

Shri B. P. Maurya (Hapur): On a point of order, Sir, (*Interruptions*)

Shri Madhu Limaye : There cannot be any point of order or a point of order. I don't yield. ((*Interruptions*) When some accusation is made against a member or a minister who is not present in the house, We should not try to suppress that.

श्री उमाशंकर दिक्षित : प्रो० मुकर्जी ने मामले को सिद्धान्त के उच्च स्तर पर प्रस्तुत किया है। गरिमा के अभाव में सभा, सभा नहीं रह जाती है। हमें उनकी बात को सिद्धांतिक रूप में स्वीकार करनी चाहिये और कार्य को आगे बढ़ाना चाहिये। कीचड़ उछालने से कोई कार्यवाही नहीं चल सकती।

Shri B. P. Maurya : Mr. Deputy Speaker, Sir, Prof. Mukherjee is always a source of inspiration in this House. I take him an ideal member.

Shri Madhu Limaye has made certain accusations against a member of our Party. What is outside the House is a separate matter. Here we are to maintain the decorum. There are some members who are deliberately flouting the dignity of the House since they do not follow the democratic tradition. Shri Basu should be asked not to indulge in such a practice.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी पक्षपातपूर्ण भावना से नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं किसी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं हूं। श्रीमन हम सभी आपको इस विचारधारा से सहमत हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलनी चाहिये। जब हम यह चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया चले तब यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही एक अंग बन जाता है कि वर्तमान सरकार की आलोचना भी हो, चाहे सरकार किसी भी दल की हो। यदि सरकार यह आशा रखती है कि विरोधी पक्ष तथा निर्दलीय सदस्य वही बात करें। जिनसे वे सरकार से सहमत हैं तब हमें संसद की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। (**व्यवधान**) आप देख रहे हैं कि इनमें सहनशीलता का अभाव है। बात केवल इतनी है कि किसी लोकतांत्रिक सभा में आलोचना करने की स्वीकृति होगी अथवा नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि विपक्ष किसी दुर्भावना से अर्थात व्यक्तिगत रूप से आलोचना करता है तब अध्यक्षपीठ यह कह सकता है कि अमुख आलोचना उचित नहीं है। (**व्यवधान**)

[श्री पी० जी० मावलंकर]

इतने बड़े बहुमत में सत्तारूढ़ दल को यह सीख लेना चाहिये कि संसदीय लोकतंत्र का तात्पर्य आलोचना है चाहे यह कटु ही हो. . . (व्यवधान) सत्तारूढ़ दल का असहनशीलता दिखाना इस बात का द्योतक है कि विपक्ष की आलोचना न्यायोचित है ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपूर) : हम एक लोकतांत्रिक दल के नाते संसदीक कार्यकरण के नियमों तथा परम्पराओं को जिनके अनुसार यदि आवश्यकता पड़े तो सदस्य को अधिकार है कि वह सरकार के किसी मंत्री अथवा दल के किसी सदस्य के नाम लेकर आलोचना कर सकता है । परन्तु ऐसा करने से पूर्व सदस्य को आपको लिखकर देना चाहिये तथा अनुमति प्राप्त करनी चाहिये ।

जहां तक धनराशि एकत्र करने की बात है प्रत्येक दल निर्वाचन उद्देश्य के लिये धनराशि एकत्र करता है । परन्तु प्रश्न यह उठता है कि धनराशि किस प्रकार एकत्र की जाती है । श्री लिमये हमारे दल की बात करते है । बाका उपचुनाव में उन्होंने 10 लाख रुपया खर्च किया है । (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : मैं इस बात को पहले ही खंडन कर चुका हूं । एक समिति बिठा लीजिये (व्यवधान)

श्री समर गुह उठे ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति रखिये । "मेरी बात सुनिये" (व्यवधान) शान्ति होनी चाहिये ।

इस समय कोई कार्यवाही भली प्रकार नहीं चल सकती । अतः मैं सभा को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

इसके पश्चात-लोकसभा बुधवार, 8 अगस्त, 1973/17 श्रावण 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, August 8, 1973/Sravana 17, 1895 (Saka).

GIPN—S3—19 L. S. S./73—4-11-73—490.